लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

18-8-92

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

P... ...T LIBRARY
72(3)
DATE 18.8.73

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20, शुक्रवार, 16 मार्च, 1973/25 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 20, Friday, March 16, 1973/Phalguna 25, 1894 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
361. पूर्णरूपेण केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले पर्यटन केन्द्रों को दी गयी सुविधाओं की कसौटी	Norms for Amenities Provided at Tourist Centers, Entirely run by Central Government	..	1—3
362. आंध्र प्रदेश में आंदोलन के कारण तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम को विमानों की उड़ान स्थगित करने के फलस्वरूप इण्डियन एयर-लाइन्स को हुई हानि	Loss Suffered by Indian Airlines as a result of Suspension of Flights to Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam Due to Agitation in Andhra Pradesh	..	3—4
363. शिविरस्थल बनाने के कार्य में प्रगति	Progress made in putting up Camping Sites	..	4—6
364. मसालों का निर्यात व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Export of Spices	..	6—8
365. किसानों को विकास प्रयोजनों के लिए ऋण देने सम्बन्धी योजना को समाप्त करना	Discontinuance of Scheme to Grant Loans to Farmers for Development Purposes	..	8—11
367. जीवन बीमा निगम द्वारा पांच लाख रुपये से अधिक की राशि को दिये गये ऋण	Loans exceeding Rs. 5 lakh Granted by LIC	..	11—15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates thas the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
369. जयपुर में चोरी छिपे लाये गये सामान का पकड़ा जाना	Seizure of Sumggled goods in Jaipur	15—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
366. रंग रोगन उद्योग के लिये कच्चा माल	Raw materials for Paint Industry ..	16—17
368. गत तीन वर्षों में डाक्टरी आधार पर अयोग्य घोषित भारतीय कर्मशियल विमान चालक	Number of Indian Commercial Pilots Declared Unifit on Medical Grounds within the last three years ..	17
370. नागर विमानन विभागके तकनीकी केन्द्र में डिजाइन किये गये विमान	Planes designed at the Technical Centre of Civil Aviation Department ..	17—18
371. भारत बंगला देश व्यापार समझौते की समाप्ति	Ending of Indo Bangladesh Trade Pact ..	18
372. पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु देश में होस्टलों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to set up Hostels in the country to attract Tourists ..	18—20
373. विदेशी सहायता	Foreign Aid ..	20—21
374. सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात किये गये कच्चे माल का मूल्य निर्धारित करना	Fixing the Prices of Raw Material Imported through State Agencies ..	21—22
375. निर्बाध व्यापार जोन	Free Trade Zones ..	22
376. पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यात के लिये अधिक राजसहायता देने की व्यवस्था करना	Provision of more subsidy for Exports to Western Europe ..	22
377. शिमला में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव	Proposal to build an Aerodrome at Simla ..	22—23
378. नगरों और कस्बों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Cities and Towns ..	23
379. मिलों द्वारा मोटे कपड़े का उत्पादन तथा वितरण	Production and Distribution of Coarse Cloth by Mills ..	23
380. मिल में बने सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि	Increase in the Export of Mill made Cotton Textile	24

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3556. धुवरी (आसाम) में संयुक्त क्षेत्र में एक जूट मिल का स्थापित किया जाना	Setting up of a jute Mill in Dhoobri (Assam) in Joint Sector ..	24
3557. धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा राक फोस्फेट का आयात	Import of Rock Phosphate by MMTC ..	24
3558. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता का अनुरोध	Request from Madhya Pradesh Government for Financial Assistance for setting up a State Trading Corporation ..	24
3559. जीवन बीमा निगम द्वारा बिहार में पूंजी निवेश	Investment of LIC in Bihar ..	25
3560. महाराष्ट्र में शोलापुर तक विमान सेवा	Air Service to Sholapur in Maharashtra ..	25
3561. जीवन बीमा निगम द्वारा पहले वर्ष के धन्धे की राशि को अपने रख-रखाव पर खर्च करना	Spending of Amount of First Year Business on Maintenance on LIC ..	25—26
3562. आसाम में पटसन के मूल्यों में गिरावट	Decline in the price of Jute in Assam ..	26
3563. पटना हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal to Expand Terminal Building at Patna Airport ..	26—27
3564. औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Providing of Financial Assistance by IFC and IDBI to Madhya Pradesh ..	27
3565. बम्बई में काले धन का बरामद होना	Unearthing of Black Money in Bombay ..	28
3566. दिल्ली में बरामद किया गया काला धन	Black Money unearthed in Delhi ..	28
3567. भारतीय वाणिज्य प्रतिनिधि-मंडल द्वारा बहरीन का दौरा	Visit of Indian Trade Delegation to Bahrain ..	28—29
3568. केरल में निर्यात प्रधान उद्योगों का विकास	Development of Export oriented Industries in Kerala ..	29

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3569. भारतीय रुई निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या	Number of SC/ST Employees in Cotton Corporation of India	..	29—30
3570. विभिन्न देशों को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to Different Countries	..	30
3571. विभिन्न राज्यों को आवंटित पावरलूम	Powerlooms allotted to different States	..	30—31
3572. ब्रिटिश व्यापार दल द्वारा भारत का दौरा	Visit by British Trade Team to India	..	31
3573. एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी कलकत्ता के नान रेजिडेन्ट कन्ट्रोलिंग शेयरों की बिक्री	Sale of non-resident controlling Shares in Andrew Yule and Co., Calcutta	..	31—32
3574. भारत सरकार के कार्यालयों में आयातित कारों का उपयोग	Use of Imported Cars in Government of India Offices	..	32
3575. एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग के लिये प्रस्ताव	Proposal for Economic Cooperation in Asia	..	32
3576. जूट के कालीन के असतर पर निर्यात शुल्क कम करने संबंधी प्रस्ताव	Proposals to cut down Export Duty on Jute Carpet Backing	..	32—33
3577. भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार वार्ता	Trade negotiations between India and European Economic Community	..	33
3578. सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वाराणसी में एक महन्त से सोना बरामद किया जाना	Gold seized from a Mahant by Customs Officials at Varanasi	..	33
3579. तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिये बनाये गये पंडालों में एक विश्व मेला आयोजित करने का प्रस्ताव	Proposal to Organise a World Fair in the Pavilions constructed for Third Asian International Trade Fair	..	34
3580. जूट पर से निर्यात शुल्क समाप्त करना	Abolition of Export Duty on Jute	..	34
3581. चिथड़ा काण्ड	Rag Scandal	..	34
3582. दिल्ली में कृषकों द्वारा धन कर का भुगतान	Payment of Wealth Tax by Agriculturists in Delhi	..	35

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3583. विदेशी ऋण की अदायगी के लिये मोहलत का दिया जाना	Moratorium on repayment of foreign debt ..	35
3584. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक को विद्युत योजना (पावर प्लान) भेजना	Submission of power plan to World Bank by U. P. Government ..	35
3585. गुजरात में सरकारी क्षेत्र के एकक	Public sector units in Gujarat ..	35
3586. राजस्थान वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों को रियायती आधार पर ऋण देने के बारे में प्रस्तुत किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Rajasthan Chamber of Commerce re : concessional finance to large scale units ..	36—37
3587. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी पाठक समिति	Pathak Committee on Public undertakings ..	37—38
3588. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त हेतु कर्मचारियों के चयन के लिये प्रक्रिया में परिवर्तन	Changes in procedure for selection of personnel for appointments in Public Sector undertakings ..	38
3590. दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान तौल और माप अधिनियम के उल्लंघन के मामले	Cases of violation of Weights and Measures Act in Delhi during the last three years ..	38—39
3591. खादी तथा ग्रामोद्योगों में तकनीकी सुधार लाने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Technical improvements in Khadi and Village Industries ..	39
3592. खनिज तथा धातु व्यापार निगम में पूंजी निवेश तथा उसके द्वारा अर्जित लाभ	Investment in and profits made by MMTC ..	39
3593. विदेशों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये उपाय	Steps for attracting tourists from foreign countries ..	39—40
3594. एग्रीकलचर मशीनरी डिलर्स एण्ड मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन से ज्ञापन	Memorandum from Agricultural Machinery Dealers and Manufacturers Association ..	40
3595. सम्पदा शुल्क (एस्टेट ड्यूटी) की वसूली	Collection from Estate Duty ..	40—41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3596. बिहार के चम्पारन जिले को केन्द्रीय पर्यटन केन्द्रों की सूची में सम्मिलित किया जाना	Inclusion of District Champaran (Bihar) in the Central Tourist List ..	41
3597. मुजफ्फरपुर होकर कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता तक की उड़ानों को नियमित करने का प्रस्ताव	Proposal to regularise the flights to and from Calcutta and Delhi via Muzaffarpur ..	41—42
3598. अमरीकी व्यापार दल का भारत का दौरा	Visit by US Trade Team to India ..	42
3599. समुद्री किनारे के स्थलों के विकास की योजनायें	Schemes for Development of Seaside Resorts ..	42
3600. केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्री एसोसिएशन की गोष्ठी	Seminar of Kerala State Small Industry Association ..	42
3602. बेलगांव और मंगलौर होकर बंगलौर से बम्बई और बम्बई से बंगलौर तक उड़ानें	Flights from Bangalore to Bombay and back via Belgaum and Mangalore ..	43
3603. बम्बई के लिये जल सप्लाई और मल निकासी परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट	Report of World Bank on Water Supply and Sewerage projects for Bombay ..	43—44
3604. गत तीन वर्षों में ड्यूटी के दौरान मारे गये विमान चालक	Pilots killed on duty during the last three years ..	44—45
3605. पालम हवाई अड्डे के कन्ट्रोल टावर में ध्वनिरोधन (साउन्ड-प्रूफिंग) में सुधार	Improvement in sound proofing of control Tower of Palam Aerodrome ..	45
3606. ऊन के निर्यात में वृद्धि	Increase in the Export of Wool ..	45—46
3607. पश्चिम जर्मनी से ऋण	Loan from West Germany ..	46
3608. पटसन उद्योग को वित्तीय राहत	Fiscal relief to Jute Industry ..	46
3609. मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के बारे में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestions made by All India Trade Union Congress regarding Price rise and Unemployment ..	46—47
3610. नई दिल्ली की हथकरघा सोना/दुकानों के विरुद्ध जांच पड़ताल	Investigations against Handloom Sona shops, New Delhi ..	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3611. दिल्ली में गैर सरकारी वित्तीय कम्पनियां	Private Financial Companies in Delhi ..	47
3612. गैर परम्परागत भारतीय उत्पादों का निर्यात	Export of non traditional Indian products ..	47—48
3613. बैंक ऋणों के माध्यम से गारन्टी कवर स्कीम	Guarantee cover scheme through Bank Credits ..	48—49
3614. भारत जापान के मध्य विमान सेवा करार	Air Agreement with Japan ..	49
3615. तैयार चमड़े की सप्लाई के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्तर कोरिया के साथ किया गया ठेका	Contract signed with North Korea by STC for the supply of finished leather ..	49
3618. राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद तथा बिक्री पर नियंत्रण रखने और पटसन से तैयार माल का निर्यात करने का प्रस्ताव	Proposal to control purchase and sale of Raw jute and Export of Finished Products of Jute by STC ..	49—50
3619. बैंकिंग विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय पाठ्य क्रम संगठन	Organisation of Regional Course on Development of Banking	50—51
3620. आसाम में हुए आन्दोलन के कारण इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि	Loss suffered by Indian Airlines due to Agitation in Assam ..	51
3621. हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up an Aerodrome in Himachal Pradesh ..	51
3622. पोलिसी धारियों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना	Advancing of Loans by LIC to Policy Holders ..	51—52
3624. स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की सेवा शर्तें	Serving conditions of Employees working in the State Bank of India ..	52—53
3626. पेंशन के मामलों के निपटान के लिये पृथक विभाग खोलने के बारे में पेंशनभोगी संगठन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Pensioners Organisation re: Establishment of Separate Department to Deal with Cases of Pensions ..	53

विषय	Subject		पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3627. एशियाई बैंक के अध्यक्ष का दौरा	Visit by President of Asian Bank	..	53
3628. स्टेट बैंक आफ इंडिया के चयन बोर्डों में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Officers of Department of Social Welfare on the Selection Boards of the State Bank of India	..	53—54
3629. अमरीका को जूट से बने सामान के निर्यात में कमी	Decline in the Export of the Jute Goods to USA	..	54
3630. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा टर्न की परियोजनाओं का चलाने के लिये धन देने का निर्णय	Decision of Industrial Development Bank of India to Finance Execution of turn key Projects	..	54
3631. सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देना	Advancing of Loan by Nationalised Banks for Irrigation and Power Projects	..	55
3632. सामान्य की बीमा निगम के मुख्यालय की स्थापना	Location of Headquarters of General Insurance Corporation	..	55
3633. सौराष्ट्र में सलेह तट से तस्करी का सोना बरामद होना	Recovery of Smuggled Gold from Salaya Coast in Saurashtra	..	55
3634. दिल्ली में पालम हवाई अड्डे का प्रबन्ध	Management of Palam Airport in Delhi	..	56
3635. विदेशी मुद्रा गिरोह द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को धोखा देना	Cheating of RBI by Foreign Exchange Racketeers	..	56
3636. जीवन बीमा निगम के गठन में परिवर्तन करने के बारे में की गई मांग	Demand made regarding changes in the set up of LIC	..	56—57
3637. बिहार में एक आधुनिक जूट मिल की स्थापना	Setting up of a Modern Jute Mill in Bihar		57
3638. गत तीन वर्षों में इंडियन एयर लाइन्स में नियुक्त किये गये विमानचालकों की संख्या	Total Number of Persons selected as Pilots in Indian Airlines during the last three years	..	57
3639. इंडियन एयर लाइन्स में संगणक प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Computer system in Indian Airlines	..	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3640. बड़े उद्योगपतियों द्वारा विदेश में संयंत्र लगाना	Setting up of Plants in Foreign Countries by Big Industrialists ..	58
3641. बिहार में लोगों से आय कर की वसूली	Realisation of Income tax from Individuals in Bihar ..	58—59
3642. बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Opening of Branches of Nationalised Banks in Bihar ..	59
3643. बिहार में जूट की खेती के अधीन भूमि	Acreage of Land under Jute Cultivation in Bihar ..	59—60
3644. सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Gold and Silver ..	60
3645. उद्योग तथा वाणिज्य में विदेशी पूंजी का निवेश	Investment of Foreign Capital on Industry and Commerce ..	60—61
3646. निर्यात में कर की छूट देना तथा निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर कच्चे माल की सप्लाई करना	Tax exemption on Exports and supply of Raw Materials to Exporters at International Price ..	61—62
3647. चालू वर्ष में देश के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों का विकास करने की योजना	Plan to develop various Tourist Centres in the Country during the current year ..	62
3648. बिहार और उड़ीसा के खान मालिकों से लौह अयस्क के मूल्य बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन	Representation from Mine Owners of Bihar and Orissa to Increase the rate of Iron Ore ..	62
3649. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना	Payment of Overtime to Central Government Employees ..	63
3650. एयरइण्डिया द्वारा छोटे विमानों द्वारा थोड़ी दूरी की उड़ानें आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to Start short distance Flights through Mini Aircraft by Air India ..	63
3651. गाजीपुर स्थिति ओपियम फैक्टरी में इन्जीनियरिंग सेवाओं का पुनर्गठन	Reorganisation of Engineering Services in Opium Factory, Ghazipur ..	63—64
3652. एयरवेज इण्डिया, कलकत्ता के कर्मचारियों की इण्डियन एयरलाइन्स में पुनः नियुक्ति	Absorption of Employees of Airways India, Calcutta in Indian Airlines ..	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3653. गाजीपुर ओपियम में फैक्टरी के मजदूरों को गर्म वर्दी	Woollen Uniform to Workers of Opium Factory, Ghazipur ..	64
3654. आसाम में पर्यटन विकास के लिये कार्यवाही	Steps to develop Tourism in Assam ..	64—65
3655. राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट	Overdrafts by States ..	65
3656. केरल में पर्यटन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की योजना	Scheme to increase the number of Tourist Centres in Kerala ..	65—66
3657. केरल की परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक सहायता	World Bank Assistance for Projects in Kerala ..	66
3658. केरल राज्य में पर्यटकों की रुचि के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिये कार्यवाही	Steps to Develop Cultural and Religious Places of Tourist interest in Kerala ..	66—67
3659. निर्बाध व्यापार क्षेत्रों द्वारा कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material by Free Trade Zones ..	67
3660. सरकार द्वारा विभिन्न देशों में मूल्य वृद्धि की नियंत्रण प्रणाली का अध्ययन किया जाना	Study made by Government about Mechanism of control of rising prices in various countries ..	67
3661. राज्यों में होटल उद्योग में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना	Employment of Children below Fourteen Years in Hotel Industry in the States ..	67—68
3662. राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को ऋण दिया जाना	Grant of Loans by Nationalised Banks to Handloom Weavers ..	68
3663. औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा एकाधिकार गृहों को दी गयी वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to Monopoly Houses by Industrial Credit and Investment Corporation of India ..	68
3664. भारतीय उद्योग विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनायें	Projects assisted by IDBI ..	69
3665. चाय उद्योग को नये पौधे लगाने के लिये राजसहायता तथा अन्य प्रोत्साहन	Replantation Subsidy and other incentives extended to Tea Industry ..	69
3666. गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पर्यटन स्थलों पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on Tourist Centres in Gujarat during the last three years ..	69—70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3667. मारिशस में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Mauritius ..	70
3668. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के इन्स-पेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Inspectors of Central Excise, Delhi ..	70
3669. अभ्रक की विदेशों को तस्करी	Smuggling of Mica to Foreign Countries ..	71—72
3670. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ की हजरतगंज शाखा के रहस्य की जांच	Investigations into the Mystery of Hazrat-ganj Branch of State Bank of India, Lucknow ..	72—73
3671. सान्ताक्रुज निर्बाध व्यापार क्षेत्र के लिये मुख्य निर्यात उत्पाद	Main Export Products for Santa Cruz Free Trade Zone ..	73
3672. यूनाइटेड ट्रस्ट आफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to various Industries by UTI, LIC, IFC, IDBI and ICICI ..	73
3673. राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि	Deposits in Nationalised Banks ..	74
3674. भवन का उपयोग किये बिना, खादी भवन नई दिल्ली द्वारा पट्टा किराये के बेकार के व्यय को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check Khadi Bhawan, New Delhi From incurring infructuous expenditure on lease rent without utilizing the Building ..	75
3675. सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पटसन के कारखानों की संख्या	Number of Jute Factories in Public and Private Sector ..	75
3676. भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन खरीद	Purchase of Jute by Jute Corporation of India ..	75—76
3678. पटसन की खेती का कुल क्षेत्र	Total Acreage of Land under Jute Cultivation ..	76
3679. क्षेत्रीय असमानता दूर रखने में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई प्रगति	Progress achieved by Nationalised Banks in regard to removing Regional Disparities ..	76—77
3680. राजस्थान के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Advances made by Commercial Banks of Rajasthan ..	77

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3681. पंजाब में हथकरघों के लिये स्टेपलयार्न की कमी	Shortage of Staple Yarn for Handlooms in Punjab ..	77
3683. बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशों में मिलों की स्थापना	Setting up of mills by big Industrial houses in foreign countries ..	77—78
3684. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम द्वारा संसाधन जुटाना	Mobilisation of resources by LIC in rural areas ..	78—79
3685. निर्यात बढ़ाने में वाणिज्यिक बैंकों की सहायता	Help by Commercial Banks in promoting Exports ..	79
3686. सभी किस्मों के सूती धागों के निर्यात पर रोक लगाने के लिये हथकरघा निर्यात उद्योग, तमिलनाडु की मांग	Demand by Handloom Export Industry in Tamil Nadu to ban export of all types of cotton yarn ..	80
3687. राज्य व्यापार निगम द्वारा टिटेनियम डायओक्साइट के लिये आयात करार करने में विलम्ब	Delay in concluding import contract for Titanium Dioxide by STC ..	80
3688. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली की शाखाओं में की गई अनियमिततायें	Irregularities committed in Delhi and New Delhi Branches of State Bank of Bikaner and Jaipur ..	80—81
3689. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की जालोरी गेट (जोधपुर) शाखा में धन राशि का कम होना	Shortage of cash in Jalori Gate (Jodhpur) Branch of State Bank of Bikaner and Jaipur ..	81—82
3690. सान्ताक्रुज निर्यात प्रबर्धन जोन में विकास आयुक्त की नियुक्ति	Appointment of a Development Commissioner in Santa Cruz Export Processing Zone ..	82
3691. भारत रूस व्यापार करार के अन्तर्गत औषधियों का निर्यात	Export of Drugs under the Indo-Soviet Trade Agreement ..	82—83
3692. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक ऋण देने की पेशकशें	Offers of International Commercial Credit ..	83
3693. राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण लेने की ओर ऋण देने की दर	Borrowing and Lending Rates of Nationalised Banks ..	83—84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3694. प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings of Projects Equipment Corporation of India Ltd. ..	84—85
3695. मैसूर में बैंकों से दुर्बल वर्गों को लाभ	Benefit to Weaker sections through Banks in Mysore ..	85
3697. मध्य प्रदेश में वन्यजीवन प्रधान पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres having Wild Life in abundance in Madhya Pradesh ..	86
3698. मध्य प्रदेश में न्यूनतम दर पर आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति	Payment of Income Tax by Individuals belonging to Lowest Slab in Madhya Pradesh ..	86
3699. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh ..	87
3700. वैज्ञानिकों तथा वस्त्र प्रौद्योगिकी विदों द्वारा स्टैण्डर्ड कपड़ा तैयार करने की विधि बताना	Evolution of a Standard Cloth by Scientists and Textile Technologists ..	87
3701. बलिराजगढ़ (बिहार) का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Balirajgarh (Bihar) as a Tourist Centre ..	87
3702. बिहार में गौतम कुण्ड अहिल्या स्थान आदि का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Gautam Kund, Ahilyasthan etc. in Bihar as Tourist Centres ..	88
3703. पोलैण्ड को खली का निर्यात	Export of Oil Cakes to Poland ..	88
3704. युनान से व्यापार करार	Conclusion of Trade Agreement with Greece ..	88—89
3705. कृषि मंत्रालय द्वारा सूखे वाले क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा लाने के लिये विमान सप्लाई करने हेतु अनुरोध	Request from Ministry of Agriculture for Supply of Planes for Inducing artificial rains in Drought Prone Areas ..	89
3706. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फसल के लिये दिये गये ऋणों की वसूली	Recovery of Crop Loans by Nationalised Banks ..	89
3707. देश में होटल और पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Hotels and Tourist Centres in the Country ..	90

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3708. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा गठित रामानुजम गुट की सिफारिशों पर किया गया निर्णय	Decision taken on the recommendations of Ramanujam Group set up by RBI ..	91
3709. कृषि परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Loan from IDA for Agricultural Projects	91—92
3710. भीम बन्द (बिहार) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने सम्बन्धी निर्णय	Division of Development of Bhimbandh (Bihar) as a Tourist Resort ..	92
3711. 50 करोड़ रुपये की जमा राशि वाले निजी बैंकों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Private Banks having deposits of Rs. 50 crore ..	92—93
3712. कृत्रिम रेशों के मूल्यों का निर्धारण	Fixation of Prices of Man made Fibres ..	93
3713. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की हिसार (हरियाणा) शाखा को ऋण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र	Loan application received by State Bank of India Branch Hissar (Haryana) ..	93
3714. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की हिसार शाखा द्वारा आवेदन पत्रों का दिया जाना	Supply of Application forms by Hissar Branch of State Bank of India ..	93—94
3715. आसाम में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास के लिये अध्ययन दल के सुझाव	Suggestions of Study Team for Development of Tourist and Hotel Industry in Assam ..	94
3716. पांचवीं योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये कार्यवाही	Steps to develop tourism in Eastern Region during Fifth Plan ..	94—95
3717. चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Czechoslovakia and Poland ..	95
3718. जापान को भारत के माल के निर्यात में वृद्धि	Increase in the Export of Indian Goods to Japan ..	95—97
3719. विदेशी इंजीनियरिंग कम्पनियां	Foreign Engineering Companies ..	97—98

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3720. वर्ष 1972 के दौरान पालम हवाई अड्डे से इण्डियन एयर लाइन्स के भण्डार तथा अन्य सम्पत्ति की चोरी के बारे में जांच	Inquiry into the theft of stores and other property belonging to Indian Airlines from Palam Airport during 1972 ..	98
3721. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम द्वारा लघु तथा मध्य उद्योगों को दिये गये ऋण	Amount of Loan given to Small and Medium Scale Industries by UTI LIC, IFC, IDBI, ICICI ..	98—99
3722. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित खाद्यान्नों की उचित दर की दुकानों के मालिकों को ऋण	Advance by Nationalised Banks to owners of Fair Price Food grain Shops sponsored by State Governments ..	99
3723. नेपाल को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to Nepal ..	99
3724. अशोक होटल द्वारा वसूल की गई बकाया राशि	Amount of Arrears Realised by Ashoka Hotel ..	100
3725. खल (आयल केव) के निर्यात में कमी	Setback in Export of Oil Cakes ..	100
3726. अभ्रक का निर्यात	Export of Mica ..	100—101
3727. भारत में परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for Projects in India ..	101—102
3728. बैंक आफ अमेरिका द्वारा रिजर्व बैंक में जमा की गई राशि	Amount Deposited by Bank of America with Reserve Bank ..	102—103
3729. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंक आफ अमेरिका का निरीक्षण	Inspection of Bank of America by RBI ..	103
3730. बैंक आफ अमेरिका द्वारा बम्बई में एक क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना	Opening of a Regional Office in Bombay by Bank of America ..	103
3731. मछली के निर्यात में गिरावट	Decline in Fish Export ..	104

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3733. पारादीप (उड़ीसा) में उच्च शक्ति वाले राडार यूनिट के लिये उपकरण	Equipment for High Power Radar Unit at Paradeep (Orissa) ..	104
3734. उड़ीसा में आधुनिक पटसन के उद्योग की स्थापना	Establishment of Modern Jute Industry in Orissa ..	104
3735. एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स के विमान चालकों तथा विमान परिचारिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary Action against Pilots and Air Hostesses of Air India and Indian Airlines ..	105
3736. हथकरघे के पलंगपोशों के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्र से आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना	Request for Economic Co-operative to Centre by U. P. for the Manufacture of Handloom Bed Sheets ..	105
3737. एयर इण्डिया के 1972-73 में हुआ घाटा	Loss suffered by Air India during 1972-73 ..	105
3738. कुवैत से नेफ्था का आयात	Import of Naphtha from Kuwait ..	106
3739. गरीबी किसानों के उत्थान के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आरम्भ की गई योजनायें	Schemes undertaken by Nationalised Banks for uplift of Poor Farmers ..	106
3740. सूखा राहत के लिये विदेशों से सहायता	Assistance from Foreign Countries for Drought Relief measures in India ..	106
3741. मैसूर राज्य में बेरोजगार इन्जीनियरों और अन्य बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Granting of Loans by Nationalised Banks to unemployed Engineers and Jobless Persons in Mysore ..	106—107
3742. पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त चाय बागान	Sick Tea Gardens in West Bengal ..	107
3743. फरवरी, 1973 में दिल्ली में आय कर अधिकारियों द्वारा एक व्यापार गृह पर छापे के दौरान 16 लाख रुपये के मूल्य के माल और नकदी का बरामद किया जाना	Recovery of Goods worth Rs. 16 lakhs and cash during a raid on business premises in Delhi in February, 1973 ..	107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3744. त्रिपुरा में कृषि कार्यों के लिये बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan granted by Banks in Tripura for Agricultural Purposes ..	108
3745. हरकरघों और बिजली चालित करघों सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of the Working Group on Handlooms and Powerlooms ..	108
3746. होजरी के माल के निर्यातकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग	Misuse of Foreign Exchange by Exporters of Hosiery Goods ..	108—109
3747. अपना विदेश व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से न करके स्वयं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings which handle their own Foreign Trade without mediation of STC ..	109—110
3748. यूगोस्लाविया के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons to Yugoslavia ..	110
3749. भारतीय अर्थ व्यवस्था के बारे में डा० कालिन क्लार्क की टिप्पणी	Dr. Colion Clark's remark regarding Indian Economy ..	111
3750. बिहार में वर्संटेड कपड़ा बनाने की मशीनों के लिये लाइसेंस	Licences for worsted spinning Machine in Bihar ..	111
3751. आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बन्धी नियम	Rules regarding fixation of seniority of Income tax Officers ..	111—112
3752. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के द्वारा पूंजी लगाने की पद्धति में अन्तर	Change in the Pattern of investment of Public Financial Institutions ..	112
3753. सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध तथा वेतन ढांचे का पुनरीक्षण	Review of Management and Salary Structure of Public Sector Undertakings ..	112—113
3754. चौथी योजना अवधि में हैंडलूम/पावरलूम और मिल द्वारा उत्पादित कपड़े का निर्यात	Export of Handloom/Powerloom and Mill made Cloth during the 4th Plan Period ..	113—114
3755. वस्त्र उद्योग का विस्तार	Expansion of Textile Industry ..	114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याप्त असंतोष और क्षोभ का समाचार	Reported discontent and agitation in Banaras Hindu University following arrest of student leaders ..	114—119
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	114—115
प्रो० नुरुल हसन	Prof. Nurul Hasan ..	115—119
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	120—121
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill ..	121
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
31 वां प्रतिवेदन	Thirty-first Report ..	122
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
72 वां प्रतिवेदन	Seventy-second Report ..	122
सिकन्दराबाद के निकट 15 मार्च 1973 को हुई इंडियन एयरलाइन्स के एक विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statements Re. Crash of Indian Airlines Plane at Secunderabad on 15th March, 1973 ..	122—125
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ..	122—123
सभा का कार्य	Business of the House ..	125—126
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (आन्ध्र प्रदेश) 1972-73—विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Andhra Pradesh) 1972-73—Statement Presented ..	126
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	126
शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) विधेयक पुरः स्थापित	Refugees Relief Taxes (Abolition) Bill—Introduced ..	126—127
कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Statutory Resolution re. Disapproval of Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance and Coal Mines (Taking over of Management) Bill ..	127—147
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	127
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav ..	128
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam ..	128—130
खंड 2 से 20 और	Clauses 2 to 20 and 1 ..	128—147
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended ..	147

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	145—146
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	146
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam ..	146
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1972-73	Supplementary Demands for Grants (General), 1972-73 ..	148—150
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra ..	148
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	148—149
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya ..	149—150
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	150
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
24 वां प्रतिवेदन	Twenty-Fourth Report ..	150
विदेशी तेल कम्पनियों और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	Resolution Re. Nationalisation of Foreign Oil Companies and other Vital Industries ..	150—161
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	150—151
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	152
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad ..	152
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya ..	152—153
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	153—154
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder ..	154—155
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni ..	155
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar ..	156
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	156
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	156—157
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan ..	157—158
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur ..	158
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin ..	158—159
श्री सतीश चन्द्र	Shri Satish Chanda ..	159—160
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ..	160—161
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	161
कार्य मंत्रणा समिति—	Busines Advisory Committee—	
26 वां प्रतिवेदन	Twenty-Sixth Report ..	161

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 16 मार्च, 1973/25 फाल्गुन, 1894 (शक)

Friday, March 16, 1973/Phalguna 25, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्णरूपेण केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले पर्यटन केन्द्रों को दी गयी सुविधाओं की कसौटी

*361. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कौन-कौन से पर्यटन केन्द्रों को पूर्णरूपेण स्वयं चलाती है ;

(ख) इन स्थानों पर केन्द्र ने क्या-क्या सुविधाएं दे रखी हैं ; और

(ग) इन स्थानों पर दी गयी सुविधाओं के लिये क्या सरकार ने कोई कसौटी निर्धारित की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). कोई भी पर्यटन केन्द्र पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं चलाए जाते। पर्यटक रुचि के क्षेत्रों के विकास तथा अभिवृद्धि के कार्य का संबंध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा निजी उद्यमों इन सभी तत्वों से है, और यह सुनिश्चित करने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि प्रदान की गयी सुविधाएं तुलनात्मक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।

श्री शंकर राव सावन्त: यह कहा गया है कि पर्यटक रुचि के क्षत्रों का विकास और अभिवृद्धि के कार्य का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा निजी उद्यमों इन सभी तत्वों से है। क्या इन चारों एजेंसियों के कार्य को स्पष्ट निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार किया गया है ? दूसरे, सुविधाओं और सुख साधनों के बारे में, जिसके उत्तर में उल्लेख किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर क्या है ? तीसरे, रायगढ़, शिवाजी की राजधानी जैसे पर्यटन

केन्द्रों और कोंकण आदि पुरानी गुफाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता क्या सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी ?

डा० कर्ण सिंह: ऐसी कोई ठोस सीमा-निर्धारित नहीं है। यह सम्बद्ध क्षेत्र पर निर्भर करता है और केन्द्र पहले उन्हीं क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्य कर रहा था जहां बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक एकत्र होते थे और जिन मामलों में राज्य सरकारें, स्थायी निकाय और निजी उद्यम शामिल होते थे। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट सीमा-निर्धारित नहीं है क्योंकि यह विकासशील स्थिति में है। जहां तक होटलों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सम्बन्ध है, एक स्टार से पांच स्टार तक के श्रेणी के होटलों के बारे में स्पष्ट वर्गीकरण किया हुआ है। उक्त वर्गीकरण विश्व भर में स्वीकार किया जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त वर्गीकरण केवल विलासिता-पूर्ण होटलों के लिए है बल्कि साधारण होटलों को भी कुछ स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों का पालन करना पड़ता है। अपने देश के लिये हमारा अपना वर्गीकरण है और जो लगभग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर है। रायगढ़ और कोंकण क्षेत्रों के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यदि उक्त स्थलों का पर्यटकों की दृष्टि से विशेष महत्व होता, तो राज्य सरकार इस ओर ध्यान देती।

श्री एस० बी० गिरी: क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वारंगल में पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है ?

डा० कर्ण सिंह: मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी चौथी योजना समाप्त हो रही है और पांचवीं योजना तैयार की जा रही है। राज्यों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और उनकी जांच की जायेगी।

श्री माधुर्य्य हालदर: क्या सभी पर्यटक केन्द्रों में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये भी कोई प्रस्ताव है ?

डा० कर्ण सिंह: जी, हां, वास्तव में युवकों के लिये उचित दर पर यात्रा करने और ठहरने के लिये युवक होस्टलों का व्यापक कार्यक्रम है।

डा० हेनरी आस्टिन: क्या युवक होस्टलों के अतिरिक्त मध्यम वर्ग के पर्यटकों जैसे मध्यम और निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई अन्य ठोस सुझाव अथवा प्रस्ताव रखे हैं ? जो लोग दिल्ली आते हैं उनके लिये स्थान पाना कठिन होता है।

डा० कर्ण सिंह: जी, हां, जैसा मैंने कहा, हम एक स्टार से पांच स्टार के स्तर के आवास का विकास करना चाहते हैं। सरकारी क्षेत्रों में होस्टल चलाये जाने के अतिरिक्त हम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये होटलों के निर्माण हेतु, विशेष तौर पर ऋण दे रहे हैं। पहले केवल तीन, चार और पांच स्टार वाले होटलों के लिये ऋण उपलब्ध थे। अब हमने नियमों में संशोधन कर दिया है।

श्री जगन्नाथ राव: उड़ीसा में पर्यटकों के लिये अनेक आकर्षक केन्द्र हैं। क्या केन्द्रीय सरकार कोणार्क में एक होटल स्थापित करने के लिये राज्य सरकार को सहायता दे रही है ?

डा० कर्ण सिंह: कोणार्क में पहले ही एक पर्यटक आवास है। अन्य कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार का भी वहां एक आवास है। लेकिन भुवनेश्वर में एक होटल स्थापित करने के बारे में ऋण के लिये एक निजी फर्म से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। कोणार्क में हवाई पट्टी के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह पहले ही गिरने की स्थिति में है और

भारी कम्पन से उसकी स्थिति और खराब हो सकती है। अतः भुवनेश्वर को हवाई पट्टी के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

डा० रानेन सेन : अभी कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था कि पर्यटक केन्द्रों का केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और निजी उद्यमों द्वारा विकास किया जायेगा तथा वे इसे चलायेंगे। क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के एक पर्यटक सम्बन्धी सम्मेलन में लगभग सब मंत्रियों ने शिकायत की थी कि समस्त पूर्वी भाग में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त सहायता नहीं दी है। यदि हां, तो इस कठिनाई अथवा शिकायत के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० कर्ण सिंह : उक्त सम्मेलन, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वास्तव में मेरी सहायता से हुआ था। मैं स्वयं वहां गया था। यह सच है कि विभिन्न कारणों से पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन सम्बन्धी इतना विकास नहीं हो सका जितना हम चाहते थे। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक यह कि वहां कुछ समय तक राजनीतिक समस्याएं विद्यमान रहीं ... **(अन्तर्बाधाएं)**

डा० रानेन सेन: मैं बिहार और आसाम का भी उल्लेख कर रहा हूं।

डा० कर्ण सिंह : नहीं, मैं इस समय तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। आसाम और भारत के अन्य पूर्वी क्षेत्रों में अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से दौरा करने पर रोक लगी है। लेकिन जहां तक उक्त क्षेत्र का सामान्य रूप से सम्बन्ध है, मैंने सम्मेलन में यह आश्वासन दिया था और मैं अब भी इस बात का आश्वासन देता हूं कि हम इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस बारे में की गई कार्यवाही का उल्लेख कर सकता हूं। बौद्ध गया, नालन्दा, राजगिरी, डम डम और दार्जीलिंग के सम्बन्ध में हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। दार्जीलिंग में युवक होस्टल हैं। हमें आशा है कि पांचवीं योजना में पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन विकास को महत्व दिया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में आंदोलन के कारण तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापतनम को विमानों की उड़ान स्थगित करने के फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को हुई हानि

*362. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में आंदोलन के कारण तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापतनम के लिये विमानों की उड़ानों को स्थगित करने के फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को 31 दिसम्बर, 1972 तक अनुमानित कितनी हानि हुई तथा इस समय कितनी हानि हो रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इंडियन एयरलाइन्स को इन स्थानों की उड़ानों के निलंबन के परिणामस्वरूप 31 दिसम्बर, 1972 तक अनुमानतः 85000/- रुपये के यात्री-राजस्व की हानि हुई। इस वर्ष के प्रथम दो महीनों में लगभग 8,67,000 रुपये की यात्री-राजस्व की हानि हुई।

श्री मोहम्मद शरीफ : मेरा प्रश्न सामान्य हानि से सम्बन्धित था। लेकिन माननीय मंत्री ने यात्री राजस्व की हानि के बारे में उत्तर दिया है। उन्होंने माल न भेजे जाने से हुई हानि का उल्लेख नहीं किया है।

डा० कर्ण सिंह : जब हम किसी विशेष अवधि में होने वाली हानि के बारे में बात करते हैं तो उसका अभिप्राय यात्री राजस्व की हानि से होता है ; अन्य शब्दों में टिकटों के कम बिकने से

हुई हानि । यह तर्क दिया जा सकता है कि विमानों के न उड़ने से ईंधन की बचत हुई है । हम इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी शीघ्र प्राप्त नहीं कर सकते । लेकिन यात्री राजस्व के बारे में विस्तृत जानकारी शीघ्र उपलब्ध है । यात्री राजस्व ही मुख्य राजस्व है मैं यह नहीं समझता कि इस मार्ग पर माल से होने वाले राजस्व का कोई प्रमुख वित्तीय प्रभाव है ।

श्री जी० विश्वनाथन : आंध्र के आन्दोलन से यदि किसी एयरलाइन्स को लाभ हुआ है तो वह है एयर इंडिया । बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता को जाने वाली गाड़ियों के रद्द किये जाने के परिणाम-स्वरूप गत चार अथवा पांच महीनों में एयर इंड़िया को कितनी अधिक आय हुई ?

डा० कर्ण सिंह : इसका अनुमान लगाने का तरीका है । जब गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं, तो विमान पूरे भरे जाते हैं ।

शिविरस्थल बनाने के कार्य में प्रगति

*363. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मार्गों पर जहां पर्यटकों का आवागमन अपेक्षाकृत अधिक है शिविर स्थलों की एक श्रृंखला बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जिन सड़क मार्गों पर पर्यटक यातायात अत्यधिक घना है उन पर शिविरस्थलों की एक श्रृंखला के निर्माण के बारे में प्रस्ताव पर कुछ प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है, तथा प्रत्येक स्थल की अपनी-अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप यथोचित फेर-बदल के साथ अपनाये जाने वाले एक आदर्श डिजाइन के प्लान राज्य सरकारों को प्राक्कलन तैयार करने के लिये पहले ही भेजे जा चुके हैं । अभी तक प्राप्त लागत-प्राक्कलनों की जांच की जा रही है ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I want to know how many camping sites are to be constructed under this scheme and the number of camping sites to be constructed out of them in Bihar and whether the sites of those camping sites have been selected and if so, what are the details of their sites ?

Dr. Karan Singh : According to the information available with me, 19 places have been selected for construction of camping sites. So far as I know no such place has been selected in Bihar so far. But provisions have been made for other programmes in Rajgir, Nalanda and Bodhgaya in Bihar.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The hon. Minister has stated that 19 camping sites have been selected. He has also mentioned regarding Nalanda, Bodhgaya and Rajgir. I want to know whether these sites have been included in those 19 camping sites. I also want to know whether there is some scheme for construction of reception centre for the tourists besides establishing camping sites for them or not and whether these sites have been included in them or they are separate ?

Dr. Karan Singh : There is a small scheme for camping site. There have been major schemes for Bodhgaya, Rajgir and Nalanda.

A reception centre is under construction in Patna which will perhaps cost Rs. 30 or 40 lakhs. It is a very big scheme and it has no link with camping site.

श्रीमती एम० गौडफ्रे : क्या आंध्र में हैदराबाद में कोई शिविरस्थल बनाने का प्रस्ताव है ।

डा० कर्ण सिंह : आंध्र में इसके लिये मीर आलम टैंक नामक स्थान का चयन किया गया है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मुख्यराष्ट्रीय राजपथों पर पर्टटकों के यातायात के बारे में पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ? इन 19 स्थानों का चुनाव किन आधारों पर किया गया और बिहार में और नेशनल हाइवे 28 में जो बिहार में ही है और जो भारत से नेपाल जाने के लिये मुख्य मार्ग है, कोई स्थान न चुने जाने के क्या कारण हैं ?

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में सरकार को पर्यटकों के यातायात की जानकारी है। मुझे यह नहीं मालूम कि ये आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं लेकिन यह विदित है कि वे क्षेत्र कौन से हैं जिन पर पर्यटकों का यातायात बहुत अधिक है और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों का चुनाव किया गया है। मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि बिहार सरकार ने हमारे उस पत्र व्यवहार का उत्तर नहीं दिया है जिसमें शिविरों के लिये स्थानों के सुझाव के बारे में पूछा गया था।

Shri Shashi Bhusan : Delhi is the biggest tourist centre. I want to know whether the Government has formed some national organisation or agency for constructing camping sites and youth hostels ? Uptill now the formation of youth hostel have been the business of Y. M. C. A., Y. W. C. A. and international racket as World Youth Centre. I want to know whether Government intends to constitute some National Agency for it so that tourism may be developed in the country.

Dr. Karan Singh : There is no proposal to constitute any National Agency for camping site. We think that the State Governments will manage these camping sites. There is one national association regarding hostels and this is Association of India.

Shri Shashi Bhusan : It is also an international racket.

Dr. Karan Singh: Youth Hostel Association of India is another association. We construct the hostels and get their cooperation.

Shri Ramavatar Shastri: G. T. road passes through U. P., Bihar and Bengal. I want to know whether there is any scheme for constructing camping sites in those states on G. T. road and whether a decision has been taken to construct a camping site in Orissa on Cuttack road, because there is a lot of traffic on these roads ?

Mr. Speaker : Hon. Member has forgot to mention Punjab.

Dr. Karan Singh: As I have already stated that Taj Gardens, Agra has been selected for camping site in U. P. but I cannot say whether it falls on G. T. Road or not and Baripada has been selected a camping site in Orissa....(**Interruptions**). But we have not received any reply from the Bihar Government in this regard. (**Interruptions**). There is one camping site in Bengal at Farakka. (**Interruptions**).

श्री प्रबोध चन्द्र : अभी अभी माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि चूंकि बिहार सरकार ने भारत सरकार को कोई उत्तर नहीं दिया है अतः वह वहां पर स्थान के चयन के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकी। क्या सरकार स्वयं ही उक्त राज्य के कल्याण के बारे में, जो अनेक बार राज्यपाल के शासन के अन्तर्गत आ चुका है, निर्णय ले लेती है अथवा वह इस बात को राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देती है ?

डा० कर्ण सिंह : चाहे किसी राज्य में राज्यपाल का शासन रहा हो, कैम्पिग साइट्स के चयन का कार्य राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है क्योंकि भूमि राज्य सरकारों की होती है हमारी नहीं। राज्य सरकारें भूमि उपलब्ध कराती हैं और इसलिये उनकी सलाह लेना स्वाभाविक ही है।

Dr. Laxmi Narain Pandeya: I want to know whether a decision has been taken for establishing camping sites in Madhya Pradesh and Rajasthan and if so, the places thereof and whether State Governments have been consulted in this matter ?

Dr. Karan Singh: Devas has been selected in Madhya Pradesh and Jaipur has been selected in Rajasthan for camping sites.

श्री के० राम कृष्ण रेड्डी : क्या आप नागार्जुनसागर क्षेत्र में किसी और स्थान के चयन के बारे में विचार कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : नागार्जुनसागर में शिविर स्थलों के चयन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि 17 या इससे अधिक केन्द्र केवल दिखावे के लिये हैं और वे देश में बड़े उद्योग समूह का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि भारत सरकार की नीति पर्यटकों से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की है ? यदि ऐसा नहीं है, तो सरकार इतने विशाल देश में केवल 19 शिविर स्थलों से पर्यटकों को कैसे सुविधा देगी ?

डा० कर्ण सिंह : यद्यपि हमने समस्त देश में 19 शिविर स्थलों की स्थापना का सुझाव दिया है लेकिन अन्ततः हमें हजारों शिविर स्थलों की आवश्यकता होगी । यह तो केवल आरम्भ है । यह एक नई परियोजना है जिसको हमने आरम्भ किया है और माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल उचित है कि उक्त शिविर स्थलों की संख्या पर्याप्त नहीं है । हम पांचवीं योजना में इसका बहुत विस्तार करना चाहते हैं ।

मसालों का निर्यात व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

*364. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मसालों के निर्यात व्यापार को अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये एक अलग निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). मसालों के रूप में सामान्य तौर पर श्रेणीबद्ध बहुत सी किस्मों की वस्तुएं हैं और सरकार मसालों की विभिन्न किस्मों के विपणन को सुदृढ़ करने के लिये समय-समय पर कदम उठाती रही है । सभी मसालों के निर्यातों को नियंत्रण में लेने के लिये एक पृथक निगम स्थापित किये जाने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने गैर सरकारी निर्यातकों द्वारा गड़बड़ी करके तथा लाभ कमाने के लिए कुचक्रों को अपनाने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के रूप में हुई हानि का पता लगाया गया है ? यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार दोषपूर्ण नीति के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के रूप में हुई हानि को पूरा करने का है ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि 19 से अधिक किस्मों की वस्तुओं को मसालों के रूप में सामान्य तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया है । जहां तक काली मिर्च का संबंध है, इसका निर्यात 14.9 करोड़ रुपये का होता है और इलायची का निर्यात 8.6 करोड़ रुपये का होता है । करीज, जीरे का बीज और सेलरी बीज आदि कुछ छोटी किस्म की वस्तुएं हैं, अतएव समूचे देश में पैदा होने वाले इन छोटी किस्म की वस्तुओं के लिए एक समान नीति बनाना कठिन हो

सकता है। मुख्य किस्म की वस्तुओं के बारे में हम विशेष सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि उत्पादन में घट-बढ़ तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव से उत्पादकों को हानि पहुंच सकती है। मूल्यों को स्थिर रखने की नीति की जांच की जा रही है।

श्री भागवत झा आजाद: इन 19 किस्म की वस्तुओं में से दो मुख्य वस्तुएं इलायची और काली मिर्च हैं, जहां संभवत: कीमतों में घट-बढ़ निर्यात बाजार के कारण हो सकती है। परन्तु सरकार का विचार किस प्रकार इन वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने का है? दूसरा, सरकार का विचार किस प्रकार वर्तमान नीति के स्थान पर अपनी नीति निर्धारित करने का है ताकि विदेशी मुद्रा की हानि को बचाया जा सके जो कि सरकार को हो रही है?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि विशेषकर काली मिर्च और इलायची के मूल्यों में घट-बढ़ हो रही है। हाल ही में हमने काली मिर्च का उत्पादन करने वाले मलयेशिया और इण्डोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण उत्पादक देशों का समुदाय गठित किया है जो अपने संसाधनों को इकट्ठा करके नीतियां बनायेंगे ताकि हम बड़े कार्टेलों की दया पर निर्भर न रहें। जहां तक इलायची का संबंध है, इसके मुख्य उत्पादक ग्वाटेमाला और तंजानिया हैं। हम तंजानिया सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने अस्थायी रूप से इलायची के उत्पादक देशों का समुदाय गठित करने के विचार को स्वीकार किया है ताकि इसका उत्पादन करने वाले देश आपस में इकट्ठे मिलकर अहितकर प्रतिस्पर्द्धा को दूर करने हेतु मूल्यों को स्थिरता प्रदान करें। मैं माननीय सदस्य के इस विचार पर सहमत नहीं हूं कि इसके बाजार में बड़ी मात्रा में घपला चल रहा है।

Shri Hukum Chand Kachwai: The hon. Minister has stated in his reply that there are 19 items which we export and that all of these are exported through private parties. I want to know the number of persons engaged in the export of these 19 items and the value of goods exported every year. Further I want to know whether this point is taken into consideration while exporting these items that in case the price thereof rises on account of its less production, some sort of control may be imposed? Secondly, I want to know whether the export is done on barter system or we get foreign exchange therefor? If this is done on barter system then what type of goods are imported and what is its quantum?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न निगम स्थापित करने के बारे में है। मंत्री महोदय इसका उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दे सकते थे परन्तु वे संदर्भ से बाहर चले गए हैं और इतनी अधिक सूचना दे दी है, अब माननीय सबस्य मूल्य के बारे में पूछ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं सकता हूं।

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक जानकारी देने में प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें प्रसन्नता नहीं है क्योंकि तब माननीय सदस्य प्रश्न के संदर्भ से बाहर प्रश्न पूछने लगेंगे।

श्री ए० सी० जार्ज: जहां तक 19 किस्म की वस्तुओं के निर्यातकों की संख्या का प्रश्न है, उनकी सूची अभी देना कठिन है क्योंकि यह लम्बी सूची है। निर्यात की मात्रा के संबंध में मुझे कहना है कि वर्ष 1971-72 में मसालों का कुल निर्यात 38 करोड़ रुपये का हुआ था और 1972-73 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और निर्यात 36 करोड़ रुपयों का हुआ। अतएव इन सभी 19 किस्म की वस्तुओं के निर्यात में 2 करोड़ रुपयों की गिरावट आई।

Shri Hukum Chand Kachwai: I had asked whether its export is done on barter system or we get foreign exchange therefor?

श्री ए० सी० जार्ज : इसके एवज में माल नहीं मंगाया जाता है अपितु हमें विदेशी मुद्रा मिलती है ।

Discontinuance of Scheme to Grant Loans to Farmers for Development Purposes

*365. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Scheme to grant loans to the farmers for development purposes from the various nationalised banks has been discontinued with effect from 1973; and

(b) if so, the reasons therefor?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Shri Bibhuti Mishra : The Government denies that it has stopped granting loans. The farmers say that on contacting banks they are told that granting of loans has been stopped. I want to know how much amount have been kept in the banks to grant loans to farmers for development planning? How many applications are pending and whether the whole amount, which was allotted for this work, has exhausted and the farmers could not get loans?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास सूचना है और मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं । जहां तक विभिन्न वर्षों में किसानों को धन देने का प्रश्न है, मेरे पास अनुसूचित बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़े हैं । वर्ष 1970 में किसानों को 301 करोड़ रुपयों का ऋण दिया गया था, दिसम्बर 1970 में इसकी संख्या बढ़कर 354 करोड़ रुपये हो गई थी । जून, 1972 में यह 388 करोड़ रुपये थी । इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है । मैं इस बात का दावा नहीं करूंगा कि इसमें भारी वृद्धि हुई है, परन्तु निश्चय ही इसमें कुछ वृद्धि हुई है ।

Shri Bibhuti Mishra : You have not stated the number of pending applications. You reply to this question then I will ask another question?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सभी निलंबित पड़े आवेदनपत्रों का उत्तर देना कठिन होगा । यह संभव हो सकता है कि बैंक की शाखा स्तर पर कुछ अधिक समय लग रहा है । इसमें कठिनाइयां हैं। मैंने इसके बारे में बहुत बार कहा है । मैं उस बात को बार-बार कहना नहीं चाहता हूं । बैंक की शाखा स्तर पर कुछ कठिनाइयां हैं । माननीय सदस्य ने कई मामलों में मुझे लिखा है और मैंने कई मामलों में प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister is a devotee of farmers and all the members have secured 80 percent votes of farmers to get elected. The hon. Members understand that farmers find difficulties when they go to lower level banks especially nationalized banks for loans. I want to know whether you will give any instruction or give instruction after enacting law so that the farmers may get loans there without any difficulties and a committee of Members of Parliament may be formed where there are local banks so that the difficulties of the farmers may be looked into and steps may taken to remove them?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य और सदन को भी यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस संबंध में विशेष अनुदेश दिए गए हैं । मैं कह सकता हूं कि लगभग 16-17 राज्यों को इस संबंध में कहा गया है । जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि बैंक की शाखा द्वारा जमानत आदि के बिना ऋण देने की जिम्मेदारी न लेने के कारण हमने एक प्रकार की गारंटी निगम स्थापित

करने की आवश्यकता महसूस की है। इसलिए रिजर्व बैंक ने एक गारंटी निगम की स्थापना की है, जो उन लोगों को गारंटी देता है। यदि यह रकम डूब जाती है तो इसे गारंटी निगम से वसूल किया जा सकता है। हमने यह अनुदेश दिये हैं कि फसल के मामले में 1000 रुपये से 5000 रुपये तक ऋण बिना किसी उचित जमानत के दिए जा सकते हैं। जहां तक आदेशों का संबंध है, हमने पुस्तिकाएं तैयार की हैं और इन बातों का प्रचार किया है। इस संबंध में वहां उचित समन्वय को देखते हुए हमने यह विचार किया कि केवल ऋण देना ही पर्याप्त नहीं है। परन्तु ऋण का प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार की सुविधा भी होनी चाहिए। इसलिए कुछ योजनाएं तैयार की गई। बैंकों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वे कुछ क्षेत्रों, गांवों आदि की जिम्मेदारी लें। हमने जिला की विकास एजेंसियों और बैंकों के बीच समन्वय दल नियुक्त करने की योजना बनाई है क्योंकि ऋण देने से ही कोई लाभ नहीं होता है जब तक कि इसका उपयोग विकास की कुछ योजनाओं के लिए न हो। अतएव ये कार्यवाहियां की जा रही हैं।

Shri Bibhuti Mishra : You should form committee consisting of Members of Parliament.

Shri Yashwantrao Chavan : Regarding the committee, I would say that it can be formed but it is somewhat difficult for me to form the formal committee.

इसलिए मेरा सुझाव यह है। जन प्रतिनिधि के रूप में औपचारिक समितियां बनाने के बजाए आप बैंकों के पास जाकर कह सकते हैं और यदि उसमें कठिनाइयां हैं तो आप मुझे बताइये और मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसानों को 380 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि निर्धन किसानों को कितना प्रतिशत ऋण दिया गया है और क्या सरकार के पास बटाईदारों को ऋण देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : विशेषकर बंगाल और बिहार के कुछ भागों में जहां तक बटाईदारों को ऋण देने का प्रश्न है, हमने उनके लिए योजनाएं बनाई हैं। बंगाल के मामले में स्थानीय बैंक यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने जिलों में लीड बैंक खोले हुए हैं। राज्य बैंक ने प्रत्येक जिले में योजना तैयार की है जहां वे जा सकते हैं और बटाईदार भी ऋण ले सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मैं जानना चाहता हूं कि निर्धन किसानों को कितना प्रतिशत ऋण दिया गया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में पहले वर्ष संपन्न किसान बड़ी संख्या में ऋण लेने आये। निश्चय ही उन्होंने इसका लाभ उठाया। परन्तु बाद में हमारा प्रयत्न छोटे किसानों को ऋण देने का रहा। मेरे पास इस समय निश्चित प्रतिशतता के बारे में आंकड़े नहीं हैं। यदि आप यह प्रश्न पूछते हैं तो संभवतः मुझे सूचना एकत्रित करने में थोड़ा समय लगेगा। परन्तु इस समय प्रयत्न छोटे किसानों को ऋण देने का किया जा रहा है। मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं। विशेषकर लघु किसान एजेन्सी और सीमान्त किसान एजेन्सी योजनाएं, जो वास्तव में छोटे किसानों के लिए बनाई गई हैं, बैंकों से संबंधित हैं और बैंकों को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है। हमने ब्याज की विभिन्न दरों की योजनाएं उन जिलों में लागू की हैं जहां छोटे और सीमान्त किसान हैं। हमारा प्रयत्न छोटे किसानों को ऋण संबंधी सुविधाएं देने का है।

श्री आर० पी० स्वामीनाथन् : माननीय सदस्य विभूति मिश्र ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

राष्ट्रीयकृत बैंक भूमि के विकास के लिए ऋण नहीं दे रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि 380 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वे योजनाएं क्या हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीकृत बैंक भूमि के विकास के लिए ऋण दे रहे हैं और इस संबंध में ऋण देने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : साधारणतया कुछ पुनर्वित्त निगम तथा सहकारी समितियां दीर्घ-कालीन अवधि अथवा मध्यावधि के लिए ऋण देती हैं। स्वभावत: वाणिज्यिक बैंक लम्बी अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकते हैं। वे सहकारी अथवा पुनर्वित्त निगमों जैसे कुछ संस्थाओं को ऋण दे सकते हैं।

Shri Panna Lal Barupal : As has been asked by my colleague Shri Mishra about the problems of the farmers, may I know whether it is a fact that a farmer seeking loan is asked to produce documentary and deposit (Jama-bandi) certificates from Development Officer, Gram Seva Samiti, Collector, District Magistrate, Class I Magistrate etc. and also aggreement bonds and lease certificate of the land? How many difficulties would an ignorant farmer come across while collecting all these certificates etc. from various officers? I want to know although I donot known about the details of the certificates required whether such rules would be made as to enable a small farmer also to get loan?

In my constituency, the poor could not get any loan so far. Only the well-versed farmers availed themselves of these benefits. Would some sort of restriction be put on them and scheme made so as to benefit the small farmers?

Shri Yashwantrao Chavan: I have said that there is a schemc. I do feel that there is some difficulty but, anyhow, the schemes are there.

Shri Phool Chand Verma : He has said that specific facilities have been given to small farmers for getting loans. So, first of all, I would like to know as to what is the definition of a small farmer. As regards small farmers I come from Madhya Pradesh and in Madhya Pradesh....

Mr. Speaker : Ask your question.

Shri Phool Chand Verma : Their applications remain lying in the bank for six months without any action being taken thereon. Until and unless the bank agents or the managers are not bribed through their middle-men, the applications remain unentertained ; or lot of harassment is given and payment it not made. Helplessly, the farmers have to....

Mr. Speaker : You put your question please.

Shri Phool Chand Verma : Whether you propose to make radical changes in the present procedure so that there is no difficulty to the farmers in getting loan?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था निश्चय ही हम छोटे किसान तथा उससे कुछ छोटे किसान में अन्तर समझते हैं। सामान्यत: छोटा किसान वह है जिसके पास पांच एकड़ से कम भूमि हो। वस्तुत:, यदि पांच एकड़ वाले किसानों को भी निश्चित रूप से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो उसे भी छोटा किसान नहीं समझा जा सकता। यह तो इस पर निर्भर करता है कि उसे प्रतिवर्ष कितनी फसलें प्राप्त होती हैं। यदि वह अपनी पांच एकड़ भूमि में 2 फसलें ले रहा है तो उसे छोटा किसान समझना बड़ा कठिन है। साधारणत: मैं कह सकता हूं कि पांच एकड़ से कम भूमि में बारानी खेती करने वाले किसान को एक छोटा किसान तथा $2\frac{1}{2}$ एकड़ से कम भूमि वाले को 'मार्जिनल' किसान कहा जा सकता है। मेरे विचार से यही सामान्य परिभाषायें हैं।

ये योजनायें हमने इन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दायित्व को निभाने के लिये ही बनाई हैं तथा कृषि मंत्रालय ने इन योजनाओं को कुछ जिलों में कार्यान्वित भी किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन ! नहीं हैं ।

श्री चन्द्रप्पन !

जीवन बीमा निगम द्वारा पांच लाख रुपये से अधिक की राशि के दिये गये ऋण

*367. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1971-72 और 1972-73 में अलग अलग पांच लाख रुपये से अधिक की राशि के कितने ऋण दिए ; और

(ख) ऋण प्राप्त करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है ।

विवरण

वर्ष 1971-72 और 1972-73 (12-3-73 तक) में निम्नलिखित संस्थाओं को पांच लाख रुपये से अधिक के जो ऋण मंजूर किये गये उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

क्र० सं०	संस्थाएं जिनको ऋण मंजूर किये गये	ऋणों की संख्या 1971-72	ऋणों की संख्या 1972-73 (12 मार्च 1973 तक)
1.	राज्य सरकारों को, आवास योजनाओं के लिए	14	16
2.	राज्य विद्युत बोर्ड	15	11
3.	एपैक्स को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटियों को और आवास-सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए अन्य प्राधिकरणों को	9	11
4.	नगरपालिकाएं	80	76
5.	जिला परिषदें	24	22
6.	औद्योगिक क्षेत्र	2	2
7.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	2	3
8.	चीनी (शर्करा) सहकारी समितियां	6	3
9.	पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सहकारी समितियां और अन्य पंजीकृत संस्थाएं, गिरवी पर	1	8
	कुल योग :	153	152

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण में नौ श्रेणियों के संगठनों का वर्णन है जिन्हें ऋण दिये गये हैं। परन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि 73 एकाधिकार गृहों को 17.54 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, तथा क्या यह भी सच है कि उनके लिये 28.35 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया गया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझसे पूछा गया था कि जीवन बीमा निगम द्वारा 5 लाख रुपये से अधिक के कितने ऋण जारी किये गये और मैंने बता दिया। यदि माननीय सदस्य दूसरी जानकारी चाहते हैं, तो मैं वह भी दे सकता हूं...

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसीलिये मैं कहता हूं कि इस विवरण का प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि मैंने विशिष्ट जानकारी मांगी थी जिसे इस विवरण द्वारा छिपा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछा था कि 5 लाख रुपये से अधिक के कितने ऋण दिये गये और यह विवरण उसी पर आधारित है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैंने अपने प्रश्न (ख) भाग में विशिष्ट रूप से पूछा है कि ऋण प्राप्त करने वाली आसामियां कौन-कौन सी हैं। उसके लिये उन्होंने प्राप्तकर्त्ताओं की नौ श्रेणियां बता दीं जिससे कोई भी व्यक्ति अर्थ कुछ नहीं निकाल सकता।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न करते हैं तो मैं उसका विशिष्ट ही उत्तर दूंगा। यहां सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा पंजीकृत निकायों के बारे में कहा गया जोकि रहन रखी गई हैं। उनकी संख्या 1971-72 में एक तथा 1972-73 में 8 बताई गई हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण से पता लगता है कि वर्ष 1970-71 में केवल एक ही बड़ी कम्पनी को 5 लाख रु० से अधिक का ऋण दिया गया इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ केवल 5 लाख है अथवा कि यह राशि लगभग पांच करोड़ है जो उसे प्राप्त हुई है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं कहना चाहूंगा कि वे कम्पनियों को सीधे कोई ऋण नहीं देते हैं। वे शेयरों में पूंजी लगाते हैं। अतः किसी भी कम्पनी को इस तरह ऋण देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई ऐसा मामला है तो निश्चय ही मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह तो बड़ा विभिन्न उत्तर है। मैं 15-10-72 को पेट्रियट में लिखा समाचार पढ़कर सुना सकता हूं। उसने इस जानकारी को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये नये अनुमानों पर आधारित किया है। इस समाचार में प्रकाशित सौदों के बारे में क्या आप जांच करेंगे?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने यह समाचार नहीं देखा है परन्तु मैं अवश्य इसकी जांच करूंगा। कृपया यह मुझे दीजिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं यह आपको दे दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि जीवन बीमा निगम ऐसे तो किसी कम्पनी को ऋण नहीं देता, वह तो केवल उनके शेयरों में पूंजी लगाता है। तो भी, इस विवरण में,

चाहे यह अधूरा भी क्यों न हो, कुछ उद्योगपतियों का जिक्र है जिन्हें औद्योगिक उद्देश्यों के लिये ऋण दिये गये हैं जिनमें एक श्रेणी एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भी है । अतः इसके अनुसार, औद्योगिक उद्देश्यों के लिये सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को कुछ ऋण दिये गये परन्तु मंत्री महोदय अब कहते हैं कि ऋण नहीं दिये जाते । वह कहते हैं कि केवल शेयरों में पूंजी लगायी जाती है । यह बड़ी भ्रामक सी बात है । पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आप ठीक कहते हैं । कुछ कम्पनियों को ऋण दिये जाते हैं । कुछ ऐसी कम्पनियां हैं । परन्तु वे किस प्रकार की कम्पनियां हैं इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : फिर भी उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि जीवन बीमा निगम ऋण नहीं देता है । दूसरे, उन्होंने स्वीकार किया कि निगम ने कुछ ऋण दिया है । यह क्या बात है ? क्या ये परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसकी जांच करेंगे । उन्होंने नोट कर लिया है ।

श्री समर गुह : यह तो अत्यधिक भ्रमपूर्ण कथन है । मेरे मित्र का प्रश्न ऋणों के बारे में था । मंत्री महोदय कहते हैं कि जीवन बीमा निगम ऋण नहीं देता केवल शेयरों में पूंजी लगाता है । शेयरों में पूंजी लगाना तथा ऋण देना यह दो भिन्न बातें हैं । परन्तु यह प्रश्न तो सीधा ऋणों के बारे में है । मैं उनसे इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इस अन्तर से वह क्या अर्थ निकालते हैं ? दूसरे, गत दो वर्षों में कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों तथा एजेन्सियों को रहन रखे बिना लगभग 38 लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं, तो फिर इस प्रकार का भेद-भाव बरतने का क्या कारण है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री इंद्रजीत गुप्त तथा श्री समर गुह द्वारा उठाया गया प्रश्न सही है । मुझे अपने उत्तर में शुद्धि करनी चाहिये । मैं देखता हूं कि कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिन्हें ये ऋण दिये जाते हैं । निश्चय ही मैं उन कम्पनियों के नाम भी दूंगा तथा राशि भी बताऊंगा :

कम्पनी का नाम	राशि करोड़ रुपये में	
	1971-72	1972-73
प्लास्टिक रेसिन एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	0.35	—
नागपाल अम्बाडी पेट्रो कैमिकल रिफाइनिंग लिमिटेड	0.50	—
सिपोरेक्स इण्डिया लिमिटेड	—	0.20
स्ट्रॉ प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	—	0.75
स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड	—	1.00

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : तो ये तो 2 से अधिक कम्पनियां हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वर्ष 1971-72 में केवल दो तथा 1972-73 में तीन कम्पनियां । मैंने कहा था कुल पांच कम्पनियां हैं— **(व्यवधान)** जैसा कि आप देखेंगे, 1971-72 में दो सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को, तथा वर्ष 1972-73 में उनकी संख्या तीन हैं । इस तरह ये पांच हुईं ।

श्री समर गुह : मैंने स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि कुछ कम्पनियों को रहन रखकर ऋण दिये गये हैं तथा कुछ को रहन रखे बिना दे दिये गये हैं। इसका क्या कारण है ? इस प्रकार का भेद-भाव बरतने का क्या कारण है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे यह पता नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे लिखित रूप में देंगे तो मैं अवश्य ही इसकी जांच करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस प्रकार के ऋण और अग्रिम राशि देने के लिए सरकार ने क्या कसौटी अपनाई है। क्या ये ऋण केवल गैर-एकाधिकार-गृहों को ही दिए जाते हैं अथवा एकाधिकार गृहों को भी दिए जाते हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस अधिनियम में ही कुछ ऐसे तरीके अपनाये गए हैं। लगभग 25 प्रतिशत तो सरकारी संरक्षणों में ही निवेश किया जाता है ; इसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत मंजूर-शुदा संरक्षणों में, और फिर शेष 50 प्रतिशत में स्वविवेक बरता जाता है। अधिनियम में कुछ प्रतिमानों की व्यवस्था है, और फिर हम भी उनका मार्गदर्शन करते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन बीमा निगम ऐसे संस्थानों, जो विकास कार्य करते हैं, जैसे ग्रामीण विद्युत बोर्ड, बिजली उत्पादन, पानी की सप्लाई के लिए नगरपालिकाएं आदि, में और अधिक रुचि ले। इसके पश्चात् फिर कुछ क्षेत्रीय विकास का प्रश्न है। इस वर्ष पूर्वी-राज्यों की अधिक योजनाएं हैं। हमारा उद्देश्य विकास-प्रयोजनों के लिए संस्थानों को ऋण देने का है।

श्री राम सहाय पांडेय : जहां तक मरी जानकारी है, जीवन बीमा निगम बिना शर्त के साफ तौर पर किसी प्रकार का ऋण नहीं देता है। मंत्री महोदय ने संशोधित सूचना दी है कि जीवन बीमा निगम द्वारा स्पष्ट-ऋण दिये गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने यह निर्धारण किया है कि किन शर्तों के अन्तर्गत यह ऋण दिया गया था। और क्या यह स्वेच्छा ऋण बिना किसी शर्त के हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह सूचना अवश्य ही दूंगा।

श्री भान सिंह भौरा : क्या यह सच है कि गत वर्ष दिए गए 248.03 रुपये के कुल ऋणों में से एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन की सूची में सम्मिलित एकाधिकार गृहों को 94.07 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे ? यदि यह सच है तो क्या सरकार निगम को यह अनुदेश देने जा रही है कि एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन की सूची में सम्मिलित ऐसे ग्रहों को ऋण न दिये जाएं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह सूचना दे चुका हूं कि पांच पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को ऋण दिए गए थे। जिन आंकड़ों का आप उल्लेख कर रहे हैं मैं अपनी सूचना से इन विशेष आंकड़ों का सत्यापन नहीं कर सकता।

डा० कैलाश : क्या मंत्री महोदय द्वारा बताये गए नामों में से एक मैसर्स नागपाल पेट्रो रिफाइनिंग कम्पनी केवल कागजों में ही है अथवा वास्तव में विद्यमान है ? इस कम्पनी को 50 लाख रुपये ऋण के रूप में दिए गए हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप इसकी जांच करें।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री पी० आर० शिनाय : 5 लाख रुपये से अधिक ऋण पर ब्याज किस दर से वसूल किया जाता है ? क्या यह एक समान है ? यदि नहीं, यह किस सिद्धान्त पर आधारित है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह वस्तुतः कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है। उदाहरणार्थ मैं यही कह सकता हूं कि राज्य बिजली बोर्डों को दिए जाने वाले ऋणों पर जीवन बीमा निगम ने ब्याज की दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी है। फिर ऐसे ऋणों, जिनकी अदायगी 20 वर्ष में होती है, पर 7 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है और सहकारी समितियों और नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले ऋणों पर भी 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत से $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक है।

Seizure of Smuggled Goods in Jaipur

*369. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 877 on the 17th November, 1972 regarding seizure of smuggled goods in Jaipur and state :

(a) the results of the enquiries made in the matter ; and

(b) the number of persons against whom action was taken indicating the nature of action taken ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जयपुर में एक मकान से जुलाई, 1972 में पकड़ा गया लगभग 2,700 रुपये मूल्य का विदेशों में निर्मित नायलोन का कपड़ा जब्त कर लिया गया है और अंतर्ग्रस्त व्यक्ति पर 200 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है। अन्य मामले में, अर्थात् अगस्त, 1972 में पकड़े गये विदेशी मूल के रत्नों तथा बिना तराशे गए उपरत्नों के मामले में, जिनका मूल्य लगभग 50,000 रु० है, सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निमित्त, दो व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : There is not much difference between the reply given by the hon. Minister to a question of 17th November and that given now. It was stated in the reply to a question on the 17th November and that given now. It was stated in the reply to a question on the 17th November that foreign made cloth worth about Rs. 2,700/- was seized from a house raided in July 1972. Then it was again stated that in a raid in another house in the month of August 1972 precious stones of foreign origin were seized. I want to know the names of owners of both the houses. Do these houses belong to one party only or there are different owners of these houses ? What is the reason of raiding one house in August 1972 when the other house was raided in July 1972 ? Why Government took so much time in this process ? Did they not get time in removing their smuggled goods ? It has been stated that a penalty of Rs. 200/- was imposed on them and the goods were seized. There is a rule to give award to a certain extent to the informers. But that rule has not been followed. What is the reason for that ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक पहले मामले का सम्बन्ध है उसका न्यायनिर्णय हो गया है। 2700 रुपये के मूल्य का विदेशी नायलन का कपड़ा पकड़ा गया है और 200 रुपये का जुर्माना किया गया है। अब यह मामला समाप्त हो गया है।

दूसरा मामला 50,000 रुपये के मूल्य के विदेशी हीरे जवाहरातों का है। इस सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये अर्ध-न्यायिक मामले हैं। जिस समस्या को माननीय सदस्य ने उठाया है उसकी मैंने भी जांच की है कि क्या इस बारे में इतना अधिक विलम्ब हुआ है। मेरी सूचना के अनुसार ऐसे मामलों में कभी-कभी दूसरे पक्ष समय लेते हैं और कभी वकील समय ले लेते हैं। इसमें यही समस्या है। किन्तु कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और मैंने विभाग से कहा है कि इस मामले में शीघ्रता बरते और स्थिति की जांच कर निष्कर्ष निकाले।

दो विभिन्न पक्ष हैं। एक पक्ष श्री धर्मचन्द का है, जो विदेशी नायलोन कपड़े के मामले में

ग्रस्त है। दूसरा मामला श्री नारायण, गणेश नारायण जौहरियों का है जिनके पास बहुमूल्य हीरे जवाहरात पाये गये थे।

जहां तक सूचना देने वाले को कमीशन देने का सम्बन्ध है, मैं इस मामले को देखूंगा कि क्या उसे कमीशन का भुगतान किया गया है या इसकी क्या स्थिति है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Have you fixed any time limit to decide these cases as and when such goods are confiscated ? In case such goods are to be handed over to the concerned parties, they should be returned to them and in case any action has got to be taken then it should be taken within the stipulated time limit. These cases are sent to the courts very late and in the mean time the concerned authorities try to bargain the deal to hush up such cases. Have you received such complaints? Is there any rule or law to see that this case is decided within proper time limit?

श्री के० आर० गणेश : वास्तव में माननीय सदस्य का यह मत है कि अधिकारियों ने इस मामले में विलम्ब किया है, अमान्य है। इस प्रकार के अर्ध-न्यायिक मामले ही ऐसे होते हैं कि इनमें विलम्ब हो ही जाता है। ऐसा इस कारण होता है कि ये अर्ध-न्यायिक मामले हैं। सम्बद्ध पक्ष मामलों को स्थगित करते चले जाते हैं और सूचना देने में विलम्ब करते हैं और इसलिए कारण-बताओ नोटिसों के आवश्यक उत्तर फाइलों में लगाने में विलम्ब हो जाता है। इस कारण कुछ विलम्ब हो ही जाता है। मैंने देखा है कि इस मामले में भी इसी कारण विलम्ब हुआ है। यही कारण है कि मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि मैंने स्वयं विभाग से इस प्रश्न की जांच करने के लिए कहा है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : वक्तव्य में बताया गया है कि 200 रुपये का जुर्माना किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जुर्माना करने वाला अधिकारी कौन है और क्या इस प्रकार के आर्थिक अपराधों के मामलों को इस प्रकार नरमी से बरतना उचित है ?

श्री के० आर० गणेश : इस विशिष्ट मामले में जुर्माना करने के लिये उपयुक्त अधिकारी सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का सहायक कलैक्टर है। वह ही उपयुक्त अधिकारी है और उन्होंने ही जुर्माना करने से पूर्व अपने विवेक से काम किया है। मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मत व्यक्त किये जा सकते हैं कि क्या यह जुर्माना कम है अथवा अधिक है, किन्तु उन्होंने अपने विवेक के अनुसार ही जुर्माना किया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रंग रोगन उद्योग के लिए कच्चा माल

*366. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंग-रोगन उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल के आयात का ठेका करने में विलम्ब होने के कारण, यह उद्योग समाप्त प्राय हो गया है तथा इससे विदेशी मुद्रा की भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कच्चे माल के लिए आयात ठेका करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों में डाक्टरी के आधार पर अयोग्य घोषित भारतीय कमर्शियल विमान चालक

*368. **श्री इस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने भारतीय कमर्शियल विमान चालक डाक्टरी आधार पर अयोग्य घोषित किये गए ; और

(ख) डाक्टरी आधार पर उनकी अयोग्यता के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान डाक्टरी रूप से अयोग्य घोषित किये गये भारतीय वाणिज्यिक विमान चालकों की संख्या निम्न है :

		स्थायी रूप से	अस्थायी रूप से
1970	—	24	43
1971	—	17	51
1972	—	10	32

(ख) मुख्य रूप से उनके डाक्टरी रूप से अयोग्यता के कारणों का वर्गीकरण इस प्रकार है :

(i) अतिरुधिर तनाव

(ii) स्थानिक रक्ताल्पता हृदय रोग

(iii) दृष्टि-दोष

(iv) श्रवण-दोष

(v) मधुमेह

(vi) विविध

नागर विमानन विभाग के तकनीकी केन्द्र पर डिजाइन किये गये विमान

*370. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेवती एम० के० II नामक शक्तिचालित प्रारम्भिक प्रशिक्षण विमान तथा उत्कृष्ट कार्यकुशलता वाले एक "सेल" विमान "मृगशिर" का डिजाइन और निर्माण, नागर विमानन विभाग के नई दिल्ली के तकनीकी केन्द्र में पूर्णरूपेण भारतीय सामग्री से किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विमानों में किस प्रकार का इन्जन प्रयोग किया गया तथा इसके लिए कौन-से पुर्जों का आयात किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। 'रेवती एम० के०-II' और 'मृगशिरा' दोनों ही का डिजाइन नागर विमानन विभाग के तकनीकी केन्द्र द्वारा तैयार किया

गया है । तथापि 'रेवती' के लिये कतिपय उपकरणों यथा इन्जन, पंखा, रेडियो उपस्कर, यंत्र एवं विशिष्ट मिश्रधातु-इस्पात सामग्री का, तथा 'मृगशिरा' के लिये यंत्र तथा थोड़ी सी मात्रा में उच्च-शक्ति इस्पात का आयात किया गया था।

(ख) रेवती एम० के०-II' विमान में 145 अश्व-शक्ति का रोल्स-रॉयस/कान्टिनेन्टल 0–300 सी इंजन का प्रयोग किया गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र अमरीका से आयात किया गया था।

भारत-बंगला देश व्यापार समझौते की समाप्ति

*371. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगला देश व्यापार समझौता 31 मार्च, 1973 को समाप्त हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते की सफलता-विफलता के बारे में दोनों देशों द्वारा निर्धारित निर्यात-आयात लक्ष्यों की दृष्टि से कोई मूल्यांकन किया गया है ; और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत-बंगला देश व्यापार समझौते को नवीकृत किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ग). जी हां। वर्तमान व्यापार करार 27 मार्च, 1973 तक की एक वर्ष की अवधि के लिये वैध है। उस तारीख के बाद के प्रबन्धों के बारे में दोनों सरकारें परस्पर परामर्श कर रही हैं।

(ख) व्यापार करार के अन्तर्गत निम्नलिखित दो-स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है :–

(1) विशेष हित की वस्तुओं में व्यापार के लिये एक सीमित भुगतान प्रबन्ध ; और

(2) सामान्य आयात, निर्यात तथा भुगतान विनियमों के अधीन सीमित भुगतान प्रबन्ध के अलावा व्यापार।

सीमित भुगतान प्रबन्ध के लिए दोनों तरफ के लिए 25 करोड़ रु० की संकेतात्मक अधिकतम सीमाएं रखी गई।

स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 फरवरी, 1973 तक प्रबन्ध के अधीन पंजीकृत संविदाओं का मूल्य बंगला देश को निर्यातों के सम्बन्ध में 19.4 करोड़ रु० और बंगला देश के आयातों के सम्बन्ध में 14.6 करोड़ रु० था। दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच निरन्तर परामर्श होता रहा है और यह देखा गया है कि अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं तथा कतिपय संस्थागत कठिनाइयों से व्यापार की गति में रुकावट पैदा हुई है।

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु देश में होस्टलों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव

*372. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पर्यटक-यातायात के सम्बन्ध में कोई पुनर्विलोकन किया गया है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कुछ होस्टलों की स्थापना करने का था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा है ।

विवरण

(क) जी हां । विस्तृत ब्यौरे "भारत पर्यटक आंकड़े" नामक प्रकाशन में दिये जाते हैं जो कि प्रतिवर्ष जारी किया जाता है ।

गत तीन वर्षों के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या तथा प्रतिशत वृद्धि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	आने वाले पर्यटक	प्रतिशत वृद्धि
1970	280,821	14.8
1971	300,995	7.2
1972	342,950	13.9

(ख) और (ग). सारे देश में निम्नलिखित स्थलों पर 17 युवा होस्टलों की एक श्रृंखला स्थापित की जा रही है :—

1. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
2. अमृतसर (पंजाब)
3. भोपाल (मध्य प्रदेश)
4. डलहौजी (हिमाचल प्रदेश)
5. दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल)
6. गांधीनगर (गुजरात)
7. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
8. कमलपुर (हाम्पी के निकट) (मैसूर)
9. जयपुर (राजस्थान)
10. मद्रास (तमिलनाडु)
11. नैनीताल (उत्तर प्रदेश)
12. पाणाजी (गोवा)

13. पंचकुला (हरियाणा)
14. पांडीचेरी
15. पुरी (उड़ीसा)
16. पटनी टॉप (जम्मू-काश्मीर)
17. त्रिवेन्द्रम (केरल)

जयपुर का युवा होस्टल चालू हो चुका है। गांधीनगर, मद्रास, भोपाल तथा हैदराबाद के युवा होस्टल पूरे होने वाले हैं तथा शेष होस्टलों के 31 मार्च, 1974 से पहले बनकर चालू हो जाने की सम्भावना है।

विदेशी सहायता

*373. **श्री पी० के० देव :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान भारत को कितनी विदेशी सहायता, देश-वार मिली ;

(ख) क्या पिछले वर्षों में मिली सहायता की तुलना में यह सहायता कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इससे योजना के लक्ष्य किसी सीमा तक प्रभावित होंगे और विदेशी सहायता की कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 1972-73 के दौरान विदेशों के साथ 90.553 करोड़ डालर (लगभग 659.23 करोड़ रुपये) की रकम के करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। देश-वार ब्यौरा सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) विदेशी सहायता के नये वचनों में कमी होने से चौथी पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित आयोजनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। विदेशी मुद्रा में होने वाली कमी को आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के न्यायसंगत उपयोग जैसे जोरदार उपायों द्वारा पूरा किया जायगा।

विवरण

(लाख अमरीकी डालर)

देश	परियोजना सहायता	ऋण राहत से भिन्न परियोजना भिन्न सहायता	ऋण राहत	जोड़	
1. आस्ट्रिया	—	5.0	24.0	29.0	
2. बैल्जियम	—	33.3	16.7	50.0	
3. कनाडा	73.0	583.0	18.4	674.4	(जिसमें से 125.6 लाख डालरों के अनुदान हैं)

देश	परियोजना सहायता	ऋण राहत से भिन्न परियोजना भिन्न सहायता	ऋण राहत	जोड़	
4. डेनमार्क	—	57.0	0.7	57.7	
5. फ्रांस	592.0	250.0	66.0	908.0	
6. पश्चिम जर्मनी	—	503.1	366.5	869.6	(जिसमें से 68.2 लाख डालरों के अनुदान हैं)
7. इटली	—	—	139.4	139.4	
8. जापान	97.4	332.0	382.3	811.7	
9. नीदरलैण्ड	—	191.1	26.0	217.1	(जिसमें से 7.2 लाख डालरों के अनुदान हैं)
10. स्वीडन	106.0	530.1	7.6	643.7	(जिसमें से 268.3 लाख डालरों के अनुदान हैं)
11. ब्रिटेन	416.0	780.0	208.0	1404.0	
12. संयुक्त राज्य अमेरिका	219.5	—	291.2	510.7*	
13. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	1990.0	750.0	—	2740.0	
	3493.9	4014.6	1546.8	9055.3	
(लगभग करोड़ रुपये में)	254.36	292.26	112.61	659.23	

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात किये गये कच्चे माल का मूल्य निर्धारित करना

*374. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात किये गये कच्चे माल के मूल्यों को निर्धारित करने के लिये एक से अधिक कसौटियां अपनाई हैं ;

*इसके अतिरिक्त जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध है, 291.2 लाख डालर (लगभग 21.20 करोड़ रुपये) के ऋण की वापसी अदायगी को स्थगित करने के लिये दोनों देश आपस में सहमत हो गये हैं और ऋण करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है।

(ख) यदि हां, तो अपनाई गयी कसौटी की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). मार्गीकृत आयातों के सम्बन्ध में मूल्य निर्धारित करने का आधार विभिन्न वर्गों के आयातकों के लिए अलग अलग है । मूल्य निर्धारण में निर्यातकों को तरजीह दी जाती है ।

निर्बाध व्यापार जोन

*375. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनेक निर्बाध व्यापार जोन बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अभी तक कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यात के लिये अधिक राजसहायता देने की व्यवस्था करना

*376. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यात के लिए अधिक राजसहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शिमला में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव

*377. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब से शुरू हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). शिमला के आस-पास कई स्थानों, जैसे, नलडेहरा, शोगी तथा धानाहाटी, की जांच की गयी है परन्तु उनमें से कोई भी स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि या तो वे निर्माणकार्य के लिये अनुपयुक्त हैं या परिचालनों के लिये संकटमय हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नगरों और कस्बों का दर्जा बढ़ाया जाना

*378. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री नगरों और कस्बों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में 11 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर कुछ और नगरों का दर्जा बढ़ाये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उस प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित 76 नगरों तथा शहरों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य के बलूरघाट नगर का भी वर्गीकरण, 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 'ग' श्रेणी में किया गया है। 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किसी अन्य शहर/नगर का दर्जा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

मिलों द्वारा मोटे कपड़े का उत्पादन तथा वितरण

*379. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कपड़ा मिलें मोटे कपड़े के निर्धारित कोटे के उत्पादन के बजाय दंड भुगतान करना पंसद करती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सामान्य जनता को फाइन तथा सुपर फाइन कपड़े के ऊंचे मूल्य देने से बचाने हेतु कपड़ा मिलों से मोटे कपड़े का उत्पादन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने प्रति तिमाही 10 करोड़ मीटर नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध करने का स्वैच्छिक दायित्व स्वीकार कर लिया है। उनके कार्य निष्पादन का अनुमान 31 मार्च, 1973 के पश्चात् लगाया जाएगा।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मिल में बने सूती कपड़ों के निर्यात में वृद्धि

*380. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल में बने सूती कपड़े के निर्यात में वर्ष 1972 में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1972 के दौरान मिल-निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यातों में 1971 के दौरान प्राप्त स्तरों की तुलना में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई।

Setting up of a Jute Mill in Dhoobri (Assam) in Joint Sector

3556. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether a Jute Mill is to be set up in Dhoobri (Assam) in Joint Sector in near future ; and

(b) if so, the salient features of the proposal and the stage at which the proposal stands at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b). Government have not so far received any concrete proposal from the Assam Government for setting up of a new jute mill in their state.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा राक फास्फेट का आयात

3557. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने राक फास्फेट के आयात के लिये दीर्घकालिक प्रबन्ध किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ उक्त प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका तथा जोर्डन।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता का अनुरोध

3558. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा बिहार में पूंजी-निवेश

3559. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के पूंजी-निवेश में बिहार राज्य के बहुत थोड़े अंश हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो दिसम्बर, 1972 तक जीवन बीमा निगम ने बिहार में कुल कितना पूंजी-निवेश किया ; और

(ग) बिहार राज्य में जीवन बीमा निगम के पूंजी-निवेश में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1971-72 के अंत तक बिहार राज्य में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश 76.87 करोड़ रुपये का था जो सब राज्यों में जीवन बीमा निगम के निवेश का 6.12 प्रतिशत है ।

(ग) पूंजी-निवेश करने के लिए जीवन बीमा निगम, प्रत्येक राज्य में उपलब्ध निवेश के अवसरों के साथ-साथ वहां हुए कारोबार और उस राज्य में प्रीमियम से प्राप्त आय को भी ध्यान में रखता है । पिछले वर्षों में बिहार में निगम के नवीन निवेशों में वृद्धि हुई है ।

महाराष्ट्र में शोलापुर तक विमान सेवा

3560. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शोलापुर को विमान सेवाओं से मिलाने के मामले पर पुनर्विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और सेवा कब तक चालू हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइंस पांचवीं योजनावधि के दौरान शोलापुर को विमान सेवा से जोड़ने के मामले पर भी अन्य मामलों के साथ-साथ ही, यातायात संभावनाओं, विमानों की उपलब्धता तथा विमानक्षेत्र सुविधाओं के विकास की लागत को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पहले वर्ष की धन्धे की राशि को अपने रख-रखाव पर खर्च करना

3561. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम को अपने पृथक वर्ष के धन्धे की प्रायः 95 प्रतिशत राशि को अपने रख-रखाव पर खर्च करना पड़ता है ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने रद्द हुई पालिसियों के नवीकरण द्वारा होने वाले लाभ की अपेक्षा करके नई पालिसियां देने पर अधिक जोर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). यह भारत तथा विदेशों में जीवन बीमा निगम की विशिष्टता है कि बीमा पालिसी के परवर्ती वर्षों के मुकाबले प्रथम वर्ष में प्रीमियम आय का एक काफी बड़ा भाग खर्च हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रथम वर्ष के संबंध में एजेंटों को उच्चतर दर से कमीशन अदा करने के अलावा, पालिसी के शुरू होने पर क्षेत्रीय संगठन, प्रचार, डाक्टरी जांच, पालिसी स्टाम्प आदि पर काफी खर्चा हो जाता है। जीवन बीमा निगम के प्रबंध व्यय के संबंध में निर्णय करने के लिये नवीकरण व्यय अनुपात का जो कानूनी फार्मूला है उसमें भी बीमा पालिसी के प्रथम वर्ष में उच्चतर व्यय को मान्य किया गया है। उक्त फार्मूले में यह बात मानी गई है कि जिन पालिसियों की प्रीमियम अदायगी की अवधि 12 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, उनके संबंध में नये कारोबार की लागत 90 प्रतिशत तक हो सकती है (अल्पतर अवधि की पालिसियों के लिए निम्नतर प्रतिशत अनुपात लागू होते हैं)। जीवन बीमा निगम के नये कारोबार की लागत 90 प्रतिशत से कम है। जहां जीवन बीमा निगम नये कारोबार के उच्च से उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है, वहां वह व्यपगत पालिसियों को फिर से चालू करने की कोशिश भी करता हैं। इस कोशिश में व्यपगत पालिसियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम की जमा रकमों के समायोजन के लिए विशेष अभियान की व्यवस्था भी शामिल है।

Decline in the price of Jute in Assam

3562. **Shri M. S. Purty :**
Shri Biswanarayan Shastri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether prices of jute in Assam have gone down considerably as a result of the freedom struggle in Bangla Desh and smuggling of jute from Bangladesh to India ; and

(b) if so, the measures taken by Government to check the fall in prices of jute in Assam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b). Jute prices in Assam had declined somewhat in October, 1971 owing to disruption in rail movement caused by the unprecedented flood and breaches to track. The State Trading Corporation of India had undertaken purchase operations in Assam to give price support. With the improvement in rail transport facilities and the operations of the STC, jute prices firmed up.

During the current season (1972-73) jute prices have been ruling very much above the minimum support level.

पटना हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार करने का प्रस्ताव

3563. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पटना हवाई अड्ड पर बढ़ते हुए यात्री-यातायात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये हैं ;

(ख) क्या सरकार वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पटना हवाई अड्डे की वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार की एक स्कीम विचाराधीन है ।

(ग) एक अलहदा आगमन कक्ष, सामान वितरण क्षेत्र, रेस्टोरेंट, प्रस्थान कक्ष, अति विशिष्ट महानुभाव कक्ष (वी० आई० पी० रूम), शौचालय, आदि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

3564. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के पिछले क्षेत्रों में बड़े पैमाने के एककों की स्थापना हेतु रियायती दरों पर वित्त देने के लिए औद्योगिक विकास निगम तथा औद्योगिक विकास बैंक से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, और यदि नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का विचार भविष्य में क्या कार्रवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). राज्य में बड़े कारखानों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर वित्त व्यवस्था के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से न तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को और न औद्योगिक वित्त निगम को उस प्रकार का कोई पत्र मिला है । फिर भी केन्द्रीय सरकार की पहल पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम ने 1970 में सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी राज्यों (मध्य प्रदेश सहित) और संघीय राज्य क्षेत्रों में पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के विस्तार/आधुनिकीकरण और स्थापना के लिये रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने के लिए योजनाओं की घोषणा की है । मध्य प्रदेश के 44 जिलों में से कुल मिलाकर 35 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले निर्दिष्ट किये गये हैं ।

अब तक इस योजना के अन्तर्गत उन परियोजनाओं को रियायतें दी जाती थीं जिनकी परियोजना लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक होती थी; अधिक बड़ी परियोजनाओं को यह रियायत चयनात्मक आधार पर दी जाती थी । योजना के संचालन से प्राप्त अनुभव को देखते हुए भारतीय औद्योगिक उत्पादन विकास बैंक ने पात्र एककों की परियोजनाओं की ऊपरी ऋण सीमाएं 1 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है । उससे बड़ी परियोजनाओं की वित्त पोषण के लिए पात्रता चयनात्मक आधार पर जारी रहेगी ।

आशा है औद्योगिक वित्त निगम भी शीघ्र ही अपनी योजना में संशोधन करेगा ।

Unearthing of Black Money in Bombay

3565. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of black money unearthed in Bombay during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The information about the value of unaccounted assets seized in the course of searches conducted by the Income-tax Department in Bombay in the last two years is as follows :

	Cash	Other valuable articles
	Rs.	Rs.
1971-72	39,01,560	18,87,402
1972-73 (Upto 28.2.73)	14,53,661	59,72,493

In addition to the above, the following items were seized, the value of which is yet to be determined :

1971-72

(i) 3,927 gold sovereigns.

(ii) 6.382 kgs. of gold.

1972-73

(i) 11 wooden boxes and 23 trunks containing silver ware.

(ii) 10 silver bars.

(iii) 2 trunks of silver.

(iv) 2 gold coins.

Black Money Unearthed in Delhi

3566. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of black money unearthed in Delhi during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The information about the value of unaccounted assets seized in the course of searches conducted by the Income-tax Department in Delhi during the last two years is as follows :

	Cash	Other valuable articles
	Rs.	Rs.
1971-72	4,06,532	26,86,992
1972-73 (Upto 28.2.73)	5,69,486	21,54,639

Visit of Indian Trade Delegation to Bahrain

3567. **Shri Chandu Lal Chandrakar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether an Indian Commercial delegation is expected to visit Bahrain shortly for promoting trade between India and Bahrain ; and

(b) if so, constitution of the delegation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) During the visit to Bahrain from 10-11th February 1973 by the Indian Delegation led by our Minister of External Affairs, it was agreed by both sides that there should be more frequent exchanges of Commercial delegations between the two countries to increase trade.

(b) The composition etc. of the Indian commercial delegation to visit Bahrain has not yet been decided.

केरल में निर्यात-प्रधान उद्योगों का विकास

3568. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में वर्ष 1973-74 के दौरान निर्यात-प्रधान उद्योगों का विकास करने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की मुख्य रूप रेखा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान इन उद्योगों के विकास के लिये कोई दीर्घ अवधि की योजना तैयार की है, और यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग). सरकार की यह नीति है कि उन उद्योगों के विकास के लिये प्रोत्साहन किया जाए जो निर्यातोन्मुखी हैं और औद्योगिक लाइसेंसों, पूंजीगत माल के आयात तथा विदेशी सहयोग से सम्बन्धित उनके आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी जाएं। निर्यातोन्मुखी उद्योगों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

चूंकि ऐसे उद्योगों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि इच्छुक उद्यमियों द्वारा इन सुविधाओं का किस सीमा तक लाभ उठाया जाता है, अतः न तो इनके लिये कोई दीर्घकालिक योजना तैयार करना सम्भव है और न ही यह बताना सम्भव है कि उन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी।

भारतीय रुई निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या

3569. **श्री अम्बेश :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम में, श्रेणीवार, कितने कर्मचारियों को भरती किया गया है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या आरक्षित कोटे से कम है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) भारतीय रुई निगम में भरती किये गये कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ग 1	——	26
वर्ग 2	——	29
वर्ग 3	——	207
वर्ग 4	——	32

(ख) प्रत्येक श्रेणी में भरती किये गये अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ग 1 तथा 2	——	कोई नहीं ।
वर्ग 3	——	30 अनुसूचित जाति
वर्ग 4	——	10 अनुसूचित जाति 1 अनुसूचित जनजाति

(ग) जी हां । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को भरती करने के प्रयासों के बावजूद भारतीय रुई निगम ऐसे अधिकारियों के आरक्षित कोटे को पूरा नहीं कर सका है । भारतीय रुई निगम इस मामले को विचारार्थ अपने निदेशक बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर रहा है ।

विभिन्न देशों को जूतों का निर्यात

3570. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान जूतों का निर्यात किया गया तथा इस अवधि में प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या इनमें से कुछ जूतों को घटिया स्तर का घोषित किया गया था ;

(ग) क्या निर्यात के पूर्व राज्य व्यापार निगम द्वारा उनकी जांच-पड़ताल की जाती है ; और

(घ) घटिया स्तर के जूतों का निर्यात करने के लिये उत्तरदायी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देशों के नाम तथा साथ ही उन देशों में से प्रत्येक से अर्जित विदेशी मुद्रा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०- 4527/73**]

(ख) जो जूते सप्लाई किये गये थे वे सामान्यतः स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने के रूप में स्वीकार किये गये थे । सप्लाई के बाद विदेशी खरीदारों से जो दावे प्राप्त हुए हैं वे 1 प्रतिशत से कम हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) पूर्तिकर्ताओं से दावों की प्रतिपूर्ति करा ली गई थी ।

विभिन्न राज्यों को आवंटित पावरलूम

3571. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को वर्षवार कितने पावरलूम का आवंटन किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी

राज्य को रुई तथा कृत्रिम रेशम के शक्तिचालित करघे आवंटित नहीं किये गये हैं। तथापि, वर्ष 1971 तथा 1972 के दौरान कुछ राज्यों को ऊनी शक्तिचालित करघे आवंटित किये गये हैं, जिनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है ;

राज्य	आवंटित ऊनी शक्तिचालित करघे	
	1971	**1972**
1. उत्तर प्रदेश	288	60
2. मध्य प्रदेश	96	24
3. बिहार	48	60
4. जम्मू तथा काश्मीर	...	12
5. उड़ीसा	...	24
6. आसाम	...	12
7. मेघालय	...	12
8. अरुणाचल प्रदेश	...	12
9. त्रिपुरा	...	12
10. हरियाणा	144	...
योग	576	228

ब्रिटिश व्यापार दल द्वारा भारत का दौरा

3572. **श्री एम० संजीवी राव : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन का एक व्यापार दल सम्भवतः भारत का दौरा करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के दौरे का उद्देश्य क्या होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। बरमिंघम चेम्बर्स आफ कामर्स द्वारा प्रायोजित एक ब्रिटिश व्यापारी मिशन भारत में पहुंचा है।

(ख) मिशन का एक मुख्य उद्देश्य संयुक्त उद्यमों तथा सहयोग प्रबन्धों को प्रोत्साहन देना था।

एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी के कलकत्ता, नान-रेजिडेन्ट कन्ट्रोलिंग शेयरों की बिक्री

3573. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 'नान-रेजिडेंट कन्ट्रोलिंग शेयरों' की बिक्री के बारे में हुई केट्टो एण्ड कम्पनी, लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या सरकार का विचार एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड को अपने नियंत्रण में लेने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

Use of Imported Cars in Government of India Offices

3574. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the Ministries, departments and institutions of Government of India which are using imported cars ;

(b) the number of such cars being used by each of them ; and

(c) the additional number of cars proposed to be imported ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). The information is being collected from the various Ministries and will be placed on the Table of the House as soon as possible. According to the information collected sometime back, the number of imported cars in use by the Central Government Ministries and offices in March, 1972 was 258, including 17 Jeeps/Station Wagons and one Van.

एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग के लिये प्रस्ताव

3575. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री बेकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग के लिये कोई प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्य एशियाई देशों से परामर्श कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आधार पर क्रियान्विति के प्रति उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). क्षेत्र के देशों के बीच निकटतर आर्थिक सहयोग के लिये एशिया तथा सुदूरपूर्व हेतु आर्थिक आयोग (इकाफे) के तत्वावधान में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। भारत सरकार सहित अनेक सरकारों ने इनमें से बहुत से कदमों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

जूट के कालीन के असतर पर निर्यात शुल्क कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव

3576. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इससे जूट के कालीनों का निर्यात करने में सहायता मिलेगी और इसके तदनुरूप

विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). निर्यात निष्पादन तथा निर्यात शुल्कों के भार का बराबर पुनर्विलोकन किया जाता है ।

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार वार्ता

3577. **श्री पीलू मोदी :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार की मंत्रि-परिषद ने भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध सुधारने के लिये बातचीत शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या ऐसी बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का परिणाम क्या रहा तथा वे देश भारत के हितों की रक्षा किस प्रकार करना चाहते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1972 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मंत्रि-परिषद ने भारत के साथ एक व्यापार करार करने के लिये वार्ता शुरू करने हेतु सिद्धान्त रूप में विनिश्चय किया । समुदाय द्वारा आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त अभी तैयार किये जाने हैं ।

Gold Seized from a 'Mahant' by Customs Officials at Varanasi

3878. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Hindustan' (Hindi) dated the 15 February, 1973 that the customs authorities have recovered gold worth more than Rs. 3 lakhs from a 'Mahant' of a Math and his associates at Varanasi ;

(b) whether Government have investigated the source from which this gold was received by them, if so, the outcome thereof ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Government has seen the news item published in the 'Hindustan' dated the 15th February, 1973. Gold valued at about Rs. 3.6 lakhs has been seized from a 'Mahant' of a Math and his associate at Varanasi.

(b) The source of gold is still being investigated.

(c) The Mahant and his associate were arrested and later bailed out by the Magistrate. Further investigations are in progress.

तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिये बनाये गये पंडालों में एक विश्व मेला आयोजित करने का प्रस्ताव

3579. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री लालजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिये बनाये गये पंडालों में एक विश्व मेला आयोजित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

जूट पर से निर्यात शुल्क समाप्त करना

3580. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री एम० बी० कृष्णप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट फैबरिक्स शिपर्स एसोसियेशन ने हाल ही में अनुरोध किया है कि जूट पर से निर्यात शुल्क समाप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). प्रैस समाचारों से पता चलता है कि इस प्रकार की मांग एसोसियेशन ने फरवरी, 1973 में अपनी गोष्ठी के दौरान की थी । सरकार को इस गोष्ठी की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

चिथड़ा काण्ड

3581. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथा कथित चिथड़ा काण्ड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच पड़ताल कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपने निष्कर्ष कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच अभी लम्बित पड़ी है तथा यह बताना संभव नहीं है कि वे अपने निष्कर्षों को कब प्रस्तुत कर सकेंगे ।

दिल्ली में कृषकों द्वारा धन कर का भुगतान

3582. **श्री दलीप सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उन कृषकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1972 में धन कर का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने धन-कर का भुगतान किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) तिरासी।

(ख) तीन

विदेशी ऋण की अदायगी के लिए मोहलत का दिया जाना

3583. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ऋण की अदायगी के लिये मोहलत दिये जाने का सुझाव सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) सरकार विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी के अधिस्थगन को न तो आवश्यक समझती है और न ही वांछनीय।

(ख) भारत ने विदेशी ऋणों से संबंधित अपनी देनदारियों को उसकी शर्तों के अनुसार पूरा किया है और इसके कारण संसार में भारत की साख बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, गत कुछ वर्षों में मित्र देशों से ऋण-राहत प्राप्त की गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक को विद्युत योजना (पावर प्लान) भेजना

3584. **श्री गिरिधर गोमांगो**:
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक को 1700 करोड़ रुपये की बिजली योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या विश्व बैंक ने योजना स्वीकार कर ली है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी ऐसी कोई आयोजना विश्व बैंक को उससे सहायता प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत नहीं की गयी है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के एकक

3585. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सरकारी क्षेत्र के कितने एकक चल रहे हैं ; और

(ख) उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां पर स्थित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). माननीय सदस्य शायद गुजरात राज्य में स्थित निर्माणकारी एककों के सम्बन्ध में सूचना जानना चाहते हैं। गुजरात में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के ऐसे एककों की सूची अनुबन्ध में दी गयी है।

विवरण

गुजरात में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उत्पादनकारी एकक

1. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	अंकलेश्वर खम्भात, अहमदाबाद, नवागांव आदि में तेल के क्षेत्र
2. भारतीय तेल निगम	जवाहर नगर, बड़ौदा, में तेल शोधक कारखाना
3. भारतीय पेट्रो-कैमिकल निगम	एयरोमैटिक एकक बड़ौदा
4. माडर्न बेकरीज	अहमदाबाद
5. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	प्रोटो तकनीकी केन्द्र, राजकोट
6. हिन्दुस्तान साल्ट्स	खारगोडा नमक साधन

राजस्थान के वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों को रियायती आधार पर ऋण देने के बारे में प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

3586. **श्री हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की उत्तरी क्षेत्रीय समिति को दिये गये ज्ञापन में यह मांग की है कि यदि बड़े पैमाने के उद्योग राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं तो देश में वित्तीय संस्थानों को उन्हें भी रियायती आधार पर ऋण देना चाहिए और उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि राजस्थान के पिछड़े जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कम की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में की गई मांग संक्षेप में क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में की गयी मांगों में बड़े पैमाने के एककों की स्थापना के लिए रियायती वित्त

व्यवस्था, एकक के आकार को ध्यान में न रखकर पात्र एककों का तत्काल वित्तपोषण करना, आस्थगित अदायगी गारंटी के लिए सुविधाएं देने के लिए मार्जिन सम्बन्धी आवश्यकताओं में कमी करना, आस्थगित अदायगियों पर मशीनों की सप्लाई की हुंडियों के फिर से भुनाने के लिए 50 लाख रुपये की सीमा में छूट देना और ब्याज की दर में और कमी करना शामिल है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पिछड़े क्षेत्रों में खोले जा रहे उद्योगों के लिए दी गयी रियायती सुविधाओं की लगातार समीक्षा करता है। दिसम्बर, 1971 में उन वर्तमान औद्योगिक एककों पर भी जिनमें पर्याप्त विस्तार कार्य किया जा रहा है रियायती प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त सुविधा योजना लागू की गयी थी। पिछले महीने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए उद्यमकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से और रियायतें दी हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित अब तक एक करोड़ रुपये के बजाय 3 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत की सभी परियोजनाओं को रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। अधिक बड़ी परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त पोषण के सवाल पर विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायगा।

यह भी फैसला किया गया है कि राज्य रियायती पुनर्वित्त योजना की सीमा को वित्तीय निगमों और बैंकों जैसी पात्र संस्थाओं के लिए 20 लाख रुपये के बजाय 30 लाख रुपये तक कर दिया जाय ताकि वे पिछड़े क्षेत्रों में लघु और मध्यम आकार की परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे सकें। अलग अलग मामलों के गुणावगुणों के आधार पर पुनर्अदायगी प्रतिभूति सम्बन्धी मार्जिनों ऋण सामान्य शेयर पूंजी के अनुपात और हामीदारियों की सीमा आदि के रूप में छूट भी दी जाती है।

हुंडी पुनः शोधन योजना के अन्तर्गत सुविधाएं प्राधान्यतः देसी मशीनों के निर्माताओं की सहायता के लिए तैयार की गयी हैं और प्रत्यक्ष वित्त पोषण और पुनर्वित्त के माध्यम से रियायती वित्तपोषण पुनः अदायगी की लम्बी अवधियों में उदार ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में उद्यम कर्ताओं की सहायता के लिए हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अलग अलग परियोजनाओं पर गुणावगुणों के आधार पर विचार करता है और उसका प्रयास पात्र एककों को तुरन्त सहायता देने के सम्बन्ध में होता है बशर्ते कि आवश्यक सूचना दी जाय और परियोजनाएं तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक सक्षमता की कसौटी पर खरी उतरती हों।

अर्थव्यवस्था में वर्तमान ब्याज दर ढांचे का विचार करते हुए पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों से रियायती वित्त योजना के अन्तर्गत इस समय लिये जा रहे ब्याज की 7 प्रतिशत की प्रभावी दर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सामान्य ब्याज दर के मुकाबले में अधिक नहीं मानी जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का यह विचार है कि इसमें और कमी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी पाठक समिति

3587. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं की जांच करने

के लिए सरकार द्वारा नियुक्त पाठक समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में स्थापित की गयी सरकारी उद्यमों की कार्यवाही समिति, इन उद्यमों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के अलावा, औद्योगिक सम्बन्धों जैसे कुछ कार्य के क्षेत्रों की भी देखभाल करती है । औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में इसने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग). यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति हेतु कर्मचारियों के चयन के लिये प्रक्रिया में परिवर्तन

3588. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कर्मचारियों के चयन की वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस नई प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं जिसका पालन किया जायेगा और वर्तमान प्रक्रिया की तुलना में इसमें क्या परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) क्या नई प्रक्रिया बनाते समय सरकार ने टैक्नोलोजोविज्ञ को वरीयता देने और रिक्त स्थान होने की स्थिति में सम्बन्धित यूनिटों को अपनी बात कहने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के चुनाव की प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जाती है और इस संदर्भ में कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। ये प्रस्ताव, अन्य सभी बातों के साथ साथ, सर्वोच्च तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों की चुनाव प्रक्रिया में सुधार, कर्मचारी नीतियों के क्षेत्र में, सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों को अधिक शक्तियां देने, वैज्ञानिक प्रबन्ध विकास आयोजनाओं को अपनाने आदि के सम्बन्ध में हैं । इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय किया जाना बाकी है ।

दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान तौल और माप अधिनियम के उल्लंघन के मामले

3590. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान तौल तथा माप अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा दोषी ठहराया गया ; और

(ग) इस प्रकार दोषी ठहराये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार की सजा दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). गत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या 2,358 और दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या 1,631 थी।

(ग) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4528/73**]

Proposal to introduce Technical Improvements in Khadi and Village Industries

3591. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce certain technical improvements is Khadi and Village industries ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b). Improved implements, such as new model charkha sets, new model sevagram looms, pre-weaving processes and equipment, improved silk waste spinning units, power operated ghanis and dehuskers, polishers, and composite units, kilns, and gobar gas plants etc. have been or are being introduced. Improved processing techniques are also being evolved and introduced after prior tests. In all this it is being especially ensured that the adoption of such improved technology does not result in displacement of, or to the detriment of labour.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में पूंजी निवेश तथा उसके द्वारा अर्जित लाभ

3592. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में कुल पूंजी निवेश कितना हुआ है ; और

(ख) निगम ने गत तीन वर्षों में कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 4.5 करोड़ रु०।

		(करोड़ रु० में)
(ख)	1969-70	0.61
	1970-71	1.94
	1971-72	5.39

विदेशों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये उपाय

3593. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में "ऐट्रैक्टिंग

टूरिस्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित, भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिये एयर फ्रांस के महा-प्रबंधक श्री क्लोडे पाइन्यू के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । इनमें से कुछ समस्याएं पहले से ही सरकार का ध्यान आकृष्ट किये हुए हैं, और जो कुछ भी व्यवहार्य रूप से संभव है किया जा रहा है ।

एग्रीकलचर मशीनरी डीलर्स एण्ड मैन्यूफैक्चरर्ज एसोसिएशन से ज्ञापन

3594. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एग्रीकल्चर मशीनरी डीलर्स एण्ड मैन्यूफैक्चरर्ज एसोसियेशन आफ इण्डिया ने अपने ज्ञापन में सरकार से अनुरोध किया है कि बहुविध कराधान नीति में छूट दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश); (क) संघ से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि (क) (i) ट्रैक्टरों के आयातित निर्माणक हिस्सों पर सीमाशुल्क से, (ii) देश में निर्मित ट्रैक्टरों पर उत्पादनशुल्क से, तथा (iii) ट्रैक्टरों पर विक्रय कर से राहत दी जाय और (ख) सम्पूर्ण ट्रैक्टर्स पर आयात-शुल्क में वृद्धि की जाय ताकि उन पर लगने वाला शुल्क मोटर गाड़ियों पर लगने वाले शुल्क के बराबर हो जाय ।

(ख) संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

Collection from Estate Duty

3595. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons in various States on whom Estate Duty was levied during the years 1969 to 1972 and the amount recovered as a result thereof ;

(b) the number of pending cases and the reasons therefor ; and

(c) whether Government are formulating any scheme to expedite decisions in such cases and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The number of persons in various States on whom estate duty was levied during the financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 and the Estate Duty collected during those years are as follows :—

(In Crores of Rs.)

Financial Year	Number of assessments completed	Collections
1	2	3
1969-70	23,466	6.94
1970-71	24,956	7.86
1971-72	26,942	9.11

(b) The number of pending cases as on 31.1.1973 was 13,644. The reasons for pendency are as under :—

(1) Delay in finalisation of probate proceedings ;

(2) Dispute among the accountable persons ;

(3) Dispute relating to various assets left by the deceased ;

(4) Time taken for scrutinising the income-tax, wealth-tax and gift-tax records of the deceased ;

(5) Valuation of assets especially in cases where the deceased had shares in controlled companies ;

(6) Complaints and petitions in certain cases requiring detailed investigations ; and

(7) Increase in number of cases.

(c) The Controllers of Estate Duty have been requested to draw up time-bound programme for liquidation of old cases. The adequacy of the strength of the Assistant Controllers of Estate Duty is being examined.

बिहार के चम्पारन जिले को केन्द्रीय पर्यटन केन्द्रों की सूची में सम्मिलित किया जाना

3596. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के चम्पारन जिले में बुद्ध स्तूप और अशोक स्तम्भ जैसे बहुत से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अपनी पर्यटन केन्द्रों की सूची में सम्मिलित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). सरकार को चम्पारन जिले में पर्यटन रुचि के स्थानों की जानकारी है, किन्तु साधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण वे फिलहाल इस क्षेत्र के लिये विनियोजनों को पर्यटन विकास की केन्द्रीय योजना में सम्मिलित करने की स्थिति में नहीं है ।

मुजफ्फरपुर होकर कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता तक की उड़ानों को नियमित करने का प्रस्ताव

3597. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर होकर कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता तक की उड़ानें नियमित नहीं हैं ;

(ख) क्या 15 अथवा 16 फरवरी, 1973 को दिल्ली के लिये उड़ान को अचानक रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ानों को नियमित करने के लिये सरकार का क्या प्रभावकारी कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). मुजफ्फरपुर से होती हुई दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच की उड़ानें काफी नियमित हैं। तथापि, इण्डियन एयरलाइन्स सेवाओं की समय-निष्ठता तथा नियमितता में सुधार करने का भरसक प्रयत्न कर रही है ।

(ख) 15 फरवरी, 1973 को मुजफ्फरपुर के मार्ग से कलकत्ता से दिल्ली की उड़ान सं० 412 रद्द नहीं की गयी थी। 16 फरवरी को, इस उड़ान को मुजफ्फरपुर में नहीं रुकना था।

अमरीकी व्यापार दल का भारत का दौरा

3598. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के वाणिज्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में अमरीका से उच्च अधिकारियों का व्यापार दल व्यापार सम्बन्धी बातचीत के लिये हाल में भारत आने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल के साथ किन विशिष्ट विषयों पर चर्चा की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख). यह पता चला है कि अमरीका के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ अमरीका के रेलवे उपस्कर निर्माताओं के प्रतिनिधियों का एक वाणिज्यिक मिशन भारतीय रेलवेज के लिए अमरीकी उपस्करों की बिक्री बढ़ाने हेतु 2 अप्रैल, 1973 से दो सप्ताह के लिए भारत के दौरे पर आ रहा है।

समुद्री किनारे के स्थलों के विकास की योजनायें

3599. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये 1973-74 में समुद्री किनारे के स्थलों के विकास के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1973-74 के दौरान केरल में कोवालम का विकास जारी रहेगा, तथा गोआ और महाबलिपुरम् में इन सुविधाओं की आयोजना का कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इस विकास कार्यक्रम की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण 'राष्ट्र संघ विकास आयोजना—समुद्रतटीय बिहार-स्थल विकास सर्वेक्षण दल' की रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा जिसके जुलाई, 1973 में प्राप्त हो जाने की आशा है।

केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्री एसोसिएशन की गोष्ठी

3600. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्री एसोसियेशन की कोचीन में हाल में हुई तीन दिवसीय गोष्ठी में कोचीन में निर्बाध व्यापार पत्तन बनाने तथा इसके आसपास के क्षेत्र को निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्री एसोसियेशन से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेलगांव और मंगलौर होकर बंगलौर से बम्बई और बम्बई से बंगलौर तक उड़ानें

3602. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बेलगांव और मंगलौर होकर बंगलौर से बम्बई तथा बम्बई से बंगलौर तक उड़ानें प्रायः निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो पाती ;

(ख) इन उड़ानों में प्रायः असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) जनवरी और फरवरी, 1973 में कितनी बार इन उड़ानों में देरी हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जनवरी तथा फरवरी, 1973 के दौरान नीचे दिये गए विभिन्न कारणों से इस मार्ग पर 127 उड़ानें देर से हुई तथा 12 रद्द की गयीं :—

क्रम सं०	कारण	देर से की गयी उड़ानें	रद्द की गयी उड़ानें
1.	इंजीनियरी	7	—
2.	वाणिज्यिक (यातायात, खान-पान तथा सुरक्षा जांच)	2	—
3.	परिचालन	2	—
4.	परिवहन	—	—
5.	मौसम	—	—
6.	परिणामी	110	10
7.	विविध	6	1
8.	विमान यातायात नियंत्रण	—	1
	कुल	127	12

देरी से हुई 127 उड़ानों में से, 110 परिणामी थीं। यह इस कारण है कि विमान बेड़े के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से विमान को प्रतिदिन कई उड़ानों का परिचालन करना पड़ता है। अतः यदि किसी विमान को इसके मूल प्रस्थान स्टेशन पर अथवा मध्यवर्ती स्थान पर किसी कारण देरी हो जाती है तो अन्य उड़ानें और/अथवा इस विमान द्वारा परिचालित सेक्टर इसके परिणामस्वरूप विलंबित हो जाते हैं अथवा रद्द भी कर दिये जाते हैं।

बम्बई के लिए जल सप्लाई और मल निकासी परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

3603. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर के लिए जल सप्लाई और मल निकासी परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कुल लागत कितनी है तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). भारत सरकार ने बम्बई नगर की जल-पूर्ति व्यवस्था का विस्तार करने और मलनिकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिये सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से विश्व बैंक समूह के सम्मुख एक परियोजना रखी है। परियोजना के पहले चरण की कुल लागत जिसका मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा किया गया है, 121 करोड़ रुपये आंकी गई है और इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 50 लाख डालर (लगभग 38 करोड़ रुपये) की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

गत तीन वर्षों में ड्यूटी के दौरान मारे गये विमान-चालक

3604. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विमानों में कार्य करते समय कितने विमान चालक मारे गए ;

(ख) उनके नाम तथा उनकी मृत्यु की तिथियां क्या हैं तथा उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और यदि हां, तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान अनुसूचित सेवाओं, अनुसूचित उड़ानों अथवा हवाई छिड़काव में लगे विमानों की घातक दुर्घटनाओं में 9 विमान चालकों तथा 7 सह-विमानचालकों की मृत्यु हो गई। उनके नाम, आदि, देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) यद्यपि यह संभव नहीं है कि, दुर्घटनायें न हो, किन्तु जब कभी दुर्घटना होती है तो उसकी विस्तृत जांच की जाती है तथा जांच की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर उचित कार्यवाही की जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	दुर्घटना की तारीख तथा स्थान	परिचालक का नाम	विमान चालक का नाम	सह-विमानचालक का नाम
1970				
1.	25-1-1970 को पालम के निकट	रॉयल नेपाल एयरलाइंस कारपोरेशन	कैप्टन एम० एम० बुल्सारे	—
2.	29-8-1970 को सिलचर के निकट	इण्डियन एयरलाइंस	कैप्टन जी० सी० दत्त	एन० वी० एस० रेड्डी
3.	5-12-1970 को सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट	जामेयर कं०	कैप्टन जी० बी० मेहता	एस० एस० सहगल
4.	19-12-1970 पन्तागढ़	एरोफ्लोट	कैप्टन स्कोक	पता नहीं

क्रम संख्या	दुर्घटना की तारीख तथा स्थान	परिचालक का नाम	विमान चालक का नाम	सह-विमानचालक का नाम
1971				
5.	26-3-1971 को हाशीमारा के निकट	जामेयर कं०	कैप्टन एस० के० दत्त	तारा चन्द
6.	9-12-1971 को मदुरै के निकट	इण्डियन एयरलाइंस	कैप्टन के० एल० रेड्डी	एस० एल० अग्रवाल
1972				
7.	14-6-1972 को दिल्ली के निकट	जापान एयरलाइन्स	कैप्टन ईगाराशी	यामामोटो
8.	11-8-1972 को पालम के निकट	इण्डियन एयरलाइंस	कैप्टन जे० एम० थापर	मुखत्यार सिंह
9.	14-10-1972 को अबोहर	अग्रीकलचरल एवियेशन लि०, बम्बई	आर० सी० गुप्ता	—
		कुल	9 विमानचालक	7 सह-विमानचालक

Improvement in Sound Proofing of Control Tower of Palam Aerodrome

3605. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 879 on the 17th November, 1972 and state :

(a) whether work to improve the sound proofing of the control tower of Palam Aerodrome has since been started ;

(b) if so, the time by which it is likely to be completed ; and

(c) the estimated expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) By the end of April 1973.

(c) Rs. 3,500/- approximately.

ऊन के निर्यात में वृद्धि

3606. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से अक्तूबर 1972 की सात मास की अवधि में 28.11 करोड़ रुपये के मूल्य की ऊन और ऊनी सामान का निर्यात किया गया था जो गत वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 7.68 करोड़ रुपये अधिक है ;

(ख) क्या 1972 में इसी अवधि में ऊनी चिथड़ों का आयात किया गया था ; और

(ग) यदि हां,तो आयातित चिथड़ों का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह मद आयात आंकड़ों के प्रयोजन के लिए वर्गीकृत नहीं की गई है ।

पश्चिम जर्मनी से ऋण

3607. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने वर्ष 1972-73 के लिए भारत को 6328 करोड़ रुपयों की सहायता दी है ;

(ख) क्या इस ऋण सहायता से सम्बन्धित करार, पूर्व वर्षों में हुए करारों की तुलना में, अधिक उदार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी विशेष बात क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण : (क) जी, हां । 63.28 करोड़ रुपयों में से 58.308 करोड़ रुपये ऋणों के रूप में तथा शेष 4.972 करोड़ रुपये सहायक अनुदानों के रूप में हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 36.16 करोड़ रुपयों के ऋणों के सम्बन्ध में, जिनका उपयोग निर्यात सम्बन्धी नयी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जाना है, रियायती अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गयी है तथा ब्याज की वार्षिक दर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दी गयी है। 22.148 करोड़ रुपये की शेष ऋण-राशि के सम्बन्ध में जो ऋण राहत की द्योतक है, ऋण की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गयी है तथा रियायती अवधि (जो ऋण की अवधि में शामिल है) 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गयी है ।

पटसन उद्योग को वित्तीय राहत

3608. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने, अमरीकी डालर के अवमूल्यन के उपरांत पटसन उद्योग को वित्तीय राहत दिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारतीय पटसन मिल्स संघ के अध्यक्ष ने एक प्रेस वक्तव्य में यह विचार प्रकट किए बताते हैं कि अमरीकी डालर के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप भारतीय पटसन की वस्तुओं को जिन पर संश्लिष्टों से पहले ही काफी दबाव पड़ रहा है, काफी तेजी से प्रति-वस्तुओं के बनने का खतरा उत्पन्न हो गया है और सुझाव दिया है कि कालीन अस्तर और हैसियन पर लगे वर्तमान निर्यात शुल्क को हटा देना चाहिए । सरकार ने इन सुझावों को नोट कर लिया है ।

मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के बारे में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा दिये गये सुझाव

3609. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 फरवरी, 1973 को कलकत्ता में हुए आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के

29 वें अधिवेशन में मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के बारे में ; किए गए निर्णयों के आधार पर कुछ सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका सार और रूपरेखाएं क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार को आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कोई ज्ञापन नहीं मिला है। लेकिन सरकार की नजर में आने वाली किसी भी प्रकाशित सूचना पर, आर्थिक नीतियां तैयार करते समय यथोचित ध्यान दिया जाता है।

नई दिल्ली की हथकरघा सोनारू दुकानों के विरुद्ध जांच पड़ताल

3610. **श्री पी० के० देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैण्डलूम एण्ड हैण्डी क्राफ़्ट्स दिल्ली एक्सपोर्टव कारपोरेशन ने नई दिल्ली में अशोका होटल में और अकबर होटल में सरकारी क्षेत्र में दो 'सोना' दुकानें खोली हैं ;

(ख) क्या अशोका होटल की 'सोना' दुकान से हजारों रुपये के गोल माल का हाल ही में पता लगा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और गोल माल के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). स्टाक के अद्यतन वार्षिक सत्यापन के दौरान 9000 रु० मूल्य के स्टाक की विसंगति पाई गई है। विसंगति का मिलान किया जा रहा है तथा इसके पूरा हो जाने पर ही अन्तिम आंकड़े ज्ञात हो पायेंगे।

दिल्ली में गैर सरकारी वित्तीय कम्पनियां

3611. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या पिछले कुछ दिनों से उनसे अनेक वित्तीय कम्पनियों का दिवाला निकल गया है और क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन कम्पनियों में जमा की गई निजी राशि सुरक्षित रहे, यदि कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है, तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गैर-परम्परागत भारतीय उत्पादों का निर्यात

3612. **श्री पी० के० देव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 जनवरी, 1973 के इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि गत वर्ष गैर-परम्परागत भारतीय उत्पादों का सन्तोषजनक निर्यात नहीं हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समाचार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में गैर-परम्परागत वस्तुओं के वर्षवार निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का मुख्य ब्यौरा क्या है और निर्यात आय उत्तरोत्तर कैसे कम हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात के रुखों पर सूक्ष्म निगरानी रखी जाती है और यदि तथा जब भी आवश्यकता होती है, चुने हुए गैर-परम्परागत उत्पादों को प्रतिकर समर्थन और निर्यात कार्यों के लिए अन्य वित्तीय सहायता प्रबन्ध करने के लिए वर्तमान तन्त्र तथा प्रबन्धों को सुदृढ़ तथा सुप्रवाही बनाया जा रहा है। क्षमता पर लगे प्रतिबन्धों को दूर करके निर्यात उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। निर्यातकों को आयातित कच्चे माल की सप्लाई भी प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के माध्यम से की जाती है। भारतीय गैर-परम्परागत वस्तुओं के लिए नये बाजारों की खोज की जा रही है।

(ग) गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यातों से 1969-70 में 502.5 करोड़ रुपये, 1970-71 में 592.3 करोड़ रुपये तथा 1971-72 में 540.3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। जिन मुख्य गैर-परम्परागत मदों की निर्यात आय में कमी आई है वे निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	वस्तुएं	1969-70	1970-71	1971-72
1.	इन्जीनियरी माल	102.5	130.4	118.4
2.	लौह अयस्क	94.6	117.3	104.7
3.	लोहा तथा इस्पात	64.2	67.2	25.6
4.	रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद	22.2	29.4	27.6

इस्पात की निरन्तर कमी, बढ़ती हुई आन्तरिक मांग तथा उसके फलस्वरूप कीमतों तथा लागतों में वृद्धि, इन सभी कारणों से विदेशों में इंजीनियरी उत्पाद सामान्यतः कम प्रतियोगी बन गये जिससे अधिक निर्यात लगातार नहीं हो सका। इस्पात के निर्यातों को भी बढ़ती हुई आन्तरिक मांग तथा इस्पात के कम उत्पादन के कारण धक्का लगा। जापान इस्पात उद्योग में मंदी के परिणामस्वरूप कम मांग, उत्पादन का प्रत्याशित स्तर प्राप्त करने में असफलता तथा पूर्वी क्षेत्र में परिवहन सम्बन्धी बाधाओं से लौह अयस्क के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

बैंक ऋणों के माध्यम से गारन्टी कवर स्कीम

3613. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बलपुर और ढेकानाल जिलों में बैंक ऋणों के माध्यम से गारंटी कवर स्कीमें और अन्य विस्तार प्रयास वहां के छोटे किसानों के लिए उदारता से सुलभ कर दिए हैं ;

(ख) वर्ष 1972-73 में बैंकों के माध्यम से इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में 1973-74 के दौरान किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) लघु ऋण जमा गारण्टी योजना, 1971 के अन्तर्गत, सभी पात्र छोटे किसानों को, जिनमें उड़ीसा के सम्बलपुर और ढेंकानाल जिलों के किसान शामिल हैं, दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी की सुविधा प्राप्त है।

(ख) सम्पूर्ण देश में किसानों और कृषकों को गारण्टी शुदा अग्रिमों के रूप में दिये गये अग्रिमों की रकम जून, 1971 में 553.1 लाख रुपये थी जो बढ़कर जून, 1972 में 11,080.43 लाख रुपया हो गयी। उड़ीसा के सम्बन्ध में तदनुरूप रकमें 11.87 लाख रुपये और 45.97 लाख रुपये थे। इन दोनों जिलों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ढेकानाल जिले के लघु कृषक विकास अभिकरण ने जिले के छोटे किसानों की सहायता के लिए दुग्धशाला, मुर्गीपालन, बागवानी, खुदे कुओं के निर्माण, आदि के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं तैयार की हैं। वाणिज्यिक बैंक अभिकरण द्वारा चुने गये कृषकों को सहायता देंगे। कुछ बैंकों ने, दुग्ध शाला कार्य शुरू करने के लिए जर्सी किस्म की गाय खरीदने के लिये, जिले के कृषकों को पहले ही सहायता दी है। ये बैंक, खेती बाड़ी के खर्चों, जमीन के विकास, कुएं लगाने आदि के उद्देश्य से कृषकों की सहायता के लिए बनाई गई, अपनी सामान्य योजनाओं के जरिये छोटे किसानों के लिए वित्त व्यवस्था भी करेंगे।

भारत-जापान के मध्य विमान सेवा करार

3614. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान के बीच कोई नया विमान सेवा करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तैयार चमड़े की सप्लाई के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्तर कोरिया के साथ किया गया ठेका

3615. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 3.24 करोड़ रुपयों के मूल्य के तैयार चमड़े की सप्लाई के लिए उत्तर कोरिया के साथ ठेका किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ठेके के अन्तर्गत कुल कितना तैयार चमड़ा निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 90 लाख वर्ग फुट।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद तथा बिक्री पर नियंत्रण रखने और पटसन से तैयार माल का निर्यात करने का प्रस्ताव

3618. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन कर्मचारियों के नेशनल यूनियन ने सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य

व्यापार निगम को कच्चे पटसन की खरीद और बिक्री और पटसन से तैयार उत्पादों के निर्यात पर नियंत्रण रखना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपने प्रस्ताव के समर्थन में क्या कारण दिये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि पटसन कर्मचारियों की नेशनल यूनियन ने 29 अगस्त, 1972 को हुई अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में ये सुझाव दिए हैं।

(ख) अपनी प्रस्थापना के समर्थन में उनके द्वारा जो कारण बताया गया वह सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना था।

(ग) ऐसी आशा है कि भारतीय पटसन निगम कुछ वर्षों में कच्चे पटसन के सारे व्यापार को अपने हाथ में लेने की स्थिति में होगा।

बैंकिंग विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय पाठ्यक्रम संगठन

3619. **श्री प्रसन्भाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान के सहयोग से बैंकर्स प्रशिक्षण कालेज द्वारा 15 जनवरी, 1973 को बम्बई में बैंकिंग विकास सम्बन्धी सात-सप्ताह के एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था ;

(ख) क्या उक्त पाठ्यक्रम में कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भी भाग लिया था ; और

(ग) इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस पाठ्यक्रम से इस देश को कैसे सहायता मिली है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां। पाठ्यक्रम का आयोजन 15 जनवरी से 3 मार्च, 1973 तक किया गया था।

(ख) भारत के अलावा, एशिया और अफ्रीका के 14 देशों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया था।

(ग) पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये थे :—

1. विकास बैंकिंग की तकनीकों और समस्याओं पर विशेष रूप से औद्योगिक परियोजनाओं का पता लगाने, उनका मूल्यांकन, वित्त प्रबन्ध और औद्योगिक पर्यवेक्षण करने के संदर्भ में विचार विमर्श करना।

2. भाग लेने वाले देशों में विकास बैंकों में काम करने वाले मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के चुने हुए दलों को साधन स्थिति सीमाओं आदि जैसी विकास बैंकों के सामने आने वाली कार्यचालन सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने का अवसर देना।

3. अपने लक्ष्यों उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में विकास बैंकों की प्रबन्ध सम्बन्धी मुख्य समस्याओं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अत्यंत उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे और नीति और

इन बैंकों के प्रभावकारी कार्यचालन के लिए आवश्यक प्रबन्ध नियंत्रण और सूचना प्रणालियों के स्वरूप पर भी गहराई से विचार करना।

पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले भारतीयों और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञों को भाग लेने वाले अन्य देशों में उनके प्रतिरूपों के अनुभवों के बारे में सीखने का अवसर प्रस्तुत किया। इस प्रकार के पाठ्यक्रम जिनमें तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाता है हमेशा भाग लेने वालों के लिये लाभदायक होते हैं। उनसे उनकी जानकारी में बृद्धि होती है और उनमें अपना काम अधिक कुशलता से करने की भावना आती है।

आसाम में हुए आन्दोलन के कारण इण्डियन एयरलाइंस को हुई हानि

3620. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में हाल ही हुए आन्दोलन के कारण इण्डियन एयरलाइन्स को कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : आन्दोलन के कारण इण्डियन एयर-लाइन्स को यात्री राजस्व में लगभग 2.17 लाख रुपये की हानि होने का हिसाब लगाया गया है।

हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव

3621. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे की स्थापना के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है और यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ; और

(ग) यदि इस उद्देश्य के लिये किसी स्थान का सुझाव दिया गया है तो उसका नाम क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). कुल्लू (भुन्तर) में पहले ही एक हवाई अड्डा है जहां कि इण्डियन एयरलाइंस सामयिक सेवाओं (सीजनल सर्विसेज) का परिचालन करती है। शिमले के निकट एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये कई स्थानों, जैसे, नलडेहरा, शोगी तथा धानाहाटी, की जांच की गयी है परन्तु उनमें से कोई भी स्वीकार्य नहीं पाया गया है क्योंकि या तो वे निर्माणकार्य के लिये अनुपयुक्त हैं या परिचालनों के लिये संकटमय हैं। कांगड़ा घाटी में मलान के निकट एक स्थान का भी सुझाव दिया गया है जिस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

पालिसीधारियों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना

3622. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम पालिसीधारियों को विभिन्न प्रयोजनाओं के लिए ऋण देता है ;

(ख) यदि हां, तो किन प्रयोजनाओं के लिए और कितने ऋण दिए जाते हैं ; और

(ग) पालिसीधारियों द्वारा ऋण की वापसी की क्या शर्तें हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :-जीवन बीमा पालिसीधारकों को किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे ऋण दिये जाते हैं जो बीमा पालिसी के समर्पण मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं हों (जिसके लिए पालिसी का जीवन बीमा निगम के पक्ष में अधिन्यास करना होता है)। ब्याज की दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष है, और ऋण को वापस अदा करने की अवधि पालिसी होल्डर की इच्छानुसार रखी जाती है, परन्तु वह पालिसी के परिपक्व होने की तारीख से बाद की तिथि नहीं होनी चाहिये।

जीवन बीमा निगम, "अपने घर के मालिक बनो" योजना के अधीन गृह निर्माण के लिए पालिसीधारकों को एक लाख रुपये तक के ऋण देता है। ब्याज की दर, $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष है, परन्तु मकान का कब्जा स्वयं पालिसीधारक के पास ही रहने पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की छूट दी जाती है। ऋण को वापस अदा करने की जो भी अवधि चुनी जाय, उसका विस्तार निम्नलिखित में से किसी एक से परे नहीं होना चाहिये :—

(क) ऋण लेने वाले की निवृत्ति-आयु की तिथि।

(ख) ऋण लेने वाले की 65 वर्ष की आयु होने की तारीख।

(ग) पट्टा (lease) समाप्त होने की तारीख के ठीक 5 वर्ष पूर्व की तिथि।

स्वीकृत नियोजकों के कर्मचारियों से भिन्न पालिसीधारियों के मामले में उक्त अवधि 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

3624. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया और इसके सहायक बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में कोई नियम तथा विनियम है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी या सेवा समाप्त करने के बारे में क्या नियम हैं ; और

(ग) क्या निदेशक-बोर्ड अन्यायपूर्ण व्यवहार के मामले में कर्मचारियों को न्यायालय से न्याय मांगने का अधिकार प्राप्त है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक बैंकों के श्रमिक कर्मचारी, देसाई एवार्ड तथा द्विपक्षीय करारों द्वारा संशोधित शास्त्री एवार्ड एवं स्थायी अनुदेशों द्वारा प्रशासित होते हैं।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के उप-लेखापाल और मुख्य कोषपाल स्टेट बैंक आफ इण्डिया (उप-लेखापाल और मुख्य कोषपाल) सेवा नियमावली द्वारा प्रशासित होते हैं तथा उस बैंक के कर्मचारी अधिकारी स्टेट बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी और सहायक) सेवा नियमावली से प्रशासित होते हैं।

जहां तक सहायक बैंकों के अधिकारियों का सम्बन्ध है उनकी सेवा की शर्तें स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 50 (1) के साथ पठित धारा 11 (1) के उपबंधों से प्रशासित होते हैं।

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक बैंकों के जो श्रमिक-कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों द्वारा प्रशासित होते हैं वे औद्योगिक विवाद उठा सकते हैं, जिन र औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा अभिनिर्णय दया जा सकता है। चूंकि इन बैंकों के अधिकारी बैंकों के साथ किये गये सेवा-संविदाओं से प्रशासित होते हैं इसलिए वे अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध केवल दीवानी अदालतों से ही उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

पेंशन के मामलों के निपटान के लिए पृथक विभाग खोलने के बारे में पेंशनभोगी संगठन द्वारा ज्ञापन

3626. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन के मामलों को निपटाने के लिए एक पृथक विभाग खोलने के बारे में अखिल भारतीय पेंशनभोगी संगठन ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और व्यय मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अखिल भारतीय पेंशनर संगठन, नई दिल्ली के अध्यक्ष से दिनांक 17-2-73 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ।

(ख) और (ग). एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4529/73]**

एशियाई बैंक के अध्यक्ष का दौरा

3627. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई बैंक के अध्यक्ष ने हाल ही में भारत का दौरा किया था तथा उनके साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बैंक द्वारा आगामी तीन वर्षों में भारत को दी जाने वाली सहायता के विशेष संदर्भ में उनके साथ हुई बातचीत का सार क्या है ; और

(ग) यह सहायता भारत को कब और किस रूप में उपलब्ध की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उनके साथ विशेष निधियां जुटाने, न्यूनतम विकसित देशों में एशियाई विकास बैंक के कार्यों आदि जैसे आपसी हितों के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की गयी, क्योंकि भारत बैंक से ऋण न लेने की नीति का बराबर अनुसरण कर रहा है।

Appointment of Officers of Department of Social Welfare on the Selection Boards of the State Bank of India

3628. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a proposal under which, when

officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available in State Bank of India to serve on the Bank's recruitment/selection boards, officers from the Department of Social Welfare of the Government of India and of the concerned State Governments will be appointed on the Boards ; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) No,Sir.

(b) Does not arise.

अमरीका को जूट से बने सामान के निर्यात में कमी

3629. **डा० रानेन सेन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' में "शार्प फाल इन इण्डियन शेयर आफ यू० एस० जूट गुड्स मार्किट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) पटसन उद्योग को इस समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सरकार उनके बारे में पूर्ण रूप से सचेत है तथा भारतीय पटसन की बनी वस्तुओं को प्रतियोगी बनाने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 'टर्न-की' परियोजनाओं को चलाने के लिए धन देने का निर्णय

3630. **डा० रानेन सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्यमकर्ताओं द्वारा 'टर्न-की' परियोजनाओं को चलाने के लिए धन देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी वित्तीय सहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, विदेशों में टर्न-की के आधार पर कार्य निष्पादित करने वाले भारतीय निर्यातकर्ताओं के आस्थगित प्राप्तव्यों के संबंध में जहाज पर लदान से पूर्व के ऋणों के रूप में पहले ही वित्तीय सहायता दे रहा है। यह सहायता निर्यात कर्ताओं के बैंकरों के सहयोग से वित्त पोषण को सम्भरक ऋण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत विकास बैंक ऋण के अपने भाग पर जिस दर से ब्याज लेता है वह सहयोगी बैंक द्वारा लिये गये ब्याज के हिसाब में लेने के बाद निर्यात कर्ता द्वारा लिये गये कुल ऋण पर साढ़े पांच प्रतिशत बैठती है । जो भी प्रतिभूति (बैंक गारण्टी, साख पत्र आदि) उपलब्ध होती है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और सहयोगी बैंक द्वारा यथानुपात बांट ली जाती है । आस्थगित प्राप्तव्यों की गारण्टी किसी उपयुक्त निर्यात ऋण गारण्टी निगम द्वारा दी जानी होती है । ऋण संबंधी शर्तों की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा की जानी आवश्यक होती है ।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देना

3631. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्यों को ऋण देने दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बैंकों ने ऐसे ऋण दिये हैं ; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं के लिए ऐसी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राज्य सरकारों को सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिये कोई ऋण नहीं दिये हैं। किन्तु उन्होंने राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम-विद्युतीकरण, ट्यूबवैलों के विद्युतीकरण आदि के लिए ऋण दिये हैं और बिजली परियोजनाओं के लिए पूरक ऋण दिये हैं। इन ऋणों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। जहां तक यह ब्यौरा प्राप्त करना सम्भव होगा। सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सामान्य बीमा निगम के मुख्यालय की स्थापना

3632. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य जीवन बीमा निगम के मुख्यालय की स्थापना के बारे में सरकार को बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल से पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त पत्र का सार क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) यह आग्रह किया गया था कि भारत के विविध बीमा निगम का मुख्य कार्यालय बम्बई की बजाय कलकत्ता में स्थापित किया जाय।

(ग) प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दों पर सम्यक् विचार करने के बाद, विविध बीमा निगम के मुख्य कार्यालय को बम्बई में रखने के पूर्ववर्ती निर्णय को बदलना आवश्यक नहीं समझा गया।

सौराष्ट्र में सलेह तट से तस्करी का सोना बरामद होना

3633. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1973 के 'पेट्रीओट' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में तस्करों के एक कुविख्यात गिरोह ने एक करोड़ रुपये की कीमत का सोना सौराष्ट्र में सलेह तट पर दबा दिया था ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिनांक 1 फरवरी, 1973 के 'पेट्रिअट' समाचार पत्र में प्रकाशित "एक करोड़ रुपये के मूल्य का सोना समुद्र में फेंक दिया गया" समाचार को सरकार ने देखा है।

(ख) जामनगर स्थित सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा जांच-पड़ताल की गई थी, किन्तु ऐसा पाया गया कि प्रेस रिपोर्ट सही नहीं थी।

दिल्ली में पालम हवाई अड्डे का प्रबन्ध

3634. **श्री पीलू मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपे सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में दिल्ली का पालम हवाई अड्डा बुरे प्रबन्ध के लिये तेजी से बदनाम होता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने लेख में कही गई बातों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). उक्त सम्पादकीय में सही स्थिति का चित्रण नहीं किया गया है। विमान क्षेत्र पर सुविधाओं और साधनों के सुधार सम्बन्धी उपायों का निरन्तर पुनरालोकन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा गिरोह द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को धोखा देना

3635. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1973 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक विदेशी मुद्रा गिरोह द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को 700,000 रुपये का धोखा दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को बैंक अधिकारियों से इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ मामले आए हैं, जिनमें जाली परमिटों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है और इस समय इस मामले की और जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक छात्रों को विदेशी मुद्रा के परमिट देने से सम्बद्ध कार्य-प्रणाली को दोषरहित बनाया है ताकि ऐसी अनियमितताओं के फिर से होने से बचा जा सके।

जीवन बीमा निगम के गठन में परिवर्तन करने के बारे में की गई मांग

3636. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने जीवन बीमा निगम के गठन में परिवर्तन करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख). हाल ही में श्रेणी-1 के अधिकारियों के फेडरेशन ने "जीवन बीमा निगम की संघटनात्मक रचना-पदोन्नति के अवसर" नाम की एक पुस्तिका (Booklet) परिचालित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान मण्डलीय तथा शाखा कार्यालयों को विभक्त कर दिया जाय जिससे उच्चतर स्तरों पर पदोन्नति के अच्छे अवसर बन सकें। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of a Modern Jute Mill in Bihar

3637. **Shri Ramavtar Shastri:**
Shri Ishwar Chaudhry:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether State Government have sent any proposal for setting up a modern jute mill in Bihar; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, *Sir.*

(b) Does not arise.

गत तीन वर्षों में इंडियन एयर लाइन्स में नियुक्त किये गये विमानचालकों की संख्या

3638. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स में कुल कितने व्यक्ति विमानचालकों के पदों पर नियुक्त किए गए?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पचपन।

इंडियन एयर लाइन्स में संगणक प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव

3639. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन एयर लाइन्स में संगणक प्रणाली आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है, और उक्त प्रणाली आरम्भ करने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ग) संगणक प्रणाली का भविष्य में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इण्डियन एयरलाइन्स में पहले ही एक कम्प्यूटर प्रणाली विद्यमान है जिसे जनवरी, 1967 में चालू किया गया था। वे अब, यदि संभव हुआ तो, एयर इण्डिया के सहयोग से एक वास्तविक समय कंप्यूटर प्रणाली चालू करने पर विचार कर रहे हैं। इस प्रायोजना को, यदि इसका अनुमोदन हो गया, पांचवीं योजना के भाग के रूप में हाल में लिया जाएगा। इसके कारण कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोएगा।

Setting up of Plants in Foreign Countries by Big Industrialists

3640. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have permitted big industrialists to set up their plants in foreign countries ; and

(b) if so, their names ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) **Birla**

(i) Birla Bros. (P) Ltd., Calcutta.

(ii) Orient Paper Mills Ltd., New Delhi.

(iii) Birla Jute Mfg. Company Ltd., Calcutta.

(iv) Oudh Sugar Mills Ltd., Bombay.

(v) Zenith Steel Pipes Ltd., Bombay.

(vi) Bharat Commerce and Industries Ltd., Nagda.

(vii) Birla Cotton Spg. and Wvg. Mills, New Delhi.

Singhania

(i) Raymond Woollen Mills Ltd., Bombay.

(ii) G. K. Singhania (J & K Orgn.), Bombay.

Shriram

(i) Jay Engg. Works, Calcutta.

(ii) Gupta Machine Tools (P) Ltd., Calcutta.

Tata

(i) Tata Oil Mills Co. Ltd., Bombay.

Sahu Jain

(i) Alokudyog Ltd., New Delhi.

Mafatlal

(i) Mafatlal Gagalbhoy and Co. (P) Ltd., Bombay.

Walchand

(i) Walchandnagar Industries Ltd., Poona.

Realisation of Income-tax from Individuals in Bihar

3641. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons in Bihar who paid Income-tax under the lowest slab of Income-tax during the last three years and the total amount realised from them during the said period ; and

(b) the total amount of the arrears of Income-tax to be realised from Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Such detailed information stands presently compiled upto the year 1968-69. The lowest slab for income-tax during the years 1966-67 to 1968-69 was Rs. 4,001 to Rs. 5,000 of income whereas the lowest slab at present is Rs. 5,001 to Rs. 10,000. The information as available for the years 1966-67 to 1968-69 for these slabs is given in the Annexure. Collection of information for the last three years will take considerable time.

(b) Rs. 13.72 crores as on 31.12.1972.

Statement

Bihar Charge

	1966-67	1967-68	1968-69
Number of assessments of "individuals" completed under the range of income			
(i) Rs. 4,001/- to Rs. 5,000/-	7,320	6,670	5,404
(ii) Rs. 5,001/- to Rs. 10,000/-	15,280	16,680	15,155
Total Income-tax chargeable, including Surcharge, in above—(rupees in lakhs)			
(i)	3.2	2.9	2.6
(ii)	30.4	34.3	31.5

Opening of Branches of Nationalised Banks in Bihar

3642. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the District-wise number of branches of nationalised banks in Bihar at present ; and

(b) the number of branches to be opened, District-wise during 1973-74 indicating the names of places where these would be opened ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) The required information is given in Annexure I. **[Placed in the Library. See No. LT—4530/73].**

(b) Currently 150 licences/allotments are pending with nationalised banks for opening offices in Bihar. The banks are expected to utilise these licences/allotments during the years 1973 and 1974. The names of the places are indicated in Annexure II. **[Placed in the Library. See No. LT—4530/73].**

Acreage of Land under Jute Cultivation in Bihar

3643. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the acreage of land under jute cultivation in Bihar ;

(b) the jute produced during 1971-72 ;

(c) the quantity of jute exported to foreign countries during 1971-72 ; and

(d) the foreign exchange earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. Geoege) : (a) 1,31,000 hectares.

(b) 4.7 lakh bales.

(c) 2,76,960 bales.

(d) Rs. 12.64 crores.

सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि

3644. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तयार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान सोने और चांदी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सोने और चांदी के मूल्यों में कमी लाने की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले एक वर्ष में भारत में सोने की कीमत में वृद्धि मुख्यतः पूर्ति तथा मांग के प्रभाव और संसार के खुले बाजारों में इसकी कीमत में वृद्धि के कारण हुई है। सोने के खुले बाजार भावों में वृद्धि मुख्यतः इसलिए हुई है कि (i) जिन देशों में सोना निकलता है, वे संसार के खुले बाजारों को सोना सीमित मात्रा में दे रहे हैं, (ii) अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की डांवाडोल स्थिति के कारण सोने की मांग बढ़ गई है। इसका भारत में सोने की अवैध पूर्ति पर प्रभाव पड़ा है, जिससे यहां सोने के भाव चढ़ गये हैं। चांदी की कीमत में वृद्धि मुख्यतः इसलिए हुई है कि संसार में चांदी के उत्पादन की मात्रा तथा औद्योगिक उपयोग के लिए इसकी मांग की मात्रा में बड़ा अन्तर है, जिससे विदेशों में इसके भाव चढ़ गये हैं।

(ग) सोने तथा चांदी को औद्योगिक तथा घरेलू खपत की आवश्यक वस्तुएं नहीं माना जाता, इसलिए उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव से देश की सामान्य आर्थिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए फिलहाल इन धातुओं की कीमतों को नीचे लाने के कोई उपाय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

उद्योग तथा वाणिज्य में विदेशी पूंजी का निवेश

3645. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार किस-किस देश की पूंजी उद्योग तथा वाणिज्य में लगाई गई है ; और

(ख) क्या इस अवधि में देश में विदेशी पूंजी के आगमन पर कोई समुचित निगरानी रखी गई है और यदि हां, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) मार्च, 1969 के अन्त की स्थिति के अनुसार, भारत में लगी विदेशी पूंजी की बकाया राशि 1611.3 करोड़ रुपये थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए त्वरित अनुमानों के अनुसार यह राशि, मार्च, 1970 और मार्च, 1971 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्रमश: 1635.7 करोड़ रुपये और 1672.4 करोड़ रुपये थी। एक विवरण संलग्न है जिसमें मार्च, 1969 के अन्त की स्थिति के अनुसार विदेशी निवेशों की बकाया रकमों का ब्यौरा दिया गया है। इसके बाद की अवधि का इस प्रकार का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1960 से शुरू होने वाले दशक के मध्य से, विदेशी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति अत्यधिक चयनात्मक रही है और अब विदेशी निवेश की अनुमति, प्राय: अल्पसंख्यक आधार पर तथा सामान्यत: देश के लिए आवश्यक उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण के रूप में दी जाती है।

विवरण

देश का नाम	(करोड़ रुपयों में) **राशि**
कनाडा	18.5
फ्रांस	51.3
पश्चिम जर्मनी	104.0
इटली	73.4
जापान	76.1
स्विट्जरलैंड	32.4
स्वीडन	18.6
ग्रेट ब्रिटेन	631.1
संयुक्त राज्य अमेरिका	429.6
अन्य देश	88.5
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं	87.8
जोड़ :	1611.3

निर्यात में कर की छूट देना तथा निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर कच्चे माल की सप्लाई करना

3646. **श्री देवेन्दर सिंह गरचा :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग के प्रतिनिधियों की इस मांग पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि निर्यात से अर्जित

आय पर कर की छूट देकर निर्यात को और अधिक लाभकारी बनाया जाये बजाए इसके कि अनिवार्य निर्यात व्यवस्था लागू की जाये ; और

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्यों पर निर्यातकों को कच्चे माल आदि उपलब्ध करने की विशेष योजनाएं बनाई थीं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार निर्यातों से होने वाली आय पर कोई कर छूट देने का विचार नहीं कर रही है ।

(ख) जी हां । निर्यातों हेतु अपेक्षित कुछ अन्तर्निदिष्ट साधनों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट स्कीमें पहले ही क्रियान्वित की जा रही हैं ।

चालू वर्ष में देश के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों का विकास करने की योजना

3647. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में देश के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या बेहतर समन्वय के उपाय स्वरूप, उन सम्बद्ध राज्य सरकारों से सलाह ली गई है जहां वे केन्द्र स्थित हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । 1972-73 के लिये पर्यटन के लिये केन्द्र तथा राज्यों की वार्षिक योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना का भाग हैं ।

(ख) पर्यटन का विकास वस्तुतः एक सहकारी प्रयत्न है और केन्द्रीय सरकार पर्यटन केन्द्रों के विकास के संबंध में अपने प्रयत्नों का राज्य सरकारों एवं अन्य अभिकरणों के प्रयत्नों के साथ समन्वयन करके कार्य करती है ।

बिहार और उड़ीसा के खान मालिकों से लौह अयस्क के मूल्य बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन

3648. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए लौह अयस्क के मूल्य बढ़ाने के बारे में बिहार और उड़ीसा के खान मालिकों का अभ्यावेदन उन्हें मिला है ;

(ख) क्या इस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). बिहार तथा उड़ीसा के खान-मालिकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस क्षेत्र के खनन हितों की सहमति से गत वर्ष सितम्बर में लौह अयस्क की अपनी अधिप्राप्ति कीमत में वृद्धि की थी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना

3649. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के कार्य को सुनियोजित और सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का प्रस्ताव है जिससे विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों को न्यूनतम समयोपरि भत्ता दिया जा सके ; और

(ख) क्या वर्तमान कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान करने के बजाये अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) समयोपरि भत्ते सम्बन्धी वर्तमान आदेशों में यह व्यवस्था है कि सभी कार्यालयों में कार्य करने की ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे वह साधारणतः कार्यालय के नियमित समय में ही हो सके और समयोपरि कार्य का प्रश्न केवल विशेष परिस्थितियों में ही उठे । इसलिये जहां आवश्यक होता है, सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, कार्य विषयक प्रक्रियाओं, कर्मचारी व्यवस्था आदि का पुनरीक्षण करने की उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । समयोपरि कार्य तभी करना पड़ता है जब वह इतना जरूरी होता कि उसे लोक-हित में अगले दिन तक उठाकर रखा नहीं जा सकता ।

(ख) समयोपरि कार्य यदा कदा होता है और उसकी व्याप्ति सीमित होती है । यह तभी किया जाता है जब कार्य बहुत जरूरी किस्म का होता है । अतः ऐसे कार्य के लिये नियमित स्टाफ में स्थायी वृद्धि करना उचित नहीं है । लेकिन, जैसा कि ऊपर कहा गया है यदि कार्य के स्वरूप और उसकी मात्रा के अनुसार नियमित आधार पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक होता है तो सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कर्मचारी-व्यवस्था की आवश्यकताओं का तदनुसार पुनरीक्षण किया जाता है ।

एयर इण्डिया द्वारा छोटे विमानों द्वारा थोड़ी दूरी की उड़ाने आरम्भ करने का प्रस्ताव

3650. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा छोटे विमानों से थोड़ी दूर की उड़ानें आरम्भ करके पर्यटन-कार्यक्रम चलाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Reorganisation of Engineering Services in Opium Factory, Ghazipur

3651. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the

reply given to Unstarred Question No. 952 on the 17th November, 1972 and state the decision taken in regard to the re-organisation of the engineering services which was discussed at the meeting of the Management Committee held in July, 1972 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The Committee of Management, Government Opium and Alkaloid Works Undertaking in their meeting held on 22.7.72 had decided to await the finalisation of the Organisational set up for the new Alkaloid Factory, Neemuch so that similar scales of pay for comparable posts at Ghazipur Factory could also be considered, wherever possible. The Organisational set up for the new Alkaloid Factory Neemuch was finalised after detailed discussions and the necessary sanction was issued on 12.10.72. The matter regarding the reorganisation of the engineering staff for the Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur, was thereafter considered in the meeting of the Committee of Management held on 25.11.72. The matter is awaiting consideration.

Absorption of Employees of Airways India, Calcutta, in Indian Airlines

3652. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some employees of Airways India, Calcutta, have not been absorbed in Indian Airlines ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Some of the ex-employees of Airways India were not found suitable. There was also the lack of vacancies in certain categories. However, 57 ex-employees have been absorbed.

Woollen Uniforms to Workers of Opium Factory, Ghazipur

3653. **Shri Sarjoo Pandey ;** Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether it was decided to provide uniforms to the employees working in the Ghazipur Opium Factory in winter ; and

(b) if so, the reasons for not providing them with woollen uniforms in the winter season ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The workers of the Government Opium and Alkaloid Works were being supplied two Shirts of light blue Khadi Dosuti once in every two years. The Committee of Management, Government Opium and Alkaloid Works Undertaking considered this matter and decided to enhance the scale of supply to uniforms to two Shirts and two Shorts in one year. The Committee also authorised the supply of one woollen Jersey in two years to every worker. Regarding the colour and texture of the uniform, the Committee suggested that before issuing any orders, the wishes of the workers should be ascertained. This has now been done and action is being taken to issue the necessary orders.

आसाम में पर्यटन विकास के लिये कार्यवाही

3654. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम की पर्यटन विकास क्षमता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) राज्य में पर्यटन का विकास करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग द्वारा आसाम की पर्यटन विकास क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक,और भारतीय ऋण एवं पूंजीनिवेश निगम अधिकारियों के एक संयुक्त संस्थानिक दल द्वारा आसाम की औद्योगिक संभावनाओं का एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आसाम की पर्यटन सम्भावनाओं का भी उल्लेख किया गया है तथा किफायती विमान यातायात, होटल आवास का विकास, केन्द्र राज्य सरकार के पर्यटन विभागों द्वारा प्रोत्साही कार्यवाहियों जैसे कतिपय उपायों के सुझाव दिये गये हैं।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में आसाम में पर्यटन के विकास के रूप में ये योजनायें हाथ में ली गई हैं:—गौहाटी में पर्यटन कार्यालय की स्थापना, गौहाटी में पर्यटन बंगले का निर्माण, गौहाटी व शिलांग में निम्न आय आय वर्ग विश्राम-गृह, काजीरंगा वन्य जीव पशु शरण स्थान में एक विश्राम-गृह तथा चिरापुंजी में विश्राम-गृहों का सुधार। ये सुविधायें आसाम सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के अतिरिक्त हैं।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

3655. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह राज्यों को ओवरड्राफ्ट देने के प्रश्न पर उदारता और नर्मी का दृष्टिकोण अपनाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सम्भवतः यह संकेत सरकार द्वारा किये गये उस निर्णय की ओर है जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी राज्य को बजट सम्बन्धी साधन के रूप में, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ओवरड्राफ्ट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केरल सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रगट नहीं की है।

केरल में पर्यटन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की योजना

3656. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** :
श्री वयालार रवि :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये सरकार केरल में पर्यटन केन्द्रों की संख्या बढ़ाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन रुचि के स्थानों

का विकास एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध वहां पर उपलब्ध आकर्षणों से है। भारत को लक्ष्य बनाकर आने वाले यातायात को आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार कोवालम को एक समुद्रतटीय बिहार स्थल के रूप में विकसित कर रही है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी योजना के दौरान त्रिवेन्द्रम में एक होस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

केरल की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3657. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी ;

(ख) परियोजनावार कितना धन दिया गया ; और

(ग) 1973-74 तथा इसके बाद के वर्षों के लिए राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक से कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). विश्व बैंक से सम्बद्ध, उदार शर्तों पर ऋण देने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ नामक संस्था के साथ केरल सहित कई राज्यों में बिजली परेषण से हाल में बातचीत की गई है। केरल बिजली बोर्ड के लिए 84.00 लाख डालर की रकम निर्धारित की गई है।

(ग) भारत सरकार ने 1973-74 और उसके बाद के वर्षों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन इस प्रयोजन के लिए कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

केरल राज्य में पर्यटकों की रुचि के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिये कार्यवाही

3658. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** :
श्री वयायार रवि :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में निकट भविष्य में पर्यटकों की रुचि के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस प्रयोजना के लिये चुने गये स्थलों की अस्थायी सूची क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन के विकास के उपायों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा परस्पर समन्वयपूर्वक हाथ में लिया जाता है। निकट भविष्य में केरल में पर्यटन महत्व के सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र में

फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं, परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र में कोवालम समुद्र तट तथा पेरियार आखेट पशु शरणस्थल का विकास जारी रहेगा ।

(ख) यह मामला राज्य सरकार का है ।

(ग) राज्यीय योजना के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी स्कीमों के लिए, योजना आयोग द्वारा किये गये योजनागत निधियों के सामान्य वार्षिक आवंटन के सिवाय, केन्द्र द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती ।

निर्बाध व्यापार क्षेत्रों द्वारा कच्चे माल का आयात

3659. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार सम्बन्धी सलाहकारी परिषद् की दो दिन की बैठक का उद्घाटन करते हुए 17 फरवरी, 1973 के उनके कथनानुसार, वे निर्बाध व्यापार क्षेत्र (जोन) बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो कच्चे माल का उदारता से आयात कर सकेंगे ; और

(ख) निर्यात उद्योगों को कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सप्लाई करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास चार-पांच निर्बाध व्यापार जोन स्थापित किये जाने की सम्भाव्यता विचारावस्था में है ।

(ख) व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद् की पांचवीं बैठक में वाणिज्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार किया जा रहा है ।

सरकार द्वारा विभिन्न देशों में मूल्य वृद्धि की नियंत्रण प्रणाली का अध्ययन किया जाना

3660. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व के विभिन्न देशों में मूल्य वृद्धि की नियंत्रण प्रणाली के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . अपनी आर्थिक नीतियों को तैयार करते समय, सरकार अन्य देशों के अनुभव को उस सीमा तक अपने ध्यान में रखती है जहां तक वह भारतीय परिस्थितियों के साथ मेल खाता हो । लेकिन अन्य देशों की मूल्य नियंत्रण प्रणालियों के सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

राज्यों में होटल उद्योग में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार

3661. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में होटल उद्योग में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी रोजगार पर

रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . राज्य सरकारों ने होटलों में नियुक्ति की न्यूनतम आयु को अपने अपने "दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियमों" के अंतर्गत विनियमित कर दिया है । राज्यों में 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों की नियुक्ति के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को ऋण दिया जाना

3662. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत दो वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को, विशेषकर मैसूर राज्य में, अधिक से अधिक ऋण की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : हस्तशिल्प उद्योग कुटीर और लघु उद्योग में ही शामिल किया जाता है । जहां कहीं सक्षम योजनाएं तैयार की जाती हैं और बैंकों से ऋण मांगे जाते हैं, आवश्यक धन बैंकों द्वारा उचित जांच के बाद सामान्यत: उपलब्ध हो जाता है।

औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा एकाधिकार गृहों को दी गयी वित्तीय सहायता

3663. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान एकाधिकार गृहों को कुल कितने ऋण दिये और वित्तीय सहायता दी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के वित्तीय वर्षों के दौरान औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति के प्रतिवेदन के परिशिष्ट 11 में दिये गये बहुत बड़े और बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भारतीय ऋण और निवेश निगम द्वारा स्वीकृत और भुगतान की गई कुल वित्तीय सहायता (ऋण, हामीदारी और प्रत्याभूतियां) निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	लाख रुपयों में कुल वित्तीय सहायता	
	स्वीकृत	भुगतान की गई
1970–71	1796.00	1065.00
1971–72	1755.00	1257.00
1972–73 (दिसम्बर, 1972 तक)	1900.00	1583.00

टिप्पणी : किसी वर्ष में भुगतान की गई राशि में पिछले वर्ष की स्वीकृत राशियां भी शामिल हो सकती हैं ।

भारतीय उद्योग विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3664. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष से, राज्य-वार, भारतीय उद्योग विकास बैंक ने कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाओं को सहायता दी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4531/73]**

चाय उद्योग को नये पौधे लगाने के लिये राज सहायता तथा अन्य प्रोत्साहन

3665. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग सरकार द्वारा नए पौधे लगाने के लिए दी जाने वाली सहायता तथा अन्य प्रोत्साहनों का लाभ नहीं उठा सका है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) सरकार चाय बागानों में 'संकट' दूर करने के लिए क्या अन्य उपाय करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चाय उद्योग की समस्याओं का सरकार द्वारा निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। इस समय चाय बोर्ड उद्योग का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने की प्रस्थापना पर विचार कर रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पर्यटन स्थलों पर खर्च की गई धनराशि

3666. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में गुजरात में पर्यटक स्थलों पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की और किन-किन स्थलों के लिये कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं० स्कीम का नाम	भारत सरकार द्वारा खर्च की गयी (लाख रुपयों में)
1969-70	
1. साबरमती में "ध्वनि-एवं-प्रकाश" प्रदर्शन	2.67
1970-71	
1. साबरमती में "ध्वनि-एवं-प्रकाश" प्रदर्शन	5.30
2. साबरमती में एक पर्यटक बंगले का निर्माण (पिछली योजना का शेष)	1.37
1971-72	
1. साबरमती में "ध्वनि-एवं-प्रकाश" प्रदर्शन।	4.03

क्रम सं०	स्कीम का नाम	भारत सरकार द्वारा खर्च की गयी
2.	गिर वन्य जीव शरण-स्थान में प्रयोग के लिये दो मिनी बसें	0.82
	वर्ष 1972-73 के दौरान निम्नलिखित खर्च के होने की आशा है :—	
1.	ससनगिर में एक विश्राम-गृह का निर्माण	3.25
2.	गांधीनगर में युवा होस्टल	3.30

मारीशस में उद्योगों की स्थापना

3667. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारीशस सरकार के वहां उद्योग लगाने के अनुरोध पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आगामी दो वर्षों में वहां कितने उद्योग स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) ये उद्योग वहां कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). मारीशस सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों द्वारा मारीशस में औद्योगिक संयुक्त उद्योग स्थापित करने में दिलचस्पी प्रकट की हैं। अभी तक भारत सरकार ने मारीशस में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की 9 प्रस्थापनाओं की स्वीकृति दी है जिनमें से चार में उत्पादन शुरू हो चुका है तथा जो कार्यान्वित की जा रही हैं उनके लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

3668. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कलैक्टरी के इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध अपने कर्तव्य का पालन न करने के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) शिकायतों का स्वरूप क्या है और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई और ये शिकायतें किन अधिकारियों के विरुद्ध थीं ;

(ग) उक्त शिकायतें कब की गईं और जांच किस स्थिति में है ; और

(घ) जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और दोषी अधिकारियों और सम्बद्ध पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). दिल्ली समाहर्ता-कार्यालय में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के 46 निरीक्षकों के विरुद्ध 1972 में विभिन्न तारीखों को शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें अवैध परितोषण स्वीकार करने अथवा व्यापारियों आदि को तंग करने के आरोप लगाये गये थे। जांच-पड़ताल करने पर, 30 शिकायतें निराधार पाई गईं तथा फाइल कर दी गई थीं। एक मामले में संबंधित निरीक्षक को अब आरोप-पत्र जारी किया गया है। एक अन्य मामले में जांच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के विचाराधीन है। शेष 14 मामलों में जांच-पड़ताल अभी भी जारी है और इन मामलों को अप्रैल, 1973 के अन्त तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

अभ्रक की विदेशों को तस्करी

3669. **श्री शशि भूषण :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यापारियों द्वारा सीमा स्थित कर्मचारियों की सांठ-गांठ से बड़े पैमाने पर अच्छे किस्म के अभ्रक की सड़क और जलमार्ग द्वारा विदेशों को तस्करी की जा रही है जिससे प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश से अभ्रक की विदेशों में तस्करी को रोकने और ऐसे तस्करों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है जो बिना पता लगे सीमा पार करने की व्यवस्था करने में सफल हो जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि सीमा पर तैनात कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अच्छी किस्म के अभ्रक का विदेशों को बड़ी मात्रा में तस्कर-निर्यात किया जा रहा है। परन्तु विगत समय में अर्थात् वर्ष 1969 में 2,93,000 रु० के मूल्य के ; वर्ष 1970 में 68,870 रु० के मूल्य के और वर्ष 1972 में 30,700 रु० के मूल्य के अभ्रक के अभिग्रहणों को देखते हुए, भारत-नेपाल सीमा पर अभ्रक के कुछ तस्कर व्यापार किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए जिसमें अभ्रक शामिल है, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) कोडर्मा तथा गिरीडीह से, जहां अधिकांश अभ्रक का उत्पादन तथा व्यापार किया जाता है, नेपाल को अभ्रक के तस्कर व्यापार के बारे में सूचना एकत्र करने तथा उसका सम्प्रेषण करने के लिये, इन क्षेत्रों में अपेक्षित कर्मचारी दल तैनात किया गया है।

(ii) भारत से नेपाल को तथा नेपाल से भारत को माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए, जिसमें अभ्रक भी शामिल है, भारत-नेपाल सीमा पर गश्ती निवारक दल तैनात किये गये हैं।

(iii) सीमा पर तैनात कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक गतिशील तथा प्रभावी बनाने के लिये जीपों की व्यवस्था की गई है।

(iv) निवारक दलों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है।

(v) सीमा पर माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये भारत-नेपाल सीमा पर राज्य के प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(vi) इस संबंध में नेपाल के महामहिम की सरकार से भी बार-बार सहयोग मांगा गया है। नेपाल सरकार ने सूचित किया है कि गत डेढ़ वर्ष से उन्होंने नेपाल से अभ्रक

के निर्यात के लिये नये लाइसेंस जारी करना बन्द कर दिया है। उन्होंने उपहार-पार्सलों द्वारा नेपाल से किये जाने वाले अभ्रक के निर्यात पर भी पाबन्दी लगा दी है।

(vii) भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीमाशुल्क कार्यालयों पर समेकित नियंत्रण रखने की दृष्टि से पटना में एक सीमाशुल्क समाहर्ता के पद का सृजन किया गया है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ की हजरत गंज के रहस्य की जांच

3670. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बम्बई के केन्द्रीय कार्यालय के इन्सपेक्टर द्वारा हजरत गंज ब्रान्च (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) के 16 करोड़ रुपये के रहस्य की जांच पूरी हो चुकी है और सरकार को उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त बैंक के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हजरत गंज स्थित स्टेट बैंक की शाखा में 16 करोड़ रुपये का ऐसा कोई रहस्यमय मामला नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि सितम्बर, 1971 में लखनऊ में गोमती नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आ जाने के कारण दस दस रुपये के तथा उससे कम मूल्य के 73.71 लाख रुपये के करेंसी नोट और बैंक नोट क्षतिग्रस्त हो गये थे। 31 अक्टूबर, 1972 की स्थिति के अनुसार 15.77 करोड़ रुपये के मूल्य के ये नोट गंदे नोटों के कुल स्टाक के अंग के रूप में जांच के लिए पड़े हुए थे। नवम्बर 1972 और जनवरी, 1973 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों तथा करेन्सी नोट प्रेस, नासिक के एक करेंसी विशेषज्ञ के एक दल ने भारतीय स्टेट बैंक की हजरतगंज, लखनऊ शाखा का दौरा किया था और बाढ़ से क्षतिग्रस्त करेन्सी नोटों की जांच की थी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त नोटों के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती कार्रवाई किए जाने की हिदायतों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) इन नोटों की जांच करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई है। गंदे नोटों की जांच करने के लिए लखनऊ स्थित भारतीय स्टेट बैंक में कोषपालों की संख्या बढ़ा दी गयी और अब वे सभी नोटों की जांच कर रहे हैं जिनमें बाढ़ से क्षति ग्रस्त नोट तथा वे नोट भी शामिल हैं जिनकी अभी तक जांच नहीं की गई है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त 73.71 लाख रुपये के मूल्य के नोटों में से 38.09 लाख रुपये के नोट या तो छांट कर अलग कर लिए गए हैं अथवा नासिक के करेन्सो विशेषज्ञ द्वारा उनकी जांच कर ली गई है और 35.62 लाख रुपये के मूल्य के शेष नोटों की जांच प्रेषक बैंकों के रिकार्ड के साथ करने का विचार है और उसके बाद चुने हुए अधिकारियों का एक विशेष दल इन नोटों की जांच करेगा। इन नोटों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण नोटों की प्रतिशतता के आधार पर भी जांच करने का काम हाथ में ले लिया जा रहा है।

इस उद्देश्य से कि भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ बकाया अपरीक्षित नोटों का निपटान कर सके,

इस बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से "गारंटी" के अन्तर्गत नोट प्राप्त करने की व्यवस्था को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक से कहा गया है कि वह लखनऊ में एक आधुनिक वाल्ट बनाये और उस वाल्ट में इस्पात केबिन केबिनेट लगाये। भारतीय स्टेट बैंक से यह भी कहा गया है कि वह "गारन्टी" के अन्तर्गत प्राप्त तथा रखे गए नोटों की जांच करने और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने में कम समय लगाये तथा वाल्टों में सुधार करने और महत्वपूर्ण शहरों और नगरों में वाल्टों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम अपने हाथ में ले।

चूंकि भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त नोटों की विस्तृत जांच के आधार पर कोई धोखाधड़ी, चोरी अथवा अनियमितता नहीं पायी गयी है इसलिए चूक करने वाले किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शांताक्रुज निर्बाध व्यापार क्षेत्र के लिये मुख्य निर्यात उत्पाद

3671. **श्री बेकारिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात की वस्तुएं बनाने वाले उन मुख्य कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार शांताक्रुज, मद्रास, दमदम और दिल्ली निर्बाध व्यापार क्षेत्र में स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : शांताक्रुज में स्थापित होने वाले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इलेक्ट्रोनिक उपस्कर तथा संघटकों की चुनी हुई मदों के बनाने की अनुमति दी जायेगी। यद्यपि, देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में और भी निर्बाध व्यापार जोन स्थापित किये जाने का इरादा है, तथापि इस सम्बन्ध में और उन उत्पादों के सम्बन्ध में, जिनको ऐसे जोनों में बनाये जाने की अनुमति दी जायेगी, अभी तक कोई विनिश्चय नहीं लिया गया है।

यूनाइटेड ट्रस्ट आफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा विभिन्न उद्योगों को दी गयी वित्तीय सहायता

3672. **श्री बेकारिया :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनाइटेड ट्रस्ट आफ इण्डिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और इण्डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में विभिन्न उद्योगों को कितने-कितने ऋण दिये गये ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : 1970-71, 1971-72 और 1972-73 (31 दिसम्बर, 1972 तक) के वित्तीय वर्षों में विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों को भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा दिये गये ऋणों का राज्यवार वितरण क्रमशः संलग्न विवरण I, II, III और IV में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०–4532/73**]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि

3673. **श्री बेकारिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 और 1972 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में, बैंक-वार, कुल कितनी धन-राशि जमा थी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (अन्तर बैंक जमा रकमों को छोड़कर) की कुल जमा रकमें

(करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को जमा रकमें		
	1970	**1971**	**1972***
(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया और सहायक बैंक	1557	1903	2296
(ख) 1. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	514	634	711
2. बैंक आफ इण्डिया	433	498	560
3. पंजाब नेशनल बैंक	427	515	586
4. बैंक आफ बड़ौदा	344	410	503
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	247	289	322
6. कनारा बैंक	205	267	320
7. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	183	236	258
8. देना बैंक	147	184	213
9. सिंडीकेट बैंक	147	200	236
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	159	189	233
11. इलाहाबाद बैंक	132	151	168
12. इंडियन बैंक	92	116	146
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	98	122	138
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	87	113	138
जोड़—(1 से 14)	3245	3924	4532
सरकारी क्षेत्र के बैंक जोड़ (क+ख)	4772	5827	6828

* अनन्तिम

भवन का उपयोग किये बिना, खादी भवन नई दिल्ली, द्वारा सट्टा किराये ब्रेकार के व्यय को रोकने के लिए कार्यवाही

3674. **श्री बेकारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी भवन, नयी दिल्ली को बाबा खड़ग सिंह रोड, नई दिल्ली पर प्लाट संख्या 1 का भवन आवंटित किया गया है और यदि हां, तो कब से पट्टा किराया अग्रिम रूप में कब दिया गया तथा इसका वार्षिक किराया क्या है ;

(ख) इस समय इस भवन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है ; और

(ग) भवन का व्यापारिक उपयोग किये बिना खादी भवन को पट्टा किराये पर बेकार के व्यय को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा 3253.30 रु० वार्षिक पट्टा किराये पर खादी तथा ग्रामोद्योग को प्लाट सं० 1, बाबा खड़ग सिंह रोड, नई दिल्ली आवंटित किया गया है ताकि वह अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ा सके। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अब वहां भवन का निर्माण कर दिया है लेकिन उसका कब्जा अभी तक नहीं दिया है। इसका शीघ्र कब्जा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही यह उपलब्ध हो जाएगा वैसे ही वह योजनानुसार उपयोग में लाया जाएगा।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पटसन के कारखानों की संख्या

3675. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटसन उत्पादन क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पटसन के कारखानों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). बिहार में तीन पटसन मिलें हैं, ये सभी गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

3676. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1972-73 में आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल में पटसन खरीदी थी ; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु निगम के लिये कितनी धन-राशि नियत की गई थी और उसने कितनी पटसन खरीदी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने भारतीय पटसन निगम की शेयर पूंजी में 25 लाख रु० का निवेश किया है जिससे उसकी कुल प्रदत्त पूंजी 100 लाख रु० हो गई है। इसके अतिरिक्त, निगम ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 195 लाख रु० तक नकदी ऋण की सुविधा भी प्राप्त की। निगम द्वारा खरीदे गए (आसाम, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में की गई खरीदारियों सहित) पटसन की कुल मात्रा 82,794 गांठें थीं।

पटसन की खेती का कुल क्षेत्र

3678. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में पटसन की खेती कुल कितने क्षेत्र में की गई और कुल कितनी गांठों का उत्पादन हुआ ; और

(ख) वर्ष 1972-73 में कुल कितनी गांठें निर्यात की गईं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) क्षेत्रफल — 7,05,500 हेक्टार।
उत्पादन — 48.69 लाख गांठें।

(ख) अप्रैल, 1972 से फरवरी, 1973 की अवधि के दौरान 1,09,200 गांठें (लगभग)।

क्षेत्रीय असमानता दूर करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गयी प्रगति

3679. **श्री एम० एस० संजीव राव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्या भूमिका सौंपी गयी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए नीति संबंधी उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं के संबंध में प्रादेशिक असमानताओं को दूर करना है।

(ख) बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों में, राष्ट्रीयकृत बैंक संगठनात्मक कठिनाइयों और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कारणों को यथार्थतः ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों में शाखाओं के खोलने को उच्च प्राथमिकता देते हैं जो पहले या तो बहुत थोड़ी शाखाओं वाले क्षेत्र रहे हैं या जहां बैंकों की कोई शाखाएं नहीं थीं। इस संबंध में हुई प्रगति इस तथ्य से देखी जा सकती है कि राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में थोड़ी बैंक शाखाओं वाले राज्यों में बैंकों के कार्यालयों की संख्या में वृद्धि की दर, उन राज्यों की तुलना में जहां अपेक्षाकृत अधिक कार्यालय हैं अथवा सम्पूर्ण देश में, काफी ऊंची रही है। इस प्रकार जहां सम्पूर्ण देश में दिसम्बर 1972 को समाप्त होने वाले $3\frac{1}{2}$ वर्षों में बैंक कार्यालयों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत 78.4 था, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे थोड़ी बैंक शाखाओं वाले राज्यों में बैंक कार्यालयों की संख्या में वृद्धि की दर बहुत अधिक

थी, इन राज्यों के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :

राज्य का नाम	दिसम्बर 1972 को समाप्त होने वाले $3\frac{1}{2}$ वर्षों में कार्यालयों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत
असम	113.15
बिहार	110.6
उड़ीसा	117.0
मध्य प्रदेश	111.4
उत्तर प्रदेश	94.2

राजस्थान के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

3680. **श्री लालजी भाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने राजस्थान को 1 प्रतिशत ऋण दिये जबकि महाराष्ट्र को 30 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल को 19 प्रतिशत, तमिलनाडु को 11 प्रतिशत और गुजरात को 6 प्रतिशत ऋण दिया गया ;

(ख) क्या इन बैंकों ने राजस्थान में प्रति व्यक्ति केवल 18.2 रुपये का निवेश किया है जबकि इसकी तुलना में देशभर में प्रति व्यक्ति 69.4 रुपये का निवेश किया गया और महाराष्ट्र में 231.6 रुपये का, पश्चिम बंगाल में 136.7 रुपये का, तमिलनाडु में 107.6 रुपये का तथा गुजरात में 89.7 रुपये का ; और

(ग) यदि नहीं, तो सही-सही आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4533/73]**

पंजाब में हथकरघों के लिए 'स्टेपल यार्न' की कमी

3681. **श्री हरी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समूचे पंजाब में कच्चे माल के मूल्य अधिक हो जाने और 'स्टेपल यार्न' की कमी के कारण लूमों और पावर लूमों के बंद हो जाने की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो 'स्टेपल यार्न' के इस संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशों में मिलों की स्थापना

3683. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृहों को विदेशों में मिलें स्थापित करने की अनुमति दी गई

है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कोई एहतियाती कार्यवाही की गई है कि इन उद्योगों की गतिविधियों से उन देशों के साथ हमारे संबंध न बिगड़ें जहां वे स्थापित किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी हां।

(ख) बड़े औद्योगिक सदनों को सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति है। सामान्यतः, भारतीय उद्यमियों को अल्पांश रूप में भाग लेने की अनुमति है। आयोजक देशों की विधियों के अधीन स्थापित इन संयुक्त उद्यम एककों के निष्पादन का पुनरीक्षण हमारे मिशनों और सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम द्वारा संसाधन जुटाना

3684. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन जुटाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ; और

(ख) ये प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम ने अपने कारोबार का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) अतिरिक्त कार्यालय खोलकर ग्रामीण संगठन का क्रमिक विकास करना, जिससे सुचारु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा पालिसीधारियों की बीमा-बाद की सेवाओं में सुधार के लिए व्यवस्था हो सके।

(2) हरित क्रान्ति से लाभान्वित चुने-चुने क्षेत्रों में कारोबार की प्रगति के लिये विशेष प्रयास।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों की एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के निमित्त वहां एजेंटों के लिये कारोबार की न्यूनतम सीमा दायित्व का कम करना।

(4) स्वास्थ्य परीक्षा बिना बीमा कराने की (सामान्य) योजना के अंतर्गत बीमे की रकम की सीमा बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षकों के लिए न्यूनतर योग्यताएं नियत करना।

(5) आयु की तस्दीक करने का तरीका सरल बना देना।

(6) जिन क्षेत्रों में बैंक-सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनमें पालिसीधारियों से प्रीमियम एकत्र करने के लिये चुने-चुने स्थानों के डाकघरों के साथ विशेष प्रबंध करना।

(7) चलते-फिरते वाहनों द्वारा प्रचार।

(8) बीमे की एक नई योजना चालू करना, अर्थात् शतवर्षीय पालिसी (Centenary Policy)

जिसको घटती-बढ़ती आय वाले ग्रामीणों की आवश्यकताओं के उपयुक्त बनाया गया है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के बीमा कारोबार के विकास के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये प्रयासों को किस सीमा तक सफलता मिली है, इसका पता नये कारोबार के नीचे दिये गये आंकड़े से चलता है :—

(रकम करोड़ रुपयों में)

वर्ष	**भारत में कुल नया कारोबार**	**ग्रामीण क्षेत्रों में नया कारोबार**	**कुल नये कारोबार के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों के नये कारोबार का प्रतिशत अनुपात।**
(1)	(2)	(3)	(4)
1967-68	835.28	235.46	28.2
1968-69	920.44	235.12	25.5
1969-70	1025.68	251.76	24.5
1970-71	1294.45	296.37	22.9
1971-72	1629.07	375.90	23.1

निर्यात बढ़ाने में वाणिज्यिक बैंकों की सहायता

3685. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने निर्यात के कार्य में कितनी सहायता की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन के लिये बैंक ऋण योजना में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) वर्ष 1969, 1970 और 1971 के अन्त में तथा जून, 1972 के अन्त में निर्यात के लिये सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया रकमों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(i) दिसम्बर 1969 के अन्तिम शुक्रवार को (लगभग) 303 करोड़ रुपये

(ii) दिसम्बर 1970 के अन्तिम शुक्रवार को (लगभग) 366 करोड़ रुपये

(iii) दिसम्बर 1971 के अन्तिम शुक्रवार को (लगभग) 459 करोड़ रुपये†

(iv) जून 1972 के अन्तिम शुक्रवार को 435 करोड़ रुपये

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

†अनन्तिम

सभी किस्मों के सूती धागों के निर्यात पर रोक लगाने के लिए हथकरघा निर्यात उद्योग, तमिलनाडु की मांग

3686. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के हथकरघा निर्यात उद्योग ने मांग की है कि सभी किस्मों के सूती धागों के निर्यात और निर्यातकों को उनके पहले के कार्यकरण अथवा चालू ठेकों के आधार पर देशी धागे के प्रत्यक्ष नियतन की प्रणाली पर तत्काल रोक लगाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि —

(1) सूत का निर्यात प्रतिबंधित तथा विनियमित तरीके से किया जायेगा। निष्पादित की जा रही संविदाओं के सम्बन्ध में उनकी सुपुर्दगियां धीरे-धीरे सन् 1973 के बाद तक की जायेंगी। 1 सितम्बर, 1973 के बाद की सुपुर्दगियों के लिए नई संविदाएं, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास रजिस्टर की जाए ; तथा

(2) हथकरघा माल के पक्के निर्यात आदेशों के सम्बन्ध में, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद/हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रत्येक संविदा की संवीक्षा किये जाने के पश्चात् सूत का आवंटन किया जायेगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा टिटेनियम डायओक्साइड के लिये आयात करार करने में विलम्ब

3687. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिटेनियम डायओक्साइड के किए आवश्यक आयात करार करने में विलम्ब के कारण राज्य व्यापार निगम को इस वर्ष 50 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो करार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) करार में विलम्ब के कारण राज्य व्यापार निगम को वास्तव में कुल कितनी हानि होने का भय है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। टिटेनियम डाइ-ओक्साइड का आयात निरंतर चलने वाला कार्य है और राज्य व्यापार निगम केवल विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय कीमत ही देता है। तथापि, विश्व भर में इस वस्तु की कमी के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत का रुख ऊपर की ओर रहा है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नयी दिल्ली की शाखाओं में की गयी अनियमितताएं

3688. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **वित्त** मन्त्री 24 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या

166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर की दिल्ली और नयी दिल्ली की शाखाओं में किस प्रकार की धोखाधड़ी और अनियमितताएं की गयी हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1969 में स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर ने बैंकों की चांदनी चौक शाखा की लेखा परीक्षा करने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) भारतीय स्टेट बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली के धोखा-धड़ियों के जिन तीन मामलों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं :—

(1) **चांदनी चौक शाखा** : एक फर्म ने जिसका नकद-ऋण बन्धक खाता था, लेखा पुस्तकों में दिलाये गये ऊंचे मूल्य की बजाय कम मूल्य की नकली वस्तुएं स्टोर कर रखी थीं।

नयी दिल्ली शाखा : बैंक के एक कलर्क ने एक जमाकर्ता के चालू खाते से अधिकृत 100 रुपये के बदले धोखा-धड़ी से 115 रुपये निकलवा दिये थे।

(2) एक फर्म के नाम पर एक जाली परिचायक संदर्भ के द्वारा एक चालू खाता खोला गया था। उसी दिन फर्म के नाम एक ड्राफ्ट स्थानीय बैंक में रुपया निकालने के लिये जमा कराया गया और उसके बाद उस खाते से रुपया निकलवाया गया जो अनधिकृत था।

रिपोर्ट में दी गयी कुछ अन्य अनियमितताएं इस प्रकार थीं जैसे लघु एककों के खाते का असन्तोषप्रद होना। एक कलर्क द्वारा ग्राहक की ओर से बहुत बड़ी राशि के बहुत से ड्राफ्ट बैंकों से सममूल्य पर खरीदा जाना ; एक अन्य कलर्क द्वारा अपने सेविंग बैंक खाते में बहुत बड़ी राशि जमा दिखाया जाना, कर्मचारियों का दीवानी और दण्ड्य मामलों में फंसा होना, शाखा में अनुशासन-हीनता होना आदि।

(ख) और (ग). स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने रिपोर्ट की है कि चूंकि 1969 में बैंक की चांदनी चौक शाखा की लेखा परीक्षा के लिये बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया था अतः मार्च 1969 में बैंक के आन्तरिक लेखा परीक्षक ने चांदनी चौक शाखा की लेखा परीक्षा की। स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर ने आगे कहा है कि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताओं का ही पता चला है और शाखा के कार्यचालन के सम्बन्ध में कोई गम्भीर बात नहीं है।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर की जालौरी गेट (जोधपुर) शाखा में राशि कम होना

3689. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली से प्रकाशित दिनांक 6 फरवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान"

(हिन्दी) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर की जालौरी गेट (जोधपुर) शाखा में जांच के समय 20,000 रुपये के नोट कम पाये गये ; और

(ख) क्या नोटों की इस कमी के बारे में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस जांच के पूरा होने के बाद कुल कितनी राशि कम पाई गयी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर ने सूचना दी है कि जयपुर स्थित जालौरी गेट शाखा के करेंसी चेस्ट की सम्पूर्ण नकली की ब्यौरेवार गिनती करने पर 28,420 रुपये कम पाये गये और इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गयी है तथा उनकी जांच चल रही है ।

सान्ताक्रुज निर्यात प्रवर्धन जोन में विकास आयुक्त की नियुक्ति

3690. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सान्ताक्रुज निर्यात प्रवर्धन जोन में विकास आयुक्त की नियुक्ति करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो आयुक्त के कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) (1) यह क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के विकास आयुक्त के प्रशासनिक कार्यभार में होगा । वह इस क्षेत्र में औद्योगिक तथा निर्यात गतिविधियां बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगा और वाणिज्य मन्त्रालय के मार्गदर्शन में वह इस क्षेत्र में प्रशासन सम्बन्धी विषयों को निबटायेगा ।

(2) वह इस क्षेत्र में आयातों तथा यहां से निर्यातों के विनियमन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) वह इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिकार प्राप्त सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निवारक नियमों, सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तथा अन्य औपचारिकताओं के लागू किये जाने के बारे में देख-रेख करेगा ।

(4) वह इस क्षेत्र में, पानी बिजली, अग्नि की रोकथाम जैसी विभिन्न सेवाओं का प्रबन्ध करने और निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा उनके रख-रखाव आदि के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) वह निम्नोक्त पर विचार करने तथा उनकी जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी होगा (क) उद्योगों की स्थापना तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रस्थापनाए, तथा (घ) पूंजीगत माल, कच्चा माल आदि के आयात के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदन-पत्र ।

भारत-रूस व्यापार करार के अन्तर्गत औषधियों का निर्यात

3691. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस व्यापार करार के अन्तर्गत सोवियत संघ को निर्यात होने वाली वस्तुओं की सूची में भारतीय औषधियों को भी शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार के अन्तर्गत कुल कितने मूल्य की औषधियों का निर्यात किया जायेगा ;

(ग) क्या औषधियों की कोई खेप सोवियत संघ भेजी जा चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1971-75 के लिए वर्तमान भारत-सोवियत संघ व्यापार करार के अन्तर्गत सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली औषधियों तथा भेषजों का पूर्वानुमानित कुल मूल्य लगभग 4.5 करोड़ रुपये है। तथापि वास्तविक निर्यात सोवियत संघ के क्रेताओं से प्राप्त क्रयादेशों, सप्लाई करने की भारतीय क्षमता, निर्यात विनियमनों, कीमतों आदि पर निर्भर करेंगे।

(ग) तथा (घ). 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान, सोवियत संघ को कुनीन डिरिवेटिव्ज, एल्कोलोइड, तथा लवण और एंटीबाइओटिक, दवा-दारू आदि के निर्यातों का कुल मूल्य लगभग 114 लाख रुपये है।

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक ऋण देने की पेशकशें

3692. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश को अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक ऋण की पेशकशें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से ;

(ग) अब तक कुल कितने रुपये के ऋण की पेशकशें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) इन पेशकशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). कुछ स्रोतों ने, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया और बेल्जियम की वित्तीय संस्थाएं और सम्भरक शामिल हैं, अलग अलग राशियों के वाणिज्यिक ऋणों की पेशकश के संकेत दिए हैं।

(घ) जिन कड़ी शर्तों पर ये वाणिज्यिक ऋण उपलब्ध हैं, उनको तथा ऋण शोधन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार, एक नीति के रूप में, इस प्रकार की शर्तों पर कम से कम ऋण लेना चाहेगी और जिन मामलों में ऐसी ऋणों का उपयोग करना उपयुक्त समझा जायगा उनमें प्रतिबन्धात्मक तथा चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जायगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण लेने की और ऋण देने की दर

3693. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण लेने और देने की दरों में समानता ला दी गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक कर दिया जायगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). शायद ऋण लेने की दर से माननीय सदस्य का तात्पर्य ब्याज की उस दर से है जिस दर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उनके द्वारा स्वीकार किये जाने वाली जमा पर ब्याज दिया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की जमा राशियों पर चुकाये जाने वाले ब्याज की दरें एक समान होती है क्योंकि ये दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों से प्रशासित होती हैं। जहां तक ऋण देने की दरों का सम्बन्ध है, ये ऋण लेने वाले की कोटि, दी गयी प्रतिभूति और प्रभाव के स्वरूप के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। यद्यपि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के लिए एक समान दरें निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है फिर भी रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली के ब्याज दरों के ढांचे का विस्तृत अध्ययन शुरू किया गया है ताकि बैंकों में बड़ों खातों के लिए अस्वस्थ प्रतियोगिता को रोकने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विकसित किये जा सकें।

प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की विदेशी मुद्रा की आय

3694. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, ने आरंभ से लेकर, वर्षवार, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने चालू वर्ष में इस निगम को क्रयादेश भेजे हैं ; और

(ग) विभिन्न देशों को अब तक कितने और कितने मूल्य के रेलवे वैगन सप्लाई किए गए हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अप्रैल, 1971 में आरम्भ होने से अब तक प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा कमायी गयी विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

1971-72	1538 लाख रुपये
1972-73 (28-2-73 तक)	981 लाख रुपये

(ख) आस्ट्रेलिया, बंगला देश, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हांगकांग, इन्डोनेशिया, आयरलैंड, केन्या, लेबनान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, पोलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, युगोस्लाविया तथा जाम्बिया।

(ग) आरम्भ होने से अब तक प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा तथा उससे पहले राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई किये गये रेल वैगनों की संख्या तथा मूल्य निम्नलिखित है :—

देश	मात्रा	अनुमानित मूल्य लाख रुपये में
		रुपये
हंगरी	500 वैगन	255.10
द० कोरिया	600 हायर कारें	404.11

द० कोरिया	150 टैंक वैगन	355.12
श्रीलंका	50 टैंक वैगन	30.44
सूडान	120 वैगन	59.16
बर्मा	14 तेल टैंक वैगन	6.71
पोलैंड	104 वैगन	54.65
पूर्व अफ्रीकी रेलवेज जिसमें उगांडा, केन्या तथा तंजानिया शामिल हैं	100 पैट्रोल वैगन	118.41
हंगरी	1000 वैगन	580.00
ईरान	2 वैगन	1.70
योग :	2930 वैगन	1865.40

इनके अतिरिक्त वर्ष 1972-73 में पोलैंड को 162 वैगनों की सब-एसेम्बलियां अर्ध-निर्मित अवस्था में निर्यात की गई और युगोस्लाविया को 51 वैगन एसेम्बली के लिए तथा क्रमशः पोलैंड और युगोस्लाविया में डिलीवरी के लिये भेजे गये। वर्ष 1971-72 में 3.8 करोड़ रुपये मूल्य के 113 सवारी डिब्बे ताइवान को सप्लाई किये गये। 24.35 लाख रुपये मूल्य के 986 डिब्बे ईरान को भी सप्लाई किये गये।

मैसूर में बैंकों से दुर्बल वर्गों को लाभ

3695. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा अब तक दुर्बल वर्गों के कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन्हें कितने रुपये का ऋण दिया गया तथा वह किस प्रयोजन के लिये दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). मैसूर राज्य में जून 1972 के अन्तिम शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकमों के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अधिकांश ऋणों का उद्देश्य कमजोर वर्गों को सहायता देना है।

(रकमें लाख रुपयों में)

वर्ग	लेखों की संख्या	बकाया शेष
कृषि	101555	2591.72
खुदरा व्यापारी	22049	605.60
छोटे व्यापारी	9104	102.85
व्यावसायिक तथा आत्म-नियोजित व्यक्ति	11239	185.40
शिक्षा	2332	38.52
लघु उद्योग	9439	1876.19

Development of Tourist Centres having wild life in abundance in Madhya Pradesh

3697. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any programme for development of Tourist Centres having wild life in abundance in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). During the Fourth Plan, the development of Kanha-Kisli National Park is being taken up in the Central Sector. The various schemes comprise development of Barasingha Breeding Project, provision of anicuts, supply of electricity, water supply and transportation.

It is further proposed to build a Rest House consisting of twenty double rooms and four dormitories of six beds each. One mini-bus has been supplied for arranging the viewing of wild life for tourists. Funds have also been released for the electrification and water supply schemes in this park.

Payment of Income-tax by Individuals belonging to lowest slab in Madhya Pradesh

3698. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the year-wise number of persons in Madhya Pradesh who paid Income-tax under the lowest slab of income-tax during the last three years and the amount of Income-tax realised from them during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : Such detailed information stands presently compiled up to the year 1968-69. The lowest slab for income-tax during the years 1966-67 to 1968-69 was Rs. 4,001 to Rs. 5,000 of income whereas the lowest slab at present is Rs. 5,001 to Rs. 10,000. The information as available for the years 1966-67 to 1968-69 for these slabs is given in the Annexure. Collection of information for the last three years will take considerable time.

Statement

Madhya Pradesh Charge

	1966-67	1967-68	1968-69
Number of assessments of "individuals" completed under the range of income			
(i) Rs. 4001/- to Rs. 5000/-	12,130	10,119	9,114
(ii) Rs. 5,001/- to Rs. 10,000/-	25,220	27,202	34,407
Total Income tax chargeable, including Surcharge, in above— (rupees in lakhs)			
(i)	4.7	4.1	3.4
(ii)	61.0	65.8	85.0

Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh

3699. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of nationalised banks in various Districts of Madhya Pradesh at present ; and

(b) the total, District-wise number of branches to be opened during the financial year 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b). As on 31st December, 1972, the number of bank offices of nationalised banks operating in various districts of Madhya Pradesh was 377. Licences/allotments are pending with them for opening 64 more offices in Madhya Pradesh. The banks are expected to utilise these licences/ allotments by and large during the year 1973. The details are given in the statement attached. **[Placed in the Library. See No. LT—4534/73].**

वैज्ञानिकों तथा वस्त्र प्रौद्योगिकीविदों द्वारा स्टैण्डर्ड कपड़ा तैयार करने की विधि बताना

3700. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों तथा वस्त्र प्रौद्योगिकीविदों को ऐसा स्टैण्डर्ड कपड़ा तैयार करने की विधि निकालने के लिए कहा है जो आप लोगों के लिए सुलभ सस्ता और टिकाऊ हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to Develop Balirajgarh (Bihar) as a Tourist Centre

3701. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a proposal to develop famous historical remains of Balirajgarh in Babubarthi Block of Madhubani District in Bihar and to convert the place into a Tourist Centre is under consideration ;

(b) whether a scheme to develop the birth-place of famous medieval poet of Maithili and Sanskrit, Vidyapati in Bisfi, Madhubani District, into a Tourists' centre is being formulated ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). This is a matter for the State Government. No proposals for investment of this nature are under the consideration of the Central Government.

(c) Does not arise.

Development of Gautam Kund, Ahilyasthan etc. in Bihar as Tourist Centres

3702. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that 'Gautam Kund' and 'Ahilyasthan', the places of hermitage of the Great Sage Gautam and his wife Ahilya, which are located in Yogiyara (Jale) block of Darbhanga District, of Bihar, are great places of pilgrimage ;

(b) whether the resting place of Shri Ram and Laxman alongwith the Great Sage Vishwamitra at the time of 'Dhanushbhang' (breaking of bow), located in Visaul village of Visaul block of Madhubani District and the place of Girija (Girija Sthan) which was worshipped by Sita, located in Umago block of Madhubani District of Bihar are also great places of pilgrimages ;

(c) if so, whether these places are proposed to be developed into Tourist Centres ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). Government are aware that these spots are places of pilgrimage, but have at present no proposals for their development as tourist centres in the Central Plan due to constraint on resources and other priorities.

पोलैंड को खली का निर्यात

3703. **श्री राम भगत पास्वान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड को खली निर्यात करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सौदे से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). पोलैंड भारत से खलियों का एक नियमित क्रेता है। भारत और पोलैंड के बीच हस्ताक्षरित 1973, 1974 तथा 1975 वर्षों के लिए दीर्घकालीन व्यापार संलेख में इन वर्षों के दौरान पोलैंड को खलियों के निर्यात की व्यवस्था है।

भारत का पोलैंड के साथ व्यापार जैसा कि अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के मामले में है, दीर्घ-कालीन व्यापार तथा भुगतान करारों के अनुसार विनियमित होता है जिसमें सभी वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक सौदों का निबटारा अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किए जाने की व्यवस्था है। यह व्यापार की संतुलित प्रणाली है और एक दूसरे के आयातों तथा निर्यातों को कुछ अवधि के भीतर संतुलित करना होता है। इस समय किसी विशेष मद के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की आय बताना सम्भव नहीं है। तथापि, 1973 की व्यापार योजना में, समग्र रूप में, भारत से 70 करोड़ रुपये के निर्यातों की व्यवस्था है।

यूनान से व्यापार करार

3704. **श्री राम भगत पास्वान** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यूनान के साथ एक व्यापार करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। भारत और यूनान के बीच 31 जनवरी, 1973 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) करार का उद्देश्य भारत तथा यूनान के बीच व्यापक रूप में व्यापार को बढ़ाना है। इसमें मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार करने और भुगतान, परेषण तथा निधियों या वित्तीय लिखतों के अंतरण, वाणिज्यिक संस्थाओं के कार्यचालन, जहाजरानी आदि जैसे विषयों पर एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने और वस्तुओं के निर्यात/आयात तथा मेले व प्रदर्शनियां आयोजित करने के सम्बन्ध में अधिकतम संभव सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। इसमें दोनों देशों के बीच करार के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को, यदि कोई हों, सुलझाने और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए ठोस मार्गोपायों का पता लगाने की भी व्यवस्था है।

कृषि मंत्रालय द्वारा सूखे वाले क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा लाने के लिये विमान सप्लाई करने हेतु अनुरोध

3705. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय और कुछ अन्य गैर-सरकारी संगठनों से सूखे वाले क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा लाने के लिये विमान सप्लाई करने के लिये नागर विमानन विभाग से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फसल के लिये दिये गये ऋणों की वसूली

3706. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा फसल के लिए दिए गये ऋणों को फसल कटने से पहले ही वसूल किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या फसल के लिए दिए गये ऋणों की वसूली का सम्बन्ध फसल के बेचने से है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) कृषि अग्रिमों की वसूली सामान्यत: उस समय की जाती है जब किसान अपनी फसल को बेच लेता है और पुर्नअदायगी करने की स्थिति में होता है। बैंक कृषकों को सामान्यत: फसल कटाई के बाद एक या दो महीने के अन्दर ऋणों की पुर्नअदायगी का समय देते हैं।

देश में होटल और पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

3707. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निकट भविष्य में कुछ होटल और पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है उन्हें कहां-कहां और कब तक स्थापित किया जायेगा, और उनका प्रस्तावित परिव्यय क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन आकर्षण के स्थानों का विकास उनके आकर्षण को दृष्टि में रखते हुये एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले नये होटलों के विवरण अर्थात् स्थान जहां ये स्थापित किये जायेंगे, अनुमानित लागत तथा उनके पूरा होने की संभावित तारीख को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	होटल परियोजना का नाम	कमरों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
	भारत पर्यटन विकास निगम			
1.	बीच होटल, कोवालम	100	115	30-11-1973
2.	ट्रांजिट होटल, कलकत्ता विमानक्षेत्र	150	250	31-12-1973
3.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर का विस्तार	20	25	15-3-1973
4.	गुलमर्ग में होटल	60	110	अभी शुरू नहीं किया गया
5.	होटल अशोक, बंगलौर का विस्तार	100	80	अभी शुरू नहीं किया गया
6.	औरंगाबाद में होटल	83	70	अभी शुरू नहीं किया गया
	एयर-इण्डिया			
1.	बंबई विमानक्षेत्र में होटल	180	305	दिसम्बर, 1973
2.	जुहू बीच, बम्बई में होटल	350	580	निर्णय होना है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गठित रामानुजम गुट की सिफारिशों पर किया गया निर्णय

3708. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकरण में तीव्रता लाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गठित रामानुजम ग्रुप की सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक द्वारा श्री के० एन० आर० रामानुजम की अध्यक्षता में नियुक्त कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों का सम्बन्ध राज्य वित्तीय निगमों के साधनों के जुटाने, लाभोत्पादकता और उनके कार्यचालन के अन्य पहलुओं से था। राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों के बीच समन्वय के मामलों को छोड़ कर उनका सम्बन्ध वाणिज्यिक बैंकों के कार्यचालन से नहीं था।

कार्यकारी दल की वे सिफारिशें जो राज्य वित्तीय निगमों के सम्बन्ध में थी और जिनके लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में कानूनी संशोधन करना आवश्यक था और जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था उन्हें दिसम्बर 1972 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किये गये संशोधन विधेयक द्वारा क्रियान्वित कर दिया गया हैं।

निगमों के कार्य चालन से सम्बद्ध अन्य सिफारिशों के सम्बंध में रिजर्व बैंक ने राज्य वित्तीय निगमों को यह परामर्श दिया है कि वे परियोजनाओं का वित्तीय एवं तकनीकी मूल्यांकन करने और इन निगमों को संगठनात्मक रूप से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करें तथा रिजर्व बैंक ने प्रत्येक राज्य वित्तीय निगम को क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। भारतीय औद्योगिक बैंक ने सरलीकृत आवेदन पत्रों के फार्मों को चलाकर तथा स्वचल आधार पर 2 लाख तक की रकम के ऋणों की पुनर्वित्त सुविधा की मंजूरी देकर राज्य वित्तीय निगमों की पुनर्वित्त व्यवस्था सम्बंधी प्रक्रिया में ढील दे दी है।

जहां तक राज्य वित्तीय निगमों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय का सम्बंध है कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री आर० के० तलवार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो समन्वय की क्रियाविधि तैयार करेगी। आशा है समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

कृषि परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

3709. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि परियोजनाओं में धन लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को 2370 लाख डालर का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ; और

(ग) भारत सरकार की ओर से किसने बातचीत की और करार पर हस्ताक्षर किए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) (क) जी, हां। भारत सरकार ने गुजरात, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, मैसूर और महाराष्ट्र की कृषि ऋण परियोजनाओं के लिए कुल 2169 लाख डालर के तथा बिहार मंडी परियोजना के लिए 140 लाख डालर के और कृषि विमानन परियोजना के लिए 60 लाख डालर के ऋण करारों पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) के साथ हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सभी ऋण 50 वर्षों में वापस किये जाने हैं जिनमें 10 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है। इन ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता किन्तु उन पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की वार्षिक दर से सेवा-प्रभार की अदायगी करनी पड़ती है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाली उपर्युक्त ऋण-राशियां, भारत सरकार द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम (ए० आर० सी०) को दी जानी हैं ताकि उक्त निगम, राज्यों के भूमि विकास, भूमि बन्धक बैंकों, सहयोगी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण परियोजनाओं के मामले में लघु सिंचाई, कृषि विकास तथा मशीनों से खेती-बाड़ी करने के लिए, बिहार मंडी परियोजना के मामले में, विपणम सुविधाओं के विकास के लिए तथा कृषि विमानन परियोजना के अन्तर्गत हवाई जहाजों से छिड़काव करने के उद्देश्य से कृषि वायुयान आयात करने के लिए अन्तिम लाभ भोगियों को संवितरित ऋणों की पुनर्वित्त-व्यवस्था कर सके।

(ग) इन ऋणों के सम्बन्ध में बातचीत करने वाले भारतीय दलों में केन्द्रीय कृषि और आर्थिक विभागों, सम्बद्ध राज्य सरकारों, सम्बद्ध भूमि विकास बैंकों / भूमि बन्धक बैंकों तथा कृषि पुनर्वित्त निगम के प्रतिनिधि शामिल थे। चूंकि इन करारों पर वाशिंगटन में हस्ताक्षर किये जाते हैं इसलिए भारत सरकार तथा सम्बद्ध संगठन अपनी ओर से करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूत (अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक दूत) को प्राधिकार दे देते हैं।

भीम बन्द (बिहार) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने संबंधी निर्णय

3710. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भीम बन्द जिला मुंघेर (बिहार) का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

50 करोड़ रुपये की जमा राशि वाले निजी बैंकों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

3711. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे निजी बैंकों को जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, अपने

नियन्त्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). फिलहाल सरकार का ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनकी जमा की राशि 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। इसके कारण संसद को कई अवसर पर बताये जा चुके हैं। इस सम्बंध में सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कृत्रिम रेशों के मूल्यों का निर्धारण

3712. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर कृत्रिम रेशों के मूल्यों के निर्धारण के संबंध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). विभिन्न प्रकार के मानव-निर्मित रेशों तथा धागों की उचित बिक्री कीमतों की सिफारिशों के संबंध में टैरिफ आयोग ने चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। रेयन टायर यार्न/कार्ड/रेशों से संबंधित सिफारिश पहले ही स्वीकार कर ली गई हैं और 27.2.1972 को एक सरकारी संकल्प भी जारी किया जा चुका है। अन्य सिफारिशों के विषय में शीघ्र ही विनिश्चय किया जायेगा।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की हिसार (हरियाणा) शाखा को ऋण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र

3713. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों से ऋण के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया, हिसार (हरियाणा) को वर्ष 1972 में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) क्या उनमें से कुछ को ऋण मंजूर नहीं किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1972 में ऋणों के लिये लघु उद्योगों से तीन आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। उसी अवधि में चार आवेदनपत्र ऋण सीमाओं में वृद्धि के लिए प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग). 1972 में प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, सभी मामलों में स्वीकृति दे दी गयी है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की हिसार शाखा द्वारा आवेदन प्रपत्रों का दिया जाना

3714. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की हिसार शाखा लघु उद्योगों को ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र नहीं देती है ;

(ख) क्या एन० के० इण्डस्ट्रीज हिसार ने आवेदन प्रपत्रों के लिए बैंक से बार-बार कहा है, लेकिन उनको ये नहीं दिये गये ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साधारणतः बैंक से उधार लेने की इच्छा वाले सभी व्यक्तियों को आवेदन-पत्र दिये जाते हैं ।

(ख) और (ग). इस मामले में पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आसाम में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास के लिये अध्ययन दल के सुझाव

3715. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और दो अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित उस अध्ययन दल ने, जिसने आसाम की औद्योगिक सम्भावनाओं का सर्वेक्षण किया था, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास के लिये सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या क़दम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । एक संयुक्त संस्थानिक अध्ययन दल ने, जिसने आसाम का एक औद्योगिक संभावनाओं संबंधी सर्वेक्षण किया था, अन्य बातों के साथ-साथ आसाम की पर्यटकीय संभावनाओं का उल्लेख किया तथा केन्द्रीय राज्य पर्यटन विभागों द्वारा किफायती विमान परिवहन की व्यवस्था, होटल आवास का विकास तथा अभिवृद्धि परक प्रयत्नों जैसे कुछ उपायों का सुझाव दिया । दल ने आसान शर्तों पर होटल उद्योग को ऋण देने तथा गौहाटी में एक होटल की भी सिफारिश की ।

(ख) अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास उचित कार्यवाही के लिए पहले ही भेजी जा चुकी हैं ।

पांचवीं योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये कार्यवाही

3716. **श्री झारखण्डे-राय** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर आसाम में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र ने पूरा ध्यान नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पांचवीं योजना में इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). साधनों तथा प्राथमिकताओं की परिसीमाओं के अन्तर्गत, पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कई योजनाएं प्रारंभ की गयी हैं। इनमें ये सम्मिलित हैं—पर्यटन कार्यालयों की स्थापना, आवास व परिवहन की व्यवस्था तथा विभिन्न स्थानों पर अन्य सुविधाओं में सुधार। असम तथा इस क्षेत्र में अन्य स्थानों की विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा करने पर लगे प्रतिबंधों के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ है जितना कि कुछ अन्य राज्यों में। इस क्षेत्र में पर्यटन यातायात को बढ़ाने की दृष्टि से पर्यटन विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त रूप से हाल ही में, 'पूर्वी भारत में पर्यटन' पर एक सम्मेलन (कन्वेन्शन) का आयोजन किया था।

(ग) पांचवीं योजना के लिए पर्यटन स्कीमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

चैकोस्लोवाकिया और पोलैंड को अयस्क का निर्यात

3717. **श्री राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान चैकोस्लोवाकिया और पोलैंड को लौह अयस्क के निर्यात के लिए कोई नये करार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितना माल निर्यात किया जायेगा और इन करारों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). वर्ष 1972-73 (जनवरी, 1973 तक) में चैकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड को भारत के निर्यात क्रमश: 418 लाख रुपये मूल्य के 6.35 लाख टन और 216 लाख रुपये के 3.15 लाख टन थे। हाल में चैकोस्लोवाकिया के साथ, 1973-74 के दौरान 350 लाख रुपये मूल्य के 6.15 लाख टन की एक निश्चित मात्रा की सप्लाई के लिए एक संविदा की गई है। 1973-74 में सप्लाई के लिए पोलैंड के साथ अभी तक कोई नई संविदा नहीं की गई है।

जापान को भारत के माल के निर्यात में वृद्धि

3718. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान को भारत के माल के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ख) जिन मदों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है उनको दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण क्या है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन में तुलनात्मक कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सरकार, जापान को भारत से होने वाले निर्यात तथा उसकी संभाव्यताओं का निरंतर पुनर्विलोकन करती रहती है। पिछले चार वर्षों के दौरान जापान की दिलचस्पी की बहुत सी मदों के सम्बन्ध में अनेक जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत आये। उन मदों में ये शामिल हैं : मशीनी औजार, हाथ के औजार, भेड़ों के केसिंग, किराने का ताजा माल, मशीनों तथा धातुकर्म सम्बन्धी मदें आदि। श्रम-प्रधान उत्पादों की

सप्लाई करने वाले उद्योगों तथा निर्यात अभिमुख संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने में दिलचस्पी रखने वाले मिशनों का भी भारत में स्वागत किया गया। उन मदों की निर्यात संभाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए बहुत से प्रतिनिधिमंडल भारत से जापान गये जिनके लिए भारत में निर्यात क्षमता है और जापान में उनके आयात के अवसर भी हैं। इनमें उत्पादों का व्यापक क्षेत्र शामिल है, जैसे कि इंजीनियरी उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, इलैक्ट्रोनिक्स मोटरगाड़ियों के हिस्से तथा पुर्जे, खली आदि। गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा प्रतिनिधिमंडलों को भी जापान के व्यावसायिक दौरे करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, विशेषतः खनिज तथा धातु व्यापार निगम भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं।

2. संभाव्यताओं का पूरा पूरा उपयोग करने तथा दोनों देशों के उद्योग और व्यापार से सम्बन्धित नेताओं को निकट सम्पर्क में लाने के लिए दो समितियां स्थापित की गईं :

(1) सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों के लिए, आर्थिक विकास पर अध्ययन करने हेतु भारत-जापान समिति।

(2) भारत-जापान व्यावसायिक सहयोग समिति, जिसमें दोनों देशों के व्यापारी तथा उद्योगपति शामिल हैं।

3. व्यापार विकास प्राधिकरण को अन्यों के साथ-साथ जापान को कुछ चुनी हुई अपरम्परागत मदों का निर्यात बाजार बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस प्राधिकरण ने इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की निर्यात की संभाव्यताओं का पता लगाने हेतु इलैक्ट्रोनिक्स में दिलचस्पी रखने वाला एक प्रतिनिधिमंडल जापान को और शांताक्रुज, बम्बई में निर्बाध व्यापार क्षेत्र में निर्यात अभिमुख संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए एक प्रतिनिधि मंडल प्रायोजित किया।

4. भारत-जापान व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्ष 1966-67 से व्यापार संतुलन भी भारत के पक्ष में रहा है।

5. पिछले कुछ वर्षों में जापान को प्रमुख मदों के निर्यात निष्पादन को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न हैं।

6. जापानी इस्पात उद्योग में मंदी आने, उत्पादन में उतार-चढ़ाव, पाकिस्तान के साथ संघर्ष हो जाने से व्यापार में विस्थापन आदि जैसे हमारे नियंत्रण से बाहर कुछ कारणों से, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1971-72 में जापान को निर्यातों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई। चालू वर्ष में स्थिति में सुधार होने की आशा है। तथापि पहले से ठीक-ठीक यह बताना संभव नहीं है कि विभिन्न मदों के निर्यात में भविष्य में कितनी वृद्धि होगी और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

विवरण

उन प्रमुख मदों के निर्यात निष्पादन को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण, जिनके निर्यातों में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।

(मूल्य लाख रुपये में)

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 (अप्रैल-अगस्त)
1. लौह अयस्क तथा सांद्रण	7101	7613	9315	8633	2906

मूल्य लाख रुपये में

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 अप्रैल-अगस्त
2. मछली तथा मछली से तैयार की गई वस्तुएं	468	941	1196	2240	1061
3. कपास	888	1179	1035	1168	614
4. मैंगनीज अयस्क	798	693	1111	803	376
5. खली	396	423	932	734	287
6. मोती तथा मूल्यवान व अर्ध-मूल्यवान रत्न (तराशे तथा बिना तराशे हुए)	103	177	286	437	238
7. चमड़े की खालें तथा चमड़ियां, कमाई हुई तथा साफ की हुई	321	388	430	416	5
8. तम्बाकू, अनिर्मित	288	261	239	386	442
9. लकड़ी	179	319	237	331	230
10. काजू गिरी	49	47	102	143	88
11. संग्रहकर्ताओं के योग्य कलात्मक तथा पुरातन कृतियां	39	69	116	134	450
12. रासायनिक तत्व तथा मिश्रण	48	43	36	105	36
13. चाय	47	62	63	93	47
14. ब्रुशों के लिए ताड़ रेशा	72	78	114	84	21
15. तिलहन तथा तेल निकालने की गिरियां	8	55	36	72	23
जापान को कुल निर्यात	158,33	179,36	203,48	182,27	78,87

विदेशी इंजीनियरिंग कम्पनियां

3719. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित इन विदेशी इन्जीनियरिंग कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें विदेशियों के 50 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक ने विदेशों को कितनी राशि भेजी ; और

(ग) इन कम्पनियों के शीघ्र भारतीयकरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी सूचना उपलब्ध होगी उतनी लोक सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) जब विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों को जिनमें विदेशी इन्जीनियरी कम्पनियां भी शामिल हैं, उनके विस्तार के लिए अनुमति दी जाती है तब 19 फरवरी, 1972 के प्रेस नोट में घोषित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, इस प्रकार की कम्पनियों में विदेशी शेयर-धारिता कम करने के लिए इस अवसर से लाभ उठाया जाता है। इस सम्बन्ध में जारी किए गए प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4535/73]**

"विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक 1972" के अधिनियमित हो जाने के बाद, जो संसद में पिछले सत्र में प्रस्तुत किया था, उन सभी कम्पनियों के मामलों पर विचार किया जायगा जिनमें 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विदेशी शेयरधारिता है।

वर्ष 1972 के दौरान पालम हवाई अड्डे से इण्डियन एयर लाइन्स के भण्डार तथा अन्य सम्पत्ति की चोरी के बारे में जांच

3720. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1971 के दौरान दिल्ली में पालम हवाई अड्डे से इंडियन एयर लाइन्स के भंडार तथा अन्य सम्पत्ति की चोरी की शिकायतों की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1972 के दौरान पालम विमानक्षेत्र से इण्डियन एयरलाइन्स के सामान (स्टोर्स) तथा अन्य सम्पत्ति की चोरी के 13 मामले थे। ग्यारह मामलों का जांच-कार्य पूरा हो चुका है तथा दो की जांच की जा रही है।

चार मामलों में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके तथा उन्हें समाप्त हुआ समझ लिया गया है। अन्य सात मामलों में से चार मामले सामान (स्टोर्स), खाद्य वस्तुओं, सिगरेटों तथा हस्त औजारों की चोरी के थे। एक मामले में, कुछ नकदी, एक सिगरेट बाक्स तथा कुछ सिगरेटों के पैकेट गुम पाए गए थे। उचित सजाएं दी गयीं तथा मामले को सीमा-शुल्क विभाग को रिपोर्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें उनका एक कर्मचारी भी शामिल था।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्तीय विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम द्वारा लघु तथा मध्यम उद्योगों को दिये गये ऋण

3721. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम ने लघु और मध्यम उद्योगों को कुल कितनी राशि के ऋण तथा अन्य प्रकार की सहायता दी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : प्रश्न में उल्लिखित वित्तीय संस्थाओं में से भारतीय

जीवन बीमा निगम केवल सरकारी लिमिटेड कम्पनियों को सहायता दे सकता है, जबकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम केवल लिमिटेड कम्पनियों को सहायता दे सकता है तथा अधिकांश लघु एकक साझेदारी कम्पनियों के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट लघु उद्योगों को ऋण नहीं मंजूर करता और न ही किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देता है। क्योंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है, वह सामान्यतः लघु एककों को सीधे सहायता नहीं देता तथा विकास बैंक के द्वारा लघु एककों को दी गयी सहायता, ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त के रूप में देने से अप्रत्यक्ष सहायता होती है। लेकिन भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लघु उद्योगों को विदेशी मुद्रा में ऋण देता है। लघु उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को इन संस्थाओं के द्वारा दी गयी सहायता के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना सम्बद्ध विवरण में दे दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4536/73]**

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित खाद्यान्नों की उचित दर की दुकानों के मालिकों को ऋण

3722. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित खाद्यान्नों की उचित दर दुकानों के मालिकों को ऋण दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों को देने के मानदंड क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी सामान्य प्रक्रिया विधि के अनुसार खाद्यान्नों की उचित दर की दुकानों को ऋण देते हैं।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा प्रायोजित उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करने के लिये वित्तीय सहायता देने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राशन वाले खाद्यान्नों के आधार पर दिये जाने वाले चयनात्मक ऋण नियंत्रण अग्रिमों के उपबंधों से पूरी तरह छूट दे दी है।

Export of Steel to Nepal

3723. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantum of steel exported to Nepal from India ;

(b) whether Nepal also imports huge quantity of steel from Japan ; and

(c) the quantum of pig iron exported in Japan during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A, C. George) : (a) During 1971-72, 2,000 tonnes of steel valued at Rs. 27 lakhs were exported from India to Nepal.

(b) According to available information, Nepal is importing steel from Japan also.

(c) Exports of pig iron including cast iron from India to Japan during 1970-71 and 1971-72 were as follows :—

Year	Quantity	Value
1970-71	4,18,000 tonnes	Rs. 1882 lakhs
1971-72	1,65,000 tonnes	Rs. 534 lakhs

Amount of Arrears realised by Ashoka Hotel

3724. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Committee on Public Undertakings in its 15th Report on the Ashoka Hotel, has made certain observations about the amount of arrears to be realised by the Hotel ;

(b) the steps taken by Government in that direction ; and

(c) the amount of arrears realised after the Report of the said Committee and the increase registered in the amount of arrears since the presentation of the Report ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Hotel Management has been pursuing the matter vigorously with the parties concerned by way of written reminders, personal contacts and legal action, wherever necessary.

(c) (i) Rs. 24,42,814 has so far been realised out of Rs. 28,26,619 shown as outstanding in the report.

(ii) the amount of outstandings as on 31.12.1972 was to the tune of Rs. 53,29,458.29 out of which Rs. 42,56,620.39 represent outstandings for periods of less than 6 months.

Setback in Export of Oil Cakes

3725. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there has been a considerable setback in the exports of oil cakes from the country ;

(b) the percentage of decline in the export of oil cakes during 1971-72 as compared to that in 1970-71 ; and

(c) the reasons for the decline in exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir. There has been some decline in the exports of oil cakes.

(b) Percentage of decline during 1971-72 as compared to 1970-71 in terms of quantity is 15.6% and in the terms of value is 27.6%.

(c) During 1971-72, the decline in exports were mainly due to lower unit value realisation and stiff competition posed by developed exporting countries.

Export of Mica

3726. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which Mica is being exported at present and the foreign exchange earned from those countries on this account during the last three years ; and

(b) the names of the States in India, which are main sources of production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) A statement is attached.

(b) Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan are the main sources of production of Mica.

Statement

Statement showing country-wise exports of Mica (including splitting and waste) during 1969-70 to 1971-72.

Value : **Rs. Lakhs.**

Country		1969-70	1970-71	1971-72
1. Czechoslovakia	..	80.00	72.00	103.17
2. Rumania	..	6.00	42.00	31.69
3. Poland	..	131.00	118.00	172.88
4. Hungary	..	46.00	17.20	58.06
5. Yugoslavia	..	10.19	24.86	24.15
6. Bulgaria	..	16.80	3.48	21.33
7. G. D. R.	..	51.00	71.50	89.86
8. U. S. S. R.	..	386.00	544.00	419.44
9. France	..	47.00	67.00	54.59
10. U. K.	..	119.00	133.00	85.41
11. G. F. R.	..	31.00	40.80	38.18
12. Norway	..	14.00	8.00	12.18
13. Netherlands	..	26.00	20.00	12.87
14. U. S. A.	..	140.00	173.00	221.96
15. Japan	..	245.00	159.00	155.96
16. Hong Kong	..	33.00	45.00	5.40
17. Others	..	365.01	176.36	250.23
Grand Total :		1747.00	1716.00	1757.36

Assistance from World Bank for Projects in India

3727. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of assistance received by India from World Bank for special projects during the last two years ; and

(b) the names of the projects on which the said amount has been spent ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The Government of India has signed agreements with the International Development Association, the soft-loan affiliate of the World Bank, for a total sum of $ 645.20 million, for specified Projects, during the years 1971-72 and 1972-73.

(b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

S. No.	Name of the Project		Date of Agreement	Credit Amount ($ million)
1.	Fourth Telecommunication Project	..	3.5.71	78.00
2.	Second Power Transmission Project	..	3.5.71	75.00

S. No.	Name of the Project		Date of Agreement	Credit Amount ($ million)
3.	Haryana Agricultural Credit Project	..	11.6.71	25.00
4.	Tamil Nadu Agricultural Credit Project	..	11.6.71	35.00
5.	Cochin Stage II Fertiliser Project	..	30.7.71	20.00
6.	Wheat Storage Project	..	23.8.71	5.00
7.	Pochampad Irrigation Project	..	23.8.71	39.00
8.	Mysore Agricultural Credit Project	..	7.1.72	40.00
9.	Gorakhpur Fertiliser Expansion Project	..	7.1.72	10.00
10.	Eleventh Railway Project	..	24.1.72	75.00
11.	Maharashtra Agricultural Credit Project	..	29.3.72	30.00
12.	Bihar Agricultural Markets Project	..	29.3.72	14.00
13.	Population Project	..	14.8.72	21.20
14.	Shipping Project Credit	..	26.9.72	83.00
15.	Education Project Credit	..	10.11.72	12.00
16.	IDBI Project	..	9.2.73	25.00
17.	Nangal Fertiliser Expansion Project	..	9.2.73	58.00
			Total	$ 645.20 million

बैंक आफ अमेरिका द्वारा रिजर्व बैंक में जमा की गई राशि

3728. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ अमेरिका ने वर्ष 1964 में भारत में अपना काम शुरू करते समय रिजर्व बैंक आफ इंडिया में कितनी धनराशि जमा कराई ;

(ख) 1964-71 वर्षों के दौरान प्रत्येक शीर्षक, अर्थात् लाभ, लाभांश तकनीकी जानकारी, मुख्य कार्यालय व्यय और अन्य व्यय के अन्तर्गत बैंक को कुल कितनी धनराशि स्वदेश भेजने की अनुमति दी गई ;

(ग) 1964 और 1971 में बैंक की भारत में कुल कितनी जमा राशि थी और इसके द्वारा दिये गये ऋण की राशि क्या थी ; और

(घ) 1971 में कुल जमा राशि के अनुपात में बैंक की कुल कार्यकारी पूंजी कितनी थी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1946 की धारा 11 (2) (ख) (1) की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के लिए भारत में अपना कारोबार शुरू करने के समय 1964 में बैंक आफ अमेरिका ने 20 लाख रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करा दी थीं ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) 1964 और 1971 को भारत में बैंक की कुल जमा रकमें और अग्रिम इस प्रकार थे :--

निम्नलिखित तारीख को जमा रकमें		निम्नलिखित तारीख को अग्रिम (खरीदी गयी और भुनायी गयी हुंडियों की रकम सहित)
		31-12-64
31-12-64	4,58,45,060.63	3,06,56,822.1
		31-12-71
31-12-71	44,97,01,302.11	31,68,28,874.18

(घ) 31-12-1971 को बैंक की कार्यचालन पूंजी की तुलना में बैंक में कुल जमा रकमों का अनुपात 1.07 : 1 था (अर्थात् तलपट जोड़ में से सामने दी गयी मदों के जोड़ को घटा कर)।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंक आफ अमेरिका का निरीक्षण

3729. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अक्तूबर और 25 नवम्बर, 1972 के बीच रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक आफ अमेरिका का निरीक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान क्या क्या अनियमिततायें पाई गई थीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) निरीक्षण के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा गंभीर किस्म की कोई अनियमिततायें नहीं पायी गयीं।

बैंक आफ अमेरिका द्वारा बम्बई में एक क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना

3730. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ अमेरिका ने बम्बई में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक अनुमति दे दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) नवम्बर, 1972 में "बैंक आफ अमेरिका" ने, भारत में अपने कार्यालयों के संबंध में "प्रशासनिक कार्य" निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ बंबई में "क्षेत्रीय कार्यालय" खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 फरवरी 1973 को उपर्युक्त बैंक को, केवल प्रशासनिक कार्य करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रयोजनार्थ एक सशर्त लाइसेंस दिया गया था। यह कार्यालय बैंक कारोबार करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

मछली निर्यात में गिरावट

3731. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1973 के "इकानामिक टाइम्स", बम्बई में "फिश इक्सपोर्ट स्मैल फाउल (मछली के निर्यात में गड़बड़ो)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार में कोई विशेष सार नहीं है ।

पारादीप (उड़ीसा) में उच्च शक्ति वाले राडार यूनिट के लिये उपकरण

3733. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था करने हेतु पारादीप में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उच्च शक्ति वाले राडार यूनिट के लिये उपकरण पहुंच गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित समय के अनुसार उक्त राडार स्टेशन मार्च 1973 के अन्त तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां, उपस्कर के कुछ एक उपकरणों को छोड़कर जिनके कि शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) राडार स्टेशन के मई, 1973, के अंत तक कार्य प्रारंभ कर देने की आशा है ।

उड़ीसा में आधुनिक पटसन के उद्योग की स्थापना

3734. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में आधुनिक पटसन उद्योग स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उड़ीसा सरकार से अपनी प्रस्थापना पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ।

Disciplinary Action against Pilots and Air Hostesses of Air India and Indian Airlines

3735. **Shri Sankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of pilots and air hostesses of Air India and Indian Airlines against whom disciplinary action has been taken during the last one year with reasons therefor ; and

(b) the number of employees of Air India and Indian Airlines whose services have been terminated because of insufficient working ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) **Indian Airlines :**

One pilot for grave misconduct, lack of integrity and devotion to duty and drunkenesss. 8 air hostesses : 6 for unauthorised long absence, one for inefficiency and the other for lack of integrity and devotion to duty, and breach of Standing Orders.

Air-India :

2 pilots : One for using abusive language against an air hostess on flight and disorderly behaviour at the Immigration office, London. Another for wrong landing techniques and failure to report the incident.

5 air hostesses : Four for operating a flight with invalid documents and the fifth in connection with shop lifting in London.

(b) **Indian-Airlines :** —2

Air India : —13 probationers and 3 others.

Request for Economic Co-operation to Centre by U. P. for the Manufacture of Handloom Bed-sheets

3736. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have requested the Central Government to extend more co-operation in the manufacture of handloom bed-sheets and artistically designed clothes which are exported to U. S. A. and other countries in large quantity ; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loss suffered by Air India during 1972-73

3737. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Air India is likely to suffer loss during 1972-73 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. About Rs. 2.92 crores according to the revised estimates.

(b) The reasons broadly are—

(i) substantial drop in revenue yields due to drastic reduction in passenger fares especially on the Atlantic and on the USA/India route.

(ii) increased depreciation provisions, insurance premium and interest on loans secured by Air-India from abroad for purchase of aircraft.

Import of Naphtha from Kuwait

3738. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to import Naphtha from Kuwait ;

(b) whether some quantity of Naphtha has already been imported ; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Kuwait have expressed their inability to supply us any Naphtha, at least for the time being.

(b) No Naphtha has been imported from Kuwait in recent years.

(c) Does not arise.

Schemes undertaken by Nationalised Banks for Uplift of Poor Farmers

3739. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the schemes proposed to be undertaken by the nationalised banks for the uplift of the poor farmers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : Nationalised banks, under various schemes already drawn up by them, advance loans for productive requirement of farmers including poor farmers. For financing farmers with small-holdings, the banks are moving away from security-oriented lending to purposive, productive and incremental income-oriented lending. Other steps taken to encourage assistance to small land-holders are : provision of partial cover to banks under the Credit Guarantee Scheme, 1971, introduction of group guarantees for loans to small farmers including share-holders etc., introduction of differential rates of interest to farmers according to their size of holding, the scheme of extending credit on concessional rate of interest to very small farmers in specified areas and the active association of banks with the SFDA/MFAL areas in different parts of the country. The banks have also taken steps to simplify their forms and print them in the regional languages.

Assistance from Foreign Countries for Drought Relief Measures in India

3740. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which assistance has been received by Government to meet the situation arising out of the drought conditions prevailing in most of the States in the country during the year 1972-73 indicating the amount and the form of assistance so received ; and

(b) whether any assistance has been received under the PL. 480 also and if so, the amount and the form thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) None, Sir.

(b) No, Sir.

मैसूर राज्य में बेरोजगार इंजीनियरों और अन्य बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

3741. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में 1971-72 के दौरान स्व-नियोजित उद्यमी योजना (सेल्फ एम्प्लाइड

एन्टरप्रेन्योर स्कीम) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितने बेरोजगार इंजीनियरों और अन्य बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिया ; और

(ख) क्या सरकार इस बारे में बैंकों के कार्यकरण से संतुष्ट है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक बेरोजगार इंजीनियरों तथा अन्य बेरोजगार व्यक्तियों का पृथक लेखा नहीं रखते हैं । परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर राज्य में शिल्पियों तथा योग्यताप्राप्त अन्य उद्यमकर्ताओं के लिए स्वीकार किये गये ऋणों और अग्रिमों से सम्बंधित आंकड़े जून 1972 के अन्त में निम्न प्रकार हैं :—

(धनराशि लाख रुपयों में)

एककों की संख्या	लेखों की संख्या	बकाया शेष
1222	1508	83.08

(ख) नीति का उद्देश्य इन क्षेत्रों को अधिक ऋण दिये जाने को प्रोत्साहित करना है तथा बैंकों को लगातार कहा जा रहा है कि वे भूतकाल में किये गये कार्य में सुधार करें ।

पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त चाय बागान

3742. **श्री भगीरथ भवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 31 दिसम्बर, 1972 तक कितने चाय बागान बन्द पड़े थे ;

(ख) इनके बन्द होने से कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इन बागानों के बन्द किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें फिर से खोलने के लिये यदि कोई केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी अथवा दी गई थी तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से केन्द्रीय सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

Recovery of Goods worth Rs. 16 lakh and Cash during a Raid on Business Premises in Delhi in February, 1973

3743. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri N. S. Bisht :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether during a raid at certain business premises in Chandni Chowk, Delhi, in February, 1973, goods worth more than Rs. 16 lakh and cash were recovered ; and

(b) if so, the action taken against the persons concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The business and residential premises and 6 bank-lockers belonging to a party at Delhi, were searched on 21st February, 1973. As a result silver, gold and jewellery valued at about Rs. 20.55 lakhs and Indian currency notes worth Rs. 57,500 were found in the lockers and the residential premises.

(b) Investigations for taking action under the direct taxes laws and the Gold (Control) Act are in progress.

त्रिपुरा में कृषि कार्यों के लिये बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

3744. **श्री दशरथ देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कृषकों को कृषि कार्यों के लिए बैंकों ने अब तक कुल कितनी राशि का ऋण दिया है ; और

(ख) कृषकों को दिए गए इस ऋण में से उन कृषकों को कितनी राशि का ऋण दिया गया था, जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) त्रिपुरा में दिये गये कृषि अग्रिम की कुल बकाया रकम जून 1972 के अन्तिम शुक्रवार को 2.21 लाख रुपये थी।

(ख) बैंक, कृषकों की जोत (भूमि) के आकार के अनुसार अग्रिम का ब्यौरा नहीं रखते। तथापि, इस प्रकार के आंकड़े रखने की व्यवस्था की जा रही है।

हथकरघों और बिजली चालित करघों सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

3745. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई हथकरघों और बिजली चालित करघों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) इन कार्यकारी दल द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार संसद के सदनों में इस प्रतिवेदन की एक प्रति रखने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). जी हां। हथकरघा तथा शक्ति चालित करघों सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कार्यकारी दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

होजरी के माल के निर्यातकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग

3746. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होजरी के माल के निर्यात कर्ताओं द्वारा बीजक से अधिक अथवा बीजक से कम दिखाने ; विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग तथा अन्य कदाचारों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है ; और

(ग) होजरी के माल के निर्यातकर्ताओं द्वारा ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह संदेह है कि इस प्रकार की अनियमितताएं शायद ऊनी चीथड़ों के आयात के सम्बन्ध में निर्यातकों द्वारा की गई होंगी।

(ख) इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

(ग) 11 मई, 1972 से होजरी माल के निर्यात के आधार पर ऊनी चीथड़ों के आयात की अनुमति नहीं है।

अपना विदेश व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से न करके स्वयं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3747. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे सरकारी उपक्रम कौन से हैं जो अपने विदेश व्यापार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से न करके स्वयं करते हैं ; और

(ख) कौन से देशों की भारत में आयात-निर्यात व्यापार के लिए अपनी एजेंसियां हैं जो कि राज्य व्यापार निगम अथवा अन्य संबद्ध सरकारी उपक्रमों से स्वतंत्र हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक सूची संलग्न है।

(ख) निम्नलिखित पूर्वयूरोपीय देश इस देश में राज्य व्यापार निगम के माध्यम के बिना स्वतंत्र रूप से विदेश व्यापार करते हैं :—

1. बुलगारिया
2. चैकोस्लोवाकिया
3. जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य
4. हंगरी
5. पोलैंड
6. रूमानिया
7. सोवियत संघ

इसके अलावा मिस्र के अरब गणराज्य और इराक को भारत से विभिन्न माल के निर्यातों का प्रबन्ध/देख-रेख करने के लिए व्यापार केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

जो सरकारी उपक्रम अपने विदेश व्यापार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से न करके स्वयं करते हैं, उनके नाम दर्शाने वाला विवरण।

1. भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०
2. हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०
3. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि०
4. हिन्दुस्तान स्टील लि०
5. इण्डियन टैलिफोन इंडस्ट्रीज
6. हिन्दुस्तान टैलिप्रिंटर्स लि०

7. भारत इलैक्ट्रोनिक्स
8. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
9. प्राग टूल्स
10. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
11. हिन्दुस्तान जिंक लि०
12. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम
13. नयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि०
14. फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया
15. फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लि०
16. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
17. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स
18. इण्डियन आयल कार्पोरेशन
19. मद्रास रिफाइनरीज
20. इण्डियन रेयर अर्थ लि०
21. नेशनल सीड्स कार्पोरेशन
22. रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन
23. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०
24. हैवी इलैक्ट्रीकल्स इण्डिया लि०
25. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
26. नेशनल इंस्ट्रूमेंटस् लि०
27. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस, मैन० कं० लि०
28. टैनर एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन
29. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
30. हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन

यूगोस्लाविया को माल डिब्बों का निर्यात

3748. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1970 से यूगोस्लाविया को माल डिब्बों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : युगोस्लाव संविदा के आधार पर युगोस्लाविया में संयोजित किये जाने के लिए अर्ध-निर्मित स्थिति में वैगनों का जहाजों में लदान शुरू हो गया है। अन्तिम सुपुर्दगी अभी शुरू नहीं हुई है। भुगतान रुपये में होगा जो केवल अन्तिम सुपुर्दगी पर ही किया जाएगा।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के बारे में डा० कालिन क्लार्क की टिप्पणी

3749. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1973 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रस' में प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री डा० कालिन क्लार्क की टिप्पणी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार डा० कोलिन क्लार्क द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं है ।

बिहार में वर्सटेड कपड़ा बनाने की मशीनों के लिये लाइसस

3750. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पूर्ण रूप से वर्सटेड कपड़ा तैयार करने वाले कितने एकक चल रहे हैं ;

(ख) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) अनिर्णीत लाइसेंस कब तक दे दिये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय बिहार में पूर्ण रूप से वर्सटेड कपड़ा तैयार करने वाला कोई भी एकक नहीं है ।

(ख) बिहार राज्य के सम्बन्ध में इस मद के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई भी प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बन्धी नियम

3751. **श्री वी० पी० साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्वश्री एम० सी० जोशी, बी० एस० गुप्ता और अन्य व्यक्तियों के मामले में आयकर विभाग में प्रथम श्रेणी के ग्रेड में सीधे नियुक्त किये गये और पदोन्नत किये गये अधिकारियों की नियुक्ति और वरिष्ठता के सम्बन्ध में 16 अगस्त, 1972 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में नियम बना लिये हैं और क्या इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इन नियमों को बड़े पैमाने पर उल्लंघन की जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के विभागी मामलों के सम्बन्ध में अपने निर्णय में बताया है, कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 अगस्त, 1972 को दिये गये निर्णय के कार्यान्वियन में भारत सरकार ने आयकर अधिकारी (श्रेणी 1) सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियमावली 1973 बनायी है और न्यायालय में एक नई वरिष्ठता-सूची भी दाखिल कर दी है। यह कार्यवाही अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख उठाये गये मामले का संबंध नियमों के अर्थनिरूपण से था जिस पर भिन्न-भिन्न मत हो सकते थे। इसलिए कोई जांच शुरू नहीं की गई।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के द्वारा, पूंजी लगाने की पद्धति में अन्तर

3752. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा चौथी योजना अवधि में एकाधिकार गृहों की अधिकाधिक वृद्धि को रोकने के लिए पूंजी लगाने की पद्धति में कोई परिवर्तन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस प्रकार का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसे सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित बड़े औद्योगिक घरानों को दी गयी सहायता का अनुपात जो 1964-1969 में लगभग 49 प्रतिशत था, घट कर 1969-1972 में 35 प्रतिशत हो गया है। लघु उद्योग को, विशेषकर उन्हें पुनर्वित्त के रूप में दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। तकनीकी क्षेत्र में आ रहे नये तकनीकी विशारद और उद्यमकर्ता भी इस प्रकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक बड़े औद्योगिक घरानों का सम्बन्ध है, उन्हें केवल उच्च प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता दी गयी है और इस प्रकार की सहायता देने में संस्थानों ने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि प्रवर्तक अधिक से अधिक अंशदान दें और सम्बद्ध कम्पनियां स्वतः वित्त की व्यवस्था करें।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध तथा वेतन ढांचे का पुनरीक्षण

3753. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सरकारी उपक्रमों की हड़तालों तथा तालाबन्दियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार ऐसे उपक्रमों के प्रबन्ध तथा वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इसमें कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). प्रत्येक उद्यम के प्रबन्धक वर्ग को उन विभिन्न कारणों पर विचार करना पड़ेगा जिनका औद्योगिक संबंधों पर

प्रभाव पड़ता है और उन्हें अपने उद्योग में विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समुचित हल खोजना होगा।

अन्य समस्याओं के साथ-साथ औद्योगिक संबंधों को निपटाने के लिये प्रबन्धकीय प्रभावशीलता और भी अधिक सुदृढ़ करने के प्रश्न पर लगातार समीक्षा की जाती है। योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० पाठक की अध्यक्षता में बनी कार्यवाही समिति सरकारी उद्यमों की विभिन्न समस्याओं को कार्य-प्रधानता की दृष्टि से पता लगाने के काम में, जुटी हुई है ;

चौथी योजना अवधि में हैंडलूम/पावरलूम और मिल द्वारा उत्पादित कपड़े का निर्यात

3754. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना-अवधि में हैंडलूम/पावरलूम में कपड़े और मिल बने कपड़े के निर्यात को क्या स्थिति रही ; और

(ख) हैंडलूम/पावरलूम क्षेत्र के पुनर्वास और उनका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री ए० सी० जार्ज): (क) 1969-70 और इसके बाद विभिन्न किस्मों के सूती वस्त्रों (नान-1 फैब्रिक्स तथा सिले सिलाए परिधानों को छोड़कर) के निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित था :-

(आंकड़े लाख रुपये में)

वर्ष	**मिल निर्मित**	**पावरलूम**	**हैंडलूम**
1969-70	6311.1	47.6	724.5
1970-71	6812.6	67.3	779.3
1971-72	6746.8	85.2	995.4

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हैंडलूम/पावरलूम उद्योग की सहायतार्थ निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) विभिन्न राज्य सरकारें, बुनकर सहकारी समितियों को विभिन्न प्रयोजनों अर्थात् रिबेट की वापसी, उन्नत उपकरणों की खरीद आदि के लिए वित्तीय सहायता देती है।

(2) बुनकर सहकारी समितियां स्टेट कोआपरेटिव बैंकों आदि के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती ब्याज दरों पर कार्यकारी पूंजी ऋण प्राप्त करते हैं।

(3) हैंडलूम बुनकरों को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी सहायता देने के लिए आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड ने भारत में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों में बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किये हैं।

(4) आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड ने विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण देने के लिए सलेम तथा वाराणसी में दो हैंडलूम औद्योगिकी संस्थान स्थापित किये हैं।

(5) कुछ राज्य सरकारों ने सहकारिता क्षेत्र से बाहर के हैंडलूम बुनकरों को ऋण प्रदान किये जाने के लिए हैंडलूम वित्त निगम स्थापित किये हैं। कतिपय राज्यों द्वारा उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियमों के अधीन पावरलूम बुनकरों को भी ऋण दिये जाते हैं।

(6) हाल ही में, सूत को सांविधिक कीमत तथा वितरण नियंत्रण के अधीन लाया गया है। पुख्ता पंजीकृत संविदाओं के आधार पर हैंडलूम निर्यात क्षेत्र को विशेष आवंटन किया जाएगा।

2. हैंडलूम/पावरलूम मदों की निर्यात आय को बढ़ाने के लिए जो उपाय किये गए हैं उनमें प्रचार तथा प्रापेगण्डा, विदेशी प्रदर्शनियों / मेलों में भाग लेना तथा विदेशी बाजार ढूंढने तथा इन बाजारों में नई मदें भेजने के लिए विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों तथा अध्ययन / बिक्री दलों को भेजा जाना। हैंडलूम तथा पावरलूम माल के वर्धित निर्यातों के लिए व्यापार करारों आदि के अन्तर्गत विदेशी सरकारों से विभिन्न रियायतें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास भी किये जा रहे हैं। इसके अलावा, पंजीकृत निर्यातक रंजकों तथा रासायनिक पदार्थों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करते हैं। उच्च कोटि के निर्यातकों को हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पुरस्कार भी दिये जाते हैं। बुनकर संघ केन्द्र निर्यातकों की उन्नत डिजाइनों आदि के सम्बन्ध में सहायता करते हैं।

वस्त्र उद्योग का विस्तार

3755. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार ने वस्त्र उद्योग के विस्तार का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके निर्णय का मुख्य ब्यौरा क्या है, कितने तकुबे और लूमें बढ़ायी जायेंगी और उनको किन मिलों में बढ़ाने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार पांचवीं योजना अवधि में कपड़ों और यार्न के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). पांचवीं योजना अवधि में वस्त्र उद्योग के विकास के सम्बन्ध में नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने के संदर्भ में योजना आयोग ने एक कृतिक दल का गठन किया है। कृतिक दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याप्त असंतोष और शोक का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Education, Social Welfare and Culture to the following matter of urgent public importance and

I request that he may make a statement thereon :

"reported discontent and agitation in Banaras Hindu University following large-scale arrests of student leaders."

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : सदन को विदित होगा कि मैंने 12 दिसम्बर, 1972 को एक वक्तव्य दिया था, जिनमें उन परिस्थितियों का जिक्र किया था जिनके कारण 8 दिसम्बर, 1972 को विश्वविद्यालय बन्द हुआ। कुलपति ने 23 दिसम्बर, 1972 को न्यायमूर्ति ज्ञानेन्द्र कुमार (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में उन 32 विद्यार्थियों के गम्भीर अनुशासन तथा दुराचरण के विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिये जिन्हें बाकायदा आरोप पत्र दिये गये थे तथा जांच होने तक विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से निलम्बित कर दिया गया था, एक तीन-सदस्यीय जांच समिति की नियुक्ति की थी।

समिति ने केवल 16 विद्यार्थियों के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति की राय में छः विद्यार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं और शेष 10 विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सके, जिन्हें कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आरोपों के आधार पर समिति द्वारा छः विद्यार्थी दोषी पाये गये थे :—

आगजनी तथा विश्वविद्यालय सम्पत्ति को नष्ट करना, एक अनुसंधान छात्र तथा अध्यापक पर हमला करना, विश्वविद्यालय के मुख्य रोड की नाकेबन्दी करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना और विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा अध्यापकों को धमकियां देना और कुलपति तथा रजिस्ट्रार के आचरण के सम्बन्ध में अति गम्भीर तथा अप्रतिष्ठापूर्ण निन्दा करना। उनमें से चार को विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित कर दिया गया है और दो को तीन वर्ष के लिए हटा दिया गया है। शेष 16 विद्यार्थियों के विषय में अभी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है किन्तु फिर भी, जांच होने तक, उन्हें कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दे दी गई है।

5 फरवरी, 1973 से विश्वविद्यालय चरणों में पुनः खुलना शुरू हो गया था। अन्तिम चरण 28 फरवरी, 1973 को पूरा हो गया था। इसके बाद शीघ्र ही, निष्कासित तथा हटाए गए विद्यार्थियों ने आन्दोलन करना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय के मुख्य फाटक के बाहर 6 मार्च, को एक सभा आयोजित की गयी थी। यह घोषित किया गया था कि 10 मार्च को एक और सभा आयोजित की जाएगी तथा छात्र राज्य के विभिन्न भागों से आने वाले 20 हजार अन्य छात्रों के साथ कैम्पस के अन्दर कूच करेंगे। जिला प्राधिकारियों की सलाह पर विश्वविद्यालय की कक्षाएं 10 मार्च को निलम्बित कर दी गयी थीं। शहर के स्कूल तथा कालेज भी बन्द कर दिये गये थे।

10 मार्च को, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक सभा आयोजित की गई, जिसमें कुछ प्रमुख राजनैतिक नेताओं ने भाषण किए। कैंपस के अन्दर, विद्यार्थी परिषद् एस० वाई० जे० एस० से सम्बद्ध माने जाने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा एक अन्य बैठक आयोजित की गई। पुलिस के पहुंचने पर, छात्रों ने पथराव किया तथा पुलिस ने हलका लाठी चार्ज किया। उपद्रव करने पर बाइस छात्र गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा सभा करने पर लगे प्रतिबन्ध की अवज्ञा करते हुए, जिसे कि संभावित हिंसा को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर लागू किया गया था, 44 छात्रों ने गिरफ्तारी के लिए अपने आपको पेश किया। उन्हें अदालत उठने तक की कैद दी गई।

मार्च 12 की प्रातः को कुछ निष्कासित छात्रों तथा अन्य असामाजिक तत्वों ने बड़ी संख्या में कैम्पस में प्रवेश किया। उन्होंने कक्षाएं भंग की, सभाएं कीं तथा जलूस बनाकर चले। उन्होंने एक सहकारी भंडार को आग लगाने की कोशिश की तथा दो गाड़ियों को क्षति पहुंचाई। चौदह छात्र हिरासत में लिए गए।

13 मार्च को, विश्वविद्यालय के एक द्वार पर फिर सभा आयोजित की गई तथा 14 मार्च को कक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। तथापि कला तथा सामाजिक विज्ञान के संकायों को छोड़कर, जहां होली के कारण बहुत से अवर-स्नातक छात्र अपने घरों को चले गये थे, शेष सभी संकायों में कक्षाएं सामान्य रूप से लगीं। उसी दिन, लगभग 11 बजे प्रातः उर्दू, फारसी तथा अरबी विभाग को आग लगाने की चेष्टा की गई। एक निकटवर्ती कमरे को, जहाँ फर्नीचर रखा हुआ था, आग लगा दी गई। इस पर हुई अनुमानित हानि लगभग 20,000 रुपये की है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्वार्थी तत्व छात्रों के एक वर्ग को भड़काकर अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं तथा विश्वविद्यालय के सामान्य कार्य में बाधा डालने के हेतु अशांति उत्पन्न करने के लिए कृतसंकल्प हैं। मैं इस सदन के सभी वर्गों तथा लोकप्रिय नेताओं से अपील करता हूं कि इस महान शिक्षा केन्द्र में सामान्य एवं शान्तिपूर्ण स्थिति बनाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें। यहां यह कहना उचित होगा कि सरकार, विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कानूनी रूप से चुने हुए प्राधिकारियों को ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाने में सभी प्रकार की सहायता देती रही है और पूरा समर्थन देने का विचार रखती है जिससे विश्वविद्यालय का शैक्षिक कार्य चलाना संभव हो सके।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Banaras Hindu University issue has not been raised first time in this House. The Banaras Hindu University has been attracting the attention of this House as well as of the country for the last several years The total closure of this University during the last three and a quarter years was about eight months. **(Interruptions).** 100 students have been expelled on the various charges. It appears from the statement given by the hon. Minister that the expulsion of students is still continuing. Had the problem been sorted out only by the closure of the University or the expulsion of some of the students, the problem would have been sorted out by now....

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Unless the R.S.S. building is removed, the problem will continue to remain the same.

Shri Atal Bihari Vajpayee: The case regarding R. S. S. building is sub-judice.

The issue of the University will have to be looked into with a little seriousness. Can the students be satisfied by deploying the P.A.C. or giving University a shape of a Police Cantonment ? Is it not true that the educational and academic factors are responsible for the wide discontent among the students? Is it not true that the students have a grievance that discrimination is exercised in the matter of admission to the University? **(Interruptions).**

The Minister of Education will confirm that a deputation of the students recently met him and the President and gave him a memorandum in which concrete and serious charges were levelled against the officials of the University.

I want to read out one of the charges :

"Students getting 38 per cent marks were admitted while those with 43 per cent marks were denied admission."

May I know whether it is correct or incorrect ? **(Interruption.)**

The Minister of Education would recall that Mr. Patnaik, who appeared in the M. A. examination and whose result was not declared, was appointed to teach M. A. Classes while M.As. and Ph. D. students were available for this job.

There is a grievance that bungling is done in the matter of appointment and rules are kept aside. Dr. J. Singh, Professor (Senior Scale) Deptt. of Applied Geophysics, Indian School of Mines, Dhanbad was invited to sit as an expert in the Select Committee set up for the appointment of a Reader in Geophysics. You will wonder to listen that the Vice-Chancellor exercised his influence to appoint the person whom he wanted to be appointed. Dr. J. Singh wrote a letter to the Visitor, the President on April 21 in which he highlighted the bungling in appointment in the Deptt. of Geophysics, B. H. U.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Why the interruptions are going on ? Will the Minister of Education reply to my question or this crowd ?

अध्यक्ष महोदय: जब दलों के नेता बोल रहे होते हैं तो सभी सदस्यों को विनम्रता पूर्वक उनका भाषण सुनना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : No rules are followed regarding admission of students to the University nor there is definite policy about the appointment of teachers. The Gajendragadkar Commission was set up to look into the matters of the University but its recommendations have not been implemented.

Shri Ram Dhan : There was a mention of removing the R.S.S. building from there....

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य इसी प्रकार टोका-टोकी करते रहे तो मुझे उन्हें अवज्ञा के लिए दोषी ठहराना पड़ेगा। वह ऐसा दूसरी बार कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Gajendragadkar Commission recommended for the procedure of disciplinary action. To-day this is the condition that all the powers are concentrated in the Vice-Chancellor. Is it true that no rules have so far been framed about the procedure of disciplinary action ? Is it also true that the Minister of Education promised to bring forward a bill about the University ? Why delay is being done in bringing forward that bill ?

Will the Minister of Education appoint a Commission which will not only look into the conduct of the students but to inquire into the irregularities in the matter of admission, appointment of teachers and misappropriation etc. ? Will that Commission be asked to look into the memorandum given by the students ?

Unless this inquiry is conducted, will the Minister of Education advise Dr. Shrimali either to resign or to go on leave ? He is exercising partiality. The hon. Minister has said in his statement that charges were levelled on 32 students and charges have been established only against six students. Does it not mean that charges are levelled arbitrarily ?

प्रो० एस०नुरुल हसन: कुछ बातों के बारे में मेरे पास पर्याप्त सूचना नहीं थी अतः मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट नहीं कर सकूंगा। मेरे पास जो जानकारी है उसे मैं सभा के सम्मुख रख दूंगा।

माननीय सदस्य ने बताया कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया अथवा बल-प्रयोग से किसी विश्वविद्यालय की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु यदि कुछ बहकाये गये तत्व हिंसात्मक कार्यवाही करने पर उतारू हो जायें अथवा किसी विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यकरण में विघ्न डालें तो विश्वविद्यालय और सरकार का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे समूचे शैक्षिक समुदाय को फिरौती पर नहीं रख सकते हैं। **(व्यवधान)**

माननीय सदस्य ने बताया है कि इन गड़बड़ियों का मूल कारण शैक्षिक है परन्तु यह जल्दबाजी में समझी गई बात है इसलिये मैं संभवतया इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि कोई विशिष्ट मामले

हों जिनकी जांच करना संभव हो और ऐसा प्रत्येक मामला 'विजिटर' अथवा सरकार के ध्यान में लाया गया हो तो निश्चय ही उसकी जांच की जायेगी। हाल ही में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि-मंडल ने मुझे ज्ञापन दिया था और उसकी जांच की जायेगी तथा यदि कोई कार्यवाही करनी होगी तो निश्चित रूप से उचित कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक भू-भौतिकी विभाग में रीडर की नियुक्ति के लिये चयन समिति के बारे में डा० सिंह के पत्र का सम्बन्ध है, उस पत्र के बारे में जांच की जायेगी। यदि माननीय सदस्य निजी तौर पर विशिष्ट जांच करना चाहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूं या यदि वह प्रश्न के लिये सूचना देना चाहें तो मैं निश्चय ही आवश्यक जांच करूंगा और उन्हें जानकारी उपलब्ध कर दूंगा।

श्री पटनायक के मामले में माननीय सदस्य को याद होगा कि उनका परिणाम घोषित होने से पहले उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया था और जो चयन किया गया था वह इस शर्त के साथ किया गया था। वह बहुत ही मेधावी छात्र था। माननीय सदस्य ने इस मामले का पिछली बार जब उल्लेख किया था तब मैंने इसकी जांच की थी। अभी इस बारे में जो कुछ बता रहा हूं वह अपनी स्मरण-शक्ति के आधार पर ही बता रहा हूं। यदि कोई गलती हुई तो सभा से क्षमा मांग लूंगा।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कोई नीति नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में बहुत अच्छी परिभाषा वाली नीति है। कोई भी नियुक्ति संविधियों का उल्लंघन करते हुए नहीं की जाती है। ऐसे मामले में मैं 'विजिटर' से उचित निवेदन करूंगा कि वह उस पर विचार करें।

यह भी कहा गया है कि छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में कोई प्रक्रिया नहीं है। जब विश्वविद्यालय ने पाया कि कुछ छात्र अनुशासन के मामले में दोषी हैं तो उसने स्वयं कोई कार्यवाही नहीं की। इसने उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की। समिति ने छह छात्रों को इसके लिये दोषी पाया अतः यह कहना कि विश्वविद्यालय बदले की भावना से कार्यवाही कर रहा है, उचित नहीं है।

यह भी कहा गया है कि व्यापक विधेयक लाने में विलम्ब किया गया है। इस बारे में स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कहने पर एक कार्यकारी दल से विधेयक का प्रारूप तैयार करने के प्रश्न से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच करने को कहा गया था। उस कार्यकारी दल ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इन प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगा, तत्पश्चात् मामला सरकार के पास आयेगा।

माननीय सदस्य ने विशिष्ट रूप से पूछा है कि क्या समिति नियुक्त की जायेगी। ऐसा करने के लिये मेरे पास ठोस बातें होनी चाहिये...

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : ये सामग्री मेरे पास है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जो सामग्री मुझे दी गई है मैं उसका परीक्षण करूंगा। परीक्षण के पश्चात् यदि मैं यह समझता हूं कि सरकार को दर्शकों को उपयुक्त परामर्श देना चाहिये तो मैं ऐसा करूंगा।

दूसरे यह कहा गया है कि सरकार को उपकुलपति से त्यागपत्र देने के लिये कहना चाहिये। जब तक उपकुलपति के कार्यकरण में कोई दोष प्रमाणित नहीं होता तब तक मैं उन्हें अपना पूरा समर्थन दूंगा।

Shri S. M. Banerjee: Sir, University affair should have been kept above party politics. Shri Raturi is a Registrar in Banaras Hindu University. Two bombs were hurled on him last night. A Committee, save Banaras Hindu University, was formed, which held its meeting on 10th of March. Certain members of Parliament were present there. A decision was taken to take hold of the University on 10th of March. At that time seven thousand students were present. But when they went to take hold of the University only 150 students were there. They were removed from the site. Again an attempt was made but failed. There are charges against the students which are being examined. Justice should be done in this regard. The atmosphere of the University should not be vitiated. May I know whether the attention of Uttar Pradesh Government has been drawn to it and if so, the action taken by them in this matter? I can not tolerate police atrocities on students but no force should be allowed to act in disguise of the students. All the progressive forces will face it with all their might.

The matter is in the court. Building under the possession of R. S. S. should be got vacated. If this is not done, students having progressive feelings will get hold of it. The leaders of Jansangh should give a thought to this problem and state whether the University should be opened or not.

May I know whether it is a fact that two bombs were hurled and the unexploded bombs are in the Police custody, if so, the action taken in this regard? May I know by what time the Court will decide the case? May I also know what action is being taken by the Government to handover the possession of the building to the University and to remove R. S. S. people from there.

I would like to request that the Government should take action against these students who are in league with political parties which believe in violence and disturbances.

A Parliamentary Committee should be deputed to examine the situation. Vice-Chancellor should be suppressed for the reason that he is not liked by R. S. S. Volunteers. (**Interruptions**).

Mr. Speaker: Order, order the House is not taking notice of that. This is not a healthy practice.

प्रो० एस० नूरुल हसन: माननीय सदस्य ने बम विस्फोट के विषय में पूछा है। इस मामले में पुलिस खोजबीन कर रही है। मुझे बताया गया है कि 14 मार्च को 11 बजे रात्रि में जब रजिस्ट्रार अपने निवासस्थान पर आये थे तो एक जोर का विस्फोट हुआ था। कुछ मिनटों के बाद कुछ लोग आये और उन्होंने देखा कि कार की बायीं ओर किसी वस्तु का विस्फोट हुआ है। प्रौक्टर तथा पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने बम जैसी वस्तु को तथा विस्फोट हुये के टुकड़ों को अपने अधिकार में ले लिया था। इस बारे में जांच की जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला अधिकारी मामले में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं।

जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भवन का प्रश्न है जब तक न्यायालय का निर्णय न हो जाये मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि निर्णय कब तक संभव है।

माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूं कि यदि कोई गलत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तो उसे वापस ले लिया जाये। अनुशासनात्मक कार्यवाही उच्च शक्ति प्राप्त निष्पक्ष समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही की गई है।

माननीय सदस्य ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उपकुलपति को शक्ति प्रदान की जाये। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिक तथा ऐसी गतिविधियों से बचाया जायेगा तो विश्वविद्यालय के युवकों का अनुचित लाभ उठाती हैं।

अन्त में मैं इतना तो अनुरोध करना चाहता हूं कि राजनैतिक लाभ की दृष्टि से विश्वविद्यालय की कठिनाइयों को उपयोग में न लाया जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1973-74 के लिये कुछ मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1973-74 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

.(एक) वाणिज्य मंत्रालय

(दो) संचार मंत्रालय

(तीन) विदेश मंत्रालय

(चार) गृह मंत्रालय

(पांच) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(छः) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(सात) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आठ) योजना मंत्रालय

(नौ) निर्माण और आवास मंत्रालय

(दस) संस्कृति विभाग

(ग्यारह) इलेक्ट्रानिक्स विभाग

(बारह) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(तेरह) अन्तरिक्ष विभाग

(चौदह) पूर्ति विभाग

(पन्द्रह) संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4519/73]

वर्ष 1971-72 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार विनियोग लेखे (डाक तार), 1971-72, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), केन्द्रीय सरकार (डाक और तार) की एक प्रति।

(दो) वर्ष 1971-72 सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार विनियोग लेखे (डाक और तार) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4520/73]

(3) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियों और देनदारियों तथा लाभ और हानि लेखे का एक विवरण । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4516/73]**

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 25, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 26 और 27, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 50, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4517/73]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 70 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4521/73]**

वायुयान (संशोधन) नियम, 1973 तथा रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं डा० सरोजिनी महिषी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (संशोधन) नियम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत सरकार के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 60 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4515/73]**

(2) रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4514/73]**

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1973 सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

31 वां प्रतिवेदन

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) कर्मकार-शिक्षा-कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के चौथे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 31 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

72 वां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं, स्वास्थ्य विभाग (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्) के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 40वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 72वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सिकन्दराबाद के निकट 15 मार्च 1973 को हुई इण्डियन एयर लाइन्स के एक विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. CRASH OF INDIAN AIRLINES PLANE AT SECUNDERABAD ON 15TH MARCH, 1973

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

महोदय,

मुझे अत्यन्त खेद के साथ इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इण्डियन एयरलाइन्स का एक एच० एस०-748 विमान वी० टी०-ई० ए० यू० कल स्थानीय प्रशिक्षण उड़ान के दौरान लगभग 16.48 बजे बेगमपत विमानक्षेत्र से लगभग 3 मील दूर सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया ।

2. विमान बेगमपत से लगभग 16.36 बजे कैप्टेन जे० ई० आइजैक की कमाण्ड में दो विमानचालकों, कैप्टेन श्रीकंठ एवं कैप्टेन आर० पी० सिंह को लेकर सह विमानचालकीय प्रशिक्षण उड़ान पर उड़ा था । एक चक्कर लगा कर अवतरण करने के पश्चात् विमान ने पुन: उड़ान भरी । विमान ने सूचित किया कि विमान एक इन्जन पर खराब मौसमी नीची उड़ान का अभ्यास कर रहा था । विमान से अंतिम संदेश 16.48 बजे प्राप्त हुआ जबकि विमान ने धावनपथ 27 पर अवतरण की तैयारी के लिए अपने वायु के साथ नीचे की ओर गमन की स्थिति की सूचना दी । इसके बाद सम्पर्क टूट गया । कुछ मिनट बाद नियंत्रक टावर में एक टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है । तुरन्त फायर ब्रिगेड और एम्बुलेन्स गाड़ियां दुर्घटनास्थल की ओर रवाना कर दी गईं और नागर विमानन विभाग एवं इंडियन एयरलाइंस के प्राधिकारी भी तत्काल दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गये । विमान कार्मिकों को बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गई किन्तु दुर्भाग्यवश जब तक इन दलों के लिये वहां अंतत: पहुंचना सम्भव हुआ तब

तक विमान कार्मिक मर चुके थे। सूचना मिली है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप भूमि पर दो व्यक्ति, एक बालक और एक वृद्धा, घायल हुए तथा बालक की हस्पताल में मृत्यु हो गई। वृद्धा हस्पताल में गम्भीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है।

3. दुर्घटना के समय मौसम अच्छा तथा आसमान साफ बताया जाता है। कैप्टेन आइजैक को 16,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था, तथा वे कई वर्षों से प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। सदन की सूचना के लिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह विमान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा मई, 1972 में दिए गए तीन विमानों के अंतिम बैच में से एक था। वितरण के समय विमान की आरोहण-निष्पादन क्षमता अनुमोदित उड़ान मैनुअल में निर्दिष्ट द्वितीय चरण में 2.4 प्रतिशत और मार्ग में 1.2 प्रतिशत की अपेक्षा से अधिक थी।

4. दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत की स्थापना की जा रही है।

5. मुझे आशा है कि यह सदन मृतकों के परिवारों के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करने, तथा घायल महिला के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना करने में मेरा साथ देगा।

आपकी अनुमति से, मैं उस पत्र के कुछ वाक्य उद्धृत करता हूं जो मैंने प्रधान मंत्री को इस बारे में लिखा था। मैंने लिखा था कि संसदीय आदर्श के अनुरूप मैं इस दुर्घटना के लिये मंत्री होने के नाते अपने को जिम्मेंदार ठहराता हूं और मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र देता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: All of us are sorry for the crash. The hon. Minister has agreed that the Avros have been the subject of prolonged controversy that is before he assumed charge of his Ministry. Let there be a thorough investigation into it. We are not in favour of his resignation though he has generated a healthy practice by his resignation from the office after the crash. His resignation will not solve the problem. He should give reasons as to why Avros were purchased and why these aircrafts have been put in service inspite of the defects in them.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : डा० कर्ण सिंह ने त्यागपत्र देकर एक ऐसी परम्परा कायम की है जिसे देश में भुला दिया गया है। इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। परन्तु विमान में सुधार किये जाने की आवश्यकता है न कि मंत्री महोदय में। विमान को रद्द किया जाना चाहिए मंत्री को नहीं। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने त्यागपत्र देने का जो साहस किया है मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु क्या इस त्यागपत्र देने से समस्या हल हो जायेगी ? एवरो का निर्माण कानपुर में होता है। निहित स्वार्थों ने दूसरी भारी आलोचना की है। (**व्यवधान**)। इस मामले की जांच के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अन्य सदस्यों की भांति मैं भी मंत्री महोदय को उनके त्यागपत्र देने के लिये बधाई देता हूं। परन्तु उन्होंने यह त्यागपत्र क्यों दिया ? इस प्रकार के निर्णय की कोई पृष्ठभूमि है। केवल दुर्घटना से प्रेरित होकर मंत्री महोदय ने त्यागपत्र नहीं दिया है। त्यागपत्र के पीछे मंत्री महोदय के मस्तिष्क में यह बात है कि इस विमान में लोगों की सुरक्षा संभव नहीं है और इसका कोई उपाय उनके पास नहीं है तो वह दोहरी बधाई के पात्र हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यदि एवरो में कुछ दोष हैं तो उन्हें दूर किया जाना

चाहिये । परन्तु पूरे एवरो को ही रद्द करने की बात जो स्वदेशी उत्पादन है, गलत है । कुछ लोग एवरो के स्थान पर अमरीकी विमान मंगाये जाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । इस मामले की जांच के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । मंत्री महोदय द्वारा त्यागपत्र दिया जाना निश्चय ही सराहनीय कदम है । परन्तु इससे समस्या हल नहीं होगी ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : एवरो के मामले की गम्भीर रूप से जांच कराई जानी चाहिये। एवरो के निर्माण से पहले ही इस सदन में सन्देह व्यक्त किये गये थे । यह भी कहा गया था कि अन्य स्थानों पर इस विमान को रद्द कर दिया गया है । यदि विमान का निर्माण करना आवश्यक है तो हमें देश के लिये उपयुक्त विमान डिजाइन तैयार करना चाहिये । यह विदेशी डिजाइन है । हमें ऐसा डिजाइन तैयार करना चाहिये जो देश के लिये उपयुक्त हो । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कानपुर में विमानों का निर्माण न हो ।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : सुरक्षा के मामले में विचारधारा का प्रश्न नहीं लाया जाना चाहिये । विमानों में सुरक्षा के मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये, चाहे ये स्वदेश निर्मित विमान हों अथवा आयातित ।

श्री समरगुह (कन्टाई) : मंत्री महोदय ने त्यागपत्र देकर एक स्वस्थ परम्परा कायम की है । परन्तु एवरो के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ है उसके लिये वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है । त्यागपत्र देने से समस्या का हल नहीं निकलेगा । यह मामला सदन में कई बार उठाया जा चुका है, अत: इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ।

Dr. Kailash (Bombay-South) : Sir, Avros have been a subject of prolonged discussion in and outside House. An enquiry Commission should be appointed to go into it. Defects of the plane should be removed. His resignation letter denotes his noble character. There is no doubt about it. If Prime Minister requests, he should withdraw his resignation.

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : एवरो पर सदन में ही नहीं विमान से यात्रा करने वालों के बीच भी अनेक बार चर्चा हुई है । जैसाकि माननीय मित्रों ने कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं कि मंत्री महोदय ने एक स्वस्थ परम्परा कायम की है । मेरे विचार से त्यागपत्र से समस्या हल नहीं होगी । एवरो की सुरक्षा के बारे में सन्देह व्यक्त किये जाने पर भी नागर विमानन के महानिदेशक ने निरन्तर यह बात प्रमाणित की है कि इन विमानों में कोई दोष नहीं है । एवरो विमान आये दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं । इस मामले की गम्भीर रूप से जांच कराई जानी चाहिये । प्रश्न देश में निर्माण करने का नहीं है । प्रश्न है कि एवरो की सुरक्षा के मामले में जांच कराई जायें और यदि कोई दोष पाये जायें तो उन्हें दूर किया जाये ।

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South) : Sir the hon. Minister should discuss the matter with Prime Minister. He should not have resigned. Other aircrafts also meet accidents and the Government appoints a Commission of enquiry to go into the matter. This matter should also be looked into seriously and improvement should be achieved where necessary.

Shri Satpal Kapur (Kapurthala) : Sir, there is lobby who would like to see that Avro manufacturing project is closed. We may improve the design and run the project more successfully. The hon. Minister should withdraw his resignation.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : इण्डियन एयरलाइन्स के बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि यह दोषपूर्ण रख-रखाव के कारण होता है । अत: इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो विमान में अन्य परिवर्तन भी किये जाने चाहिये ।

हमें विमान को रद्द करने की बात नहीं करनी चाहिये । अपितु इस समस्या के प्रति उचित तथा रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय ने त्यागपत्र देने का जो साहस दिखाया है मैं भी उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । यह संसदीय तथा लोक जीवन की स्वस्थ परम्पराओं के अनुकूल है । मंत्री महोदय ने संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाई है एवरो के मामले की विस्तार से जांच कराई जानी चाहिये ।

डा० कर्ण सिंह : एवरो के मामले में मुझे यही तकनीकी परामर्श दिया गया है कि यह विमान सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है । मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि मामले की विस्तार से जांच कराई जायेगी । माननीय सदस्यों ने जो भावनायें अभिव्यक्त की है मैं उनके लिये उनका आभार मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की है कि इस विषय पर चर्चा के लिये और समय निर्धारित किया जाये । शीघ्र ही इसके लिये समय निर्धारित किया जायेगा । जहां तक त्यागपत्र का मामला है, इस पर प्रधानमंत्री निर्णय करेंगी । मैं आशा करता हूं कि आप त्यागपत्र स्वीकार किये जाने के लिये दबाव नहीं डालेंगे ।

सभा का काय
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे यह घोषणा करनी है कि मैं 20 मार्च, 1973 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायगा ।

1. आज का कार्यसूची की किसी ऐसी सरकारी कार्य की मद पर विचार जिस पर चर्चा समाप्त न हुई हो ।

2. वर्ष 1973-74 के आन्ध्र प्रदेश बजट पर सामान्य चर्चा ।

3. (i) वर्ष 1973-74 के लिये लेखानुदानों की मांगों (आन्ध्र प्रदेश) पर चर्चा तथा मतदान ।

   (ii) वर्ष 1972-73 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (आन्ध्र प्रदेश) पर चर्चा तथा मतदान ।

4. उड़ीसा राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा का अनुमोदन करने के संकल्प पर चर्चा ।

5. वर्ष 1973-74 के उड़ीसा बजट पर सामान्य चर्चा ।

6. (i) वर्ष 1973-74 के लिये लेखानुदानों की मांगों (उड़ीसा) पर चर्चा तथा मतदान ।

   (ii) वर्ष 1972-73 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (उड़ीसा) पर चर्चा तथा मतदान ।

7. (i) शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) विधेयक, 1973
   (विचार तथा पास करना)

(ii) संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1973
(विचार तथा पास करना)

8. पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) (चण्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Last time, the schedule of the items to be discussed was discussed here and on two Fridays the hon. Speaker put us off by saying that he would convey our feelings to the concerned Minister. I want a clear answer as to when the several reports of the scheduled castes/tribes would be discussed here.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कल अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पर चर्चा की मांग की गई थी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय पर एक संकल्प पेश करें। दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन से संबंधित अनेक भ्रामक समाचार छप रहे हैं। मंत्री महोदय ने वचन दिया है कि प्रतिवेदन 31 मार्च, 1973 तक पेश कर दिया जायेगा। यदि प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया तो हम वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने को बाध्य कर देंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा अनुरोध है कि अभ्रक खरीदने के लिये भारत का दौरा करने वाले रूसी प्रतिनिधि मंडल के बारे में औद्योगिक विकास मंत्री एक वक्तव्य दें। रूसी प्रतिनिधि मंडल ने 5 करोड़ रुपये की खरीद की है तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से न करके सीधे बड़े-बड़े अभ्रक ग्रहों से की है। इससे छोटे अभ्रक उत्पादकों को हानि हुई है। दूसरे पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की कमी के कारण 130 तेल मिलें बन्द होने जा रही हैं। सरसों के तेल के लिये जरूरी रेप-सेड बनस्पति निर्माताओं को दिया जा रहा है। कृषि मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

श्री के० रघुरामैया : मैं तो फिर यही निवेदन करूंगा कि मैं ये सब बातें संबंधित मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा। परन्तु साथ ही इतना भी कहना चाहूंगा कि बजट सत्र में विधान सम्बन्धी कार्यवाही नगण्य ही होती है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र प्रदेश), 1972-73
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (ANDHRA PRADESH), 1972-73

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1972-73 के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) विधेयक
REFUGEES RELIEF TAXES (ABOLITION) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं श्री यशवन्तराव चह्वाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने तथा रेल यात्री भाड़ा अधिनियम, 1971, डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1971, और अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने तथा रेल यात्री भाड़ा अधिनियम, 1971, डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1971, और अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री के० आर० गणश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : There has been heavy snowfall in Bihar, particularly in North Bihar during the last week of February and first week of March, as a result of which the farmers of North Bihar have suffered heavy loss of their Rabi crops. Let the hon. Minister of Agriculture please note that earlier also in 1971 there have been heavy floods and then in 1972 there was severe drought and now there is the heavy snowfall. The Central Government should arrange for some relief to the farmers. Besides that, the Centre should advice the State Government to refrain from giving notices for the recovery of taxes and loans.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COAL MINES (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE AND COAL MINES (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1973 को प्रख्यापित कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

इसके साथ ही श्री एस० मोहन कुमार मंगलम द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी आगे विचार किया जायगा :—

"कि कोयला उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोकहित में, उनके प्रबन्ध-ग्रहण और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव बोलें।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : The issuance of this ordinance was not justified since the Lok Sabha Session was going to commence shortly. The hon. Minister yesterday informed that they were investing Rs. 500 crores on it. This means that it would be capital based whereas it should have been labour oriented. We have labour in plenty. So after nationalisation, he should have declared the job potentiality in the coking and non-coking coal mines. He should ensure that the prices of the coal being used by the consumer are not allowed to rise.

Secondly, MMTC was earning about Rs. 10 lakh a month and also a large number of labourers were employed on the 6 cellary ponds containing coal particles worked out from Kargali washery. But the officials there are trying to sabotage and deprive the MMTC of this earning. The Government should pay special attention to this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1973 को प्रख्यापित कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कोयला उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोकहित में, उनके प्रबन्ध ग्रहण और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा करेंगे ।

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चैटर्जी— संशोधन संख्या-2—अनुपस्थित हैं, श्री कृष्ण चन्द्र हालदर ।

श्री कृष्णचन्द्र हालदर (औसग्राम) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चैटर्जी, श्री बेसरा अनुपस्थित हैं । संख्या 24 श्री मोहन कुमार मंगलम् :

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

Pages 2 and 3,—

for lines 14 to 46 and 1 to 5 respectively, **substitute**—

'(g) "mine" means any excavation where any operation for the purpose of searching for or obtaining minerals has been or is being carried on, and includes—

(i) all borings and bore holes ;

(ii) all shafts, whether in the course of being sunk or not;

(iii) all levels and inclined planes in the course of being driven;

(iv) all open cast workings;

(v) all conveyors of aerial ropeways provided for the bringing into or removal from a mine of minerals or other articles or for the removal of refuse therefrom;

(vi) all lands, buildings, works, adits, levels, planes, machinery and equipments, instruments, stores, vehicles, railways, tramways and sidings in, or adjacent to, a mine and used for the purposes of the mine;

(vii) all workshops (including buildings, machinery, instruments, stores, equipments of such workshops stand) in, or adjacent to, a mine and used substantially for the purposes of the mine or a number of mines under the same management;

(viii) all coal in stock or in transit belonging to the owner of the mine and all coal under production in a mine;

(ix) all power stations in a, mine or operated primarily for supplying electricity for the purpose of working the mine or a number of mines under the same management;

(x) all lands, buildings and equipments, belonging to the owner of the mine, and in, adjacent to or situated on the surface of, the mine where the washing of coal obtained from the mine or manufacture, therefrom, of coke is carried on;

(xi) all lands and buildings [other than those referred to in sub-clause (x)], wherever situated, to the extent they are used for the location of the management, sale or liaison offices, or for the residence of officers and staff, of the mine;

(xii) all other assets, movable and immovable, belonging to the owner of a mine, wherever situated, including cash balances, reserve funds and investments in so far as they relate to the mine and also any money lawfully due to him in relation to the mine in respect of any period prior to the appointed day;'

[पृष्ठ 2 और 3,–

क्रमशः पंक्ति 18 से 39 और पंक्ति 1 से 15 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

'(छ) "खान" से ऐसा कोई उत्खनन अभिप्रेत है जहां खनिज की खोज या प्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई सक्रिया की गई है या की जा रही है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(i) सब बोरिंग और बोर-छिद्र ;

(ii) सब कूपक, चाहे वे धंसाये जा रहे हों या नहीं ;

(iii) अनुखनन के क्रम में सभी समतल और आनतियां ;

(iv) सब निवृत्त खनित ;

(v) खनिजों या अन्य वस्तुओं को खान में लाने या वहां से हटाने या वहां से

अपशिष्ट हटाने के लिए लगाए गए सब कन्वेयर (प्रवहणियां) या आकाशी रज्जु-मार्ग ;

(vi) खान के पार्श्वस्थ, या उसमें, की सब भूमि, भवन, संकर्म, ऐडिट, समतल, समनति, मशीनरी और उपस्कर, उपकरण, भंडार, यान, रेल, ट्राम्बे, और साइडिंग, जो खान के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ;

(vii) खान के पार्श्वस्थ, या उसमें, की सब कर्मशालाएं (जिनके अन्तर्गत भवन, मशीनरी, उपकरण, भंडार ऐसी कर्मशालाओं के उपस्कर और वह भूमि भी है जिस पर ऐसी कर्मशालाएं हैं) जो खान के अथवा एक ही प्रबन्ध के अधीन की कई खानों के प्रयोजनों के लिए सारभूत रूप से प्रयोग में लाई जाती है ;

(viii) खान के स्वामी का स्टाक में का या अभिवहन में सब कोयला और खान में उत्पादन के अधीन सब कोयला ;

(ix) खान में के सभी या वे विद्युत केन्द्र जो खान को या एक ही प्रबन्ध के अधीन की कई खानों को चलाने के प्रयोजन के लिए विद्युत प्रदाय के लिए प्रथमतया चलाए जाते हैं ;

(x) खान के स्वामी की और खान के पार्श्वस्थ, या उसमें या उसकी सतह पर स्थित सब भूमि, भवन और उपस्कर, जहां खान से प्राप्त कोयले की धुलाई या उससे कोक का विनिर्माण किया जा रहा हो;

(xi) [उपखण्ड (X) में निर्दिष्ट से भिन्न] सब भूमि, और भवन चाहे वे जहां भी स्थित हों, उस विस्तार तक जिस तक वे खान के प्रबन्ध, विक्रय या सम्पर्क कार्यालयों के अवस्थान के लिए, अथवा खान के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के निवास के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं;

(xii) खान के स्वामी की सब आय जंगम या स्थावर आस्तियां, चाहे वे जहां भी स्थित हों, जिसके अन्तर्गत नकद अतिशेष, आरक्षित निधियां और विनिधान वहां तक आते हैं जहां तक उनका सम्बन्ध खान से है और इसके अन्तर्गत ऐसा धन भी है जो नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि की बाबत खान के संबंध में उसे विधिपूर्वक देय हो गया हो :']

(संशोधन संख्या 24)

श्री राम नारायन शर्मा (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"That in the amendment proposed by Shri S. Mohan Kumaramangalam, printed as No. 24 in List No. 4 of amendments,—

in proposed clause (g) (xi)—

omit "to the extent they are"

कि श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या 4 में संख्या 24 के रूप में छपा है,—

प्रस्तावित खण्ड (छ) (xi) में,—

"उस विस्तार तक जिस तक वे" **के स्थान पर** "जो" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संशोधन संख्या 49)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"That in the amendment proposed by Shri S. Mohan Kumaramangalam printed as No. 24 in List No. 4 of amendments,—

in proposed clause (g) (xi)—

omit "to the extent they are"

कि श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो संशोधनों की सूची संख्या 4 में संख्या 24 के रूप में छपा है,—

प्रस्तावित खण्ड (छ) (xi) में, —

"उस विस्तार तक जिस तक वे" **के स्थान पर** "जो" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संशोधन संख्या 49)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधन संख्या 24, संशोधन संख्या 49 द्वारा संशोधित रूप में, स्वीकार की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended, was added to the Bill

खण्ड 3

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं अपने संशोधन संख्या 3, 4, 5 तथा 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

Page 3, line 24,—

for "The coal mines" **substitute**—

"Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) the coal mines."

[पृष्ठ 3, पंक्ति 30,—

"अनुसूची" में से पूर्व "उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" अन्तः स्थापित किया जाये ।]

(संशोधन संख्या 25)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करता हूं :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न यह था कि क्या कोयला खानों का अधिग्रहण दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए नहीं किया जा सकता था जिसके अधीन मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। ऐसा कई मामलों में किया गया है, जहां राष्ट्रीयकरण की बात आई है । मंत्री महोदय ने कहा है कि गैर-सरकारी कोयला खानों में श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, मजूरी बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है तथा श्रम-कानून के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं है । ऐसे शोषकों को तो मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए । अतः मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य से हमारा इस बारे में मतभेद है। वह समझते हैं कि यदि हम संशोधन पेश करें तो अनुच्छेद 31 क के अधीन प्रश्रय ले सकते हैं । परन्तु हमें प्राप्त कानूनी सलाह इसके विपरीत हैं अतः मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

Shri Ramavatar Shastri : My amendent is No. 34 which seeks to insert the following at page 3, line 24 and after the word "mines," "including coking coal owned by Tata Iron and Steel Companies."

The hon. Minister says that they are working efficiently and the workers do not have any complaints. But may I know whether this is only the criterion for taking over ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जी नहीं, मैंने कहा था कि मजदूरों को मजूरी बोर्ड के निर्णय के अनुसार मजूरी मिल रही है तथा प्रबन्धकगण भविष्य निधि तथा अन्य सांविधिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। परन्तु फिर भी "मार्क्सवादी" परिभाषा में मजदूरों का शोषण हो रहा है ।

Shri Ramavatar Shastri : But still I am not convinced why that was not taken over and why are the Government so soft towards the Tatas, and also other capitalists ? I want that they should also be taken over. Now they are using their own coal but then the Government too can supply coal to them. Since the Government is committed, may it be for name sake only, to strike at the Monopolists, why do they then spare TISCO ? We donot want that Tatas should be spared. They should take over their mines and themselves supply coal for their factories. Why have such a discriminatory attitude ? This way, they won't be able to satisfy labour and the democratic viewpoint.

So, I request the hon. Minister to agree to my amendment which has a broad objective.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जो कुछ मैं कल कह चुका हूं उसे दोहराने से कोई लाभ नहीं है । वह न कल माने थे न आज संतुष्ट होंगे ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अधिकांश शेयर विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा सरकार ने खरीद रखे हैं तथा उसके कार्य के विस्तार के लिये गठित समिति भी जिस निदेशक बोर्ड के अधीन गठित की गई है उसमें भी सरकार का बहुमत-प्रतिनिधित है । हम तो यह सोचते हैं कि इस कम्पनी का उचित रूप में नियंत्रण करके इस्पात-उत्पादन का विकास करें ।

अतः मेरे विचार से इन खानों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

Page 3, line 24,—

On "The Coal mines" **Substitute**—

"without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (i) the coal mines".

[पृष्ठ 3, पंक्ति 30, –

"अनुसूची में" **से पूर्व** "उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" **अन्तःस्थापित किया जाये।**]

(संशोधन संख्या 25)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4, 5 तथा 6 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 3, 4, 5 and 6 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 34 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 34 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3, as amended, was added to the Bill

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चैटर्जी—अनुपस्थित श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री इंद्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूं। इसका सारांश पृष्ठ 4, पंक्ति 22 में शब्द "माइन" (Mine) के बाद निम्नलिखित जोड़ने का है।

"including a managing contractor."

"एक प्रबन्ध ठेकेदार सहित"

मेरे विचार से इसमें तो मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस सम्बन्ध में मैंने अपने विधि विभाग से सलाह ली थी तथा उन्होंने बताया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें विचारधारा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कानूनी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35 मतदान के लिया रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 35 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

संशोधन किया गया :
Amendment made :

Page 5,—

(i) line 12,—
for "appertaining", **substitute** "pertaining",

(ii) line 40,—
omit "current"

(iii) line 41,—
for "at the head office or the principal", **substitute** "at any"

(iv) line 43,—
for "appertaining", **substitute** "pertaining".

[पृष्ठ 6,—

(i) पंक्ति 10 में "चालू" का **लोप** कर **दिया जाये**।

(ii) पंक्ति 10-11 में "प्रधान कार्यालय या मुख्य" **के स्थान** पर "किसी" **प्रति-स्थापित किया जाये**।]

(Shri S. Mohan Kumaramangalam)
(संशोधन संख्या 26)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5, as amended, was added to the Bill

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चैटर्जी अनुपस्थित हैं, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was added to the Bill

खण्ड—7

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं अपने संशोधन संख्या 7 तथा 8 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामसिंह भाई वर्मा अनुपस्थित हैं। अतः उनके संशोधन संख्या 17–23 पेश नहीं हुआ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 36, 37 तथा 38 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : संशोधन संख्या 8 में निहित आशय के अन्य संशोधन भी मुझे मिले हैं तथा मैं स्वयं भी मजदूरों को कुछ और प्राथमिकतायें देना चाहता हूं। अतः इस आशय का संशोधन मैंने स्वयं ही तैयार किया है जिसके अन्तर्गत मजदूरों की राशि मुआवजा देने से पहले दी जायेगी। आगे आप लोग इस पर सहमत हों तो मैं इस संशोधन को विधिवत् पेश करूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु यह सभी कर्मचारियों पर तो लागू नहीं होगा केवल खान के भीतर के लोगों को लाभ होगा। इसका लाभ तो सभी को मिलना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अपने संशोधन द्वारा मंत्री महोदय ने प्रायः सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। परन्तु मेरा अनुरोध है कि एजेन्सी गृहों तथा कलकत्ता मुख्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा तथा भविष्य निधि पर भी मंत्री महोदय विचार करें।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : सेवा की सुरक्षा का तो यह प्रश्न नहीं है। हां, मैं यह जरूर पता लगाऊंगा कि क्या कोयलाखान भविष्य निधि अधिनियम के अधीन न मानने वाले कर्मचारियों को इस अधिनियम का लाभ भी मिलेगा या नहीं।

Shri Ramavatar Shastri : Clause 7 provides for giving 20 paise per tonne to the coal mines owners. It should be only 5 paise a tonne. I am totally against giving money to the mines owners under any pretext i.e. compensation etc. Therefore, my amendment No. 36 seeks to reduce this rate to 5 paise only a tonne.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं संशोधन संख्या 37 का उल्लेख करना चाहता हूं, जोकि इससे सम्बन्धित है। यदि खान मालिकों को पैसा नहीं दिया जायगा तो वह कर्मचारियों की बकाया राशि अदा नहीं करेंगे क्योंकि स्वभाविक ही है कि वह कहेंगे कि पैसा नहीं है।

श्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन के अतिरिक्त मैंने अपने संशोधन में खण्ड 7 में 37 से 41 पंक्ति को हटाने का आग्रह किया है।

खानों को कई महीनों और वर्षों तक बन्द रखा गया, यह खानें मुख्यतः दो कारणों से बन्द रहीं : एक तो कुप्रबन्ध की वजह से और दूसरा नियोक्ता अपनी पूरी योग्यता के साथ इन खानों का उपयोग करते हैं और सभी को धोखा देकर कोई भुगतान नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे खान मालिकों को किस बात के लिए मुआवजा दिया जाय। इस सम्बन्ध में जब मैंने मंत्री महोदय से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक वर्तमान मात्रा का सम्बन्ध है, जिसके बारे में श्री रामावतार शास्त्री ने उल्लेख किया है, मुझे खेद है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे।

हमें परामर्श दिया गया है कि बन्द की गई खानों के सम्बन्ध में भी हमें प्रबन्धक मुआवजे के भुगतान के लिये उपबन्ध करना होगा क्योंकि इन खानों को हम पुनः खोलने का अधिकार ले

रहे हैं। इसी कारण अनुच्छेद 31 में किये गये उपबन्ध के अनुसार, उस मुआवजे का भुगतान किया जायगा। क्योंकि यह अनुच्छेद 31 संविधान में निर्दिष्ट है अतः हमें उसका ध्यान रखना ही होगा और इसके अन्तर्गत मुआवजा दिये बिना कोई चारा नहीं। इसीलिए हमने न्यूनतम राशि निर्धारित की है।

जहां तक श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाए गये प्रश्न का संबंध है, क्या इस संशोधन को बाद में नहीं लिया जा सकता क्योंकि मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूं कि क्या इसमें कुछ कमी तो नहीं है। मैं उत्तर केवल उत्तर देने के लिए नहीं देता। मैं खुद भी उनसे संतुष्ट होना चाहता हूं। आप इस खण्ड को विचाराधीन रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्ड 7 को विचाराधीन रखते हैं और अब खण्ड 8 पर चर्चा करेंगे।

खण्ड 8

Shri Ramavatar Shastri : I am not moving amendment No. 39. I am moving amendment Nos. 40, 41, 42 and 43.

By these amendments I want that in sub-clause (i) the term of imprisonment should be three years instead of two years and the amount of fine should also be raised from ten thousand to twenty-five thousand rupees. Likewise I want that in sub-clause (2) the term of imprisonment should be extended from three to five years and the fine should be to the tune of fifty thousand rupees.

I want that the offenders should get deterrent punishment.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : समस्या यह है कि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं होते। पिछली बार हमने जो दण्ड देना तय किया था, अब वह उसे और बढ़ाना चाहते हैं। वह सन्तुष्ट कब होंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40, 41, 42, 43 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 40, 41, 42, 43 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 9 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। खण्ड 10 के बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी ने संशोधन की सूचना दी है किन्तु वह यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं बाकी संशोधनों को एक साथ लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 से 14 मतदान के लिए रखे गये।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 9 से 14 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 9 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 9 to 14 were added to the Bill

खण्ड 15

संशोधन किए गए :
Amendments made :

Page 10,—

before line 1, insert—

15 (1) Every person with whom the owner or occupier of any coal mine has, before the appointed day, entered into any contract for any service (other than a contract of employment), sale or supply shall, within fifteen days from the date on which this Act receives the asset of the President, intimate to the Central Government the particulars of such contract and if any default is made in giving such intimation, such contract shall, on the expiry of the said period of fifteen days, be voidable at the option of the Central Government."

[पृष्ठ 10,—

पंक्ति 35 से **पूर्व** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाये** :—

15 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके साथ किसी कोयला खान के स्वामी या अधिभोगी ने कोई संविदा किसी सेवा (नियोजन सम्बन्धी संविदा से भिन्न), विक्रय या प्रदाय के लिए, नियत दिन से पूर्व, की है, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, 15 दिन के भीतर, ऐसी संविदा के विवरण केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा और यदि ऐसी सूचना देने में कोई त्रुटि होती है तो वह संविदा, 15 दिन की उक्त अवधि के अवसान पर, केन्द्रीय सरकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जायेगी ।"]

(संशोधन संख्या 27)

Page 10, line 1,—

for "15 (1)", **substitute** "(2)"

[पृष्ठ 10, पंक्ति 35,—

"15 (1)" **के स्थान पर** "(2)" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।]

(संशोधन संख्या 28)

Page 10, line 14,—

(a) **for** "(2)", **substitute** "(3)" ;

(b) **for** "sub-section (1)", **substitute**,—"sub-section (2)" ;

[पृष्ठ 11, पंक्ति 1,—

(क) "(2)" **के स्थान पर** "(3)" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

(ख) उपधारा (1) **के स्थान पर** उपधारा (2) **प्रतिस्थापित किया जाये** ।]

(संशोधन संख्या 29)

(श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्)

संशोधन किया गया :
Amendment made :

Page 10, lines 2 and 3,—

omit "entered into any time within twelve months immediately preceding the appointed day,"

[पृष्ठ 10, पंक्ति 36 और 37,—

"नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के भीतर किसी समय" का लोप कर दिया जाए,]"

(संशोधन संख्या 50)

(श्री राम नारायण शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15, as amended, was added to the Bill

खण्ड 16

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

Page 10, lines 21 and 22,—

omit, "for reasons to be recorded in writing,"

[पृष्ठ 11, पंक्ति 8,—

"ऐसे कारणों से, जो लिपिबद्ध किए जाएंगे," का **लोप कर दिया जाये**।]

(संशोधन संख्या 30)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 45 और 46 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Deputy Speaker, Sir, my amendment is to clause 16. This Bill should provide that all employees working in the coal mines before the take over will be absorbed by the Government. The Custodian should not be given the powers to dispense with the services of any worker. I am against it. It will be a sort of injustice towards the labourers. The hon. Minister says that such provisions are always made in the Bills but I want to know when such rights are not exercised, what is the utility of keeping a clause like that. I want that the amendment should be accepted. This would ensure confidence of the labourers and they would devote themselve whole-heartedly to this work. Consequently there will be increase in production.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपने दोनों संशोधनों को अलग अलग लूंगा। यदि संशोधन संख्या 45 स्वीकृत हो गया तो मैं संशोधन संख्या 46 को वापिस ले लूंगा।

मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने जो बात कही है, मैं लगभग उसी का समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने अपने संशोधन में सभी कर्मचारियों को सम्मिलित किया है जब कि मेरे संशोधन का उद्देश्य 'रोजगार' के पश्चात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किसी संविदा में अन्तर्ग्रस्त श्रमिक को अतिरिक्त जोड़ना है। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो आवश्यकतानुसार किसी उच्च अधिकारी अथवा प्रबन्धक कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने

की शक्तियां अभिरक्षक के पास रह जाएंगी किन्तु इससे उसे किसी सामान्य श्रमिक की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति नहीं मिलेगी ?

जहां तक कोयला खानों का सम्बन्ध है, उन्हें फालतू श्रमिकों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। खानों में समस्या बिल्कुल भिन्न है। कोयला खान अधिनियम के अनुसार उन्हें पृथक कामों के लिए पृथक कर्मचारियों को रखने की अपेक्षा की गई है किन्तु कई खानों में एक ही क्लर्क को अनेक कामों के लिए नियुक्त किया जाता है जो हाजरी लगाने, भविष्य निधि का हिसाब रखने और ई० एस० आई० आदि सभी प्रकार के काम कर रहा है। विनियमों के अनुसार, उन्हें इन सभी कामों के लिए अलग अलग व्यक्ति को रखना चाहिए। अनेक खानों में इस प्रकार का कदाचार हो रहा है। मंत्री महोदय कहते हैं कि किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। किन्तु इस प्रकार के खण्ड को विधेयक में रखने की क्या आवश्यकता थी जैसाकि श्री रामावतार शास्त्री ने कहा है। अतः मेरा सुझाव है कि संविदा को समाप्त करने की शक्ति उन संविदों पर जो श्रमिकों से सम्बन्धित है लागू नहीं की जानी चाहिए जैसाकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं दोनों माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं। किन्तु अतिरिक्त श्रमिकों के सम्बन्ध में मेरा श्री इन्द्रजीत गुप्त से मतैक्य नहीं है। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, नियोक्ताओं के दुर्व्यवहार के कारण हमने भिन्न प्रकार के श्रमिकों को नियुक्त किया हुआ है : जैसे एक ओर तो भविष्य निधि और स्थायी श्रमिक हैं जिन्हें ये सभी सुविधाएं नहीं दी गई और दूसरी ओर बदली अर्थात् नैमित्तिक श्रमिक हैं। इन सभी प्रकार के नैमित्तिक श्रमिकों को भारत कोकिंग कोल माइन में सामूहिक रूप से स्थायी कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत कोकिंग कोल में हमारे पास 30,000 श्रमिक फालतू हो गए हैं। यदि इसी प्रक्रिया का गैर-कोकिंग कोयला खानों में पालन किया जाए तो हमें वैसी ही कठिनाई का सामना करना होगा। आजकल कर्मचारियों के रजिस्टर में बड़ी धोखाधड़ी है और अगर हम आपकी बात मान लें तो उन श्रमिकों को जिन्होंने धोखे से अपने आपको श्रमिक के रूप में रजिस्टर करा रखा है, स्वीकार करना होगा।

कानूनी रूप से सही उपस्थिति नामावली बनाना सम्भव नहीं है। खण्ड 16 में अभिरक्षक को दी गई शक्तियां उसे प्रदान करके ही सही श्रमिकों की सेवाओं को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

माननीय सदस्य को आशंका है कि अभिरक्षक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। इस मामले में हमें आपका सहयोग चाहिए। श्री रामावतार शास्त्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः माननीय सदस्य अपने सुझावों को मनवाने के लिए जिद न करें। जब मैं आसनसोल और बोकारो का दौरा कर रहा था तो कई श्रमिक संघों ने मुझसे यह शिकायत की कि अमुक अधिकारी को निकाल दिया जाए और यह भी शिकायत की कि सही उपस्थिति नामावली गायब करके झूठी नामावली पेश की गई है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह मुझ पर विश्वास करें और हमें सहयोग प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

Page 10, lines 21 and 22,—

omit, "for reasons to be recorded in writing",

[पृष्ठ 11, पंक्ति 8,—

"ऐसे कारणों से, जो लिपिबद्ध किए जाएंगे," का **लोप कर दिया जाय**।]

(संशोधन संख्या 30)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 44, 45 और 46 मतदान केलिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 44, 45 and 46 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 16 'संशोधित रूप में' विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 16 'संशोधित रूप' में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16, as amended, was added to the Bill

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17, was added to the Bill

खण्ड 18

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

Page 11, line 1,—

for "18" **substitute** "18 (1)"

[पृष्ठ 11, पंक्ति 36,—

"18" **के स्थान पर** "18 (1)" **प्रतिस्थापित किया जाये**।]

(संशोधन संख्या 31)

Page 11, line 2,—

for "a Government company or", **substitute**—"Government, or by a Government company or"

[पृष्ठ 11, पंक्ति 37,—

'जो सरकारी कम्पनी' **के स्थान पर** जो सरकार या किसी सरकारी कम्पनी **प्रतिस्थापित किया जाये**।]

(संशोधन संख्या 32)

Page 11,—

after line 15, **insert**—

"(2) Sub-section (1) shall not apply where there is any dispute as to the ownership or right of user of Government company or corporation referred to in clause (a) of that sub-section, or company referred to in clause (b) of that sub-section, with regard to any coal mine or any machinery, equipment, vehicle, railway or tramway, which is in such coal mine or is used for the purposes of such coal mine."

[पृष्ठ 12,—

पंक्ति 7 के पश्चात निम्नलिखित **अन्त स्थापित किया जाये** :—

"(2) उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी जहां उस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सरकार, सरकारी कम्पनी या निगम, अथवा उस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कम्पनी के, किसी कोयला खान के सम्बन्ध में अथवा किसी ऐसी मशीनरी, उपस्कर, यान, रेल या ट्रामवे के सम्बन्ध में जो ऐसी कोयला खान में हो या जिसका प्रयोग ऐसी कोयला खान के प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, स्वामित्व या प्रयोगाधिकार के विषय में कोई विवाद हो।"]

(संशोधन संख्या 33)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 31 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :—

Page 11, line 1,—

for "18" **substitute** "18 (1)"

[पृष्ठ 11, पंक्ति 36,—

"18" **के स्थान पर** "18 (1)" **प्रतिस्थापित किया जाये।**]

(संशोधन संख्या 31)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

Page 11, line 2,—

for "a Government company or", **substitute,**—

"Government, or by a Government company or"

[पृष्ठ 11, पंक्ति 37,—

"जो सरकारी कम्पनी" **के स्थान पर** "जो सरकार या किसी सरकारी कम्पनी" **प्रतिस्थापित किया जाये।**]

(संशोधन संख्या 32)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

Page 11—

after line 15, **insert**—

"(2) Sub-section (1) shall not apply where there is any dispute as to ownership or right of user of Government company or corporation referred to in clause (a) of that sub-section, or company referred to in clause (b) of that sub-section, with regard to any coal mine or any machinery, equipment, vehicle, railway or tramway, which is in such coal mine or is used for the purposes of such coal mine."

[पृष्ठ 12,—

पंक्ति 7 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त स्थापित किया जाये :—**

"(2) उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी जहां उस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सरकार, सरकारी कम्पनी या निगम, अथवा उस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कम्पनी के, किसी कोयला खान के सम्बन्ध में अथवा किसी ऐसी मशीनरी, उपस्कर, यान, रेल या ट्रामवे के सम्बन्ध में जो ऐसी कोयला खान में हो या जिसका प्रयोग ऐसी कोयला खान के प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, स्वामित्व या प्रयोगाधिकार के विषय में कोई विवाद हो।"]

(संशोधन संख्या 33)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 18, as amended, was added to the Bill

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 19 and 20 were added to the Bill

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"Page 8, **after** line 11, **insert,**—

(4) Out of the amount payable under the foregoing sub-sections, *there shall be* deducted by the Central Government, all sums equal to the amount of arrears due, on the appointed day, to the persons employed by the owner of a coal mine—

(a) from a provident fund, pension fund, gratuity fund or any other fund established for the welfare of the persons employed by the owner of the coal mine, and

(b) as wages"

["पृष्ठ 8, पंक्ति 37 के **पश्चात** निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये,—

(4) उपर्युक्त उपधाराओं के अधीन देय राशि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी कोयला खान के स्वामी द्वारा नियोजित व्यक्तियों को नियत दिन को देय बकाया राशि के समान सभी राशियां काट ली जायेंगी—

(क) कोयला खान के स्वामी द्वारा नियोजित व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या किसी अन्य निधि में से, और

(ख) मजूरी के रूप में"]

(संशोधन संख्या 51)

इसमें सभी निधियां जैसे भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि और अन्य स्थापित निधियां शामिल हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें सांविधिक निधियां भी शामिल की जानी चाहिए।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इसका क्षेत्र और भी विस्तृत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"Page 8,—

after line 11, **insert**—

(4) Out of the amount payable under the foregoing sub-sections, there shall be deducted by the Central Government, all sums equal to the amount of arrears due, on the appointed day, to the persons employed by the owner of a coal mine—

(a) from a provident fund, pension fund, gratuity fund or any other fund established for the welfare of the persons employed by the owner of the coal mine, and

(b) as wages".

[" पृष्ठ 8, पंक्ति 37 **के पश्चात** निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये,—

(4) उपर्युक्त उपधाराओं के अधीन देय राशि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी कोयला खान के स्वामी द्वारा नियोजित व्यक्तियों को नियत दिन को देय बकाया राशि के समान सभी राशियां काट लीं जायेंगी—

(क) कोयला खान के स्वामी द्वारा नियोजित व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या किसी अन्य निधि में से, और

(ख) मजूरी के रूप में"]

(संशोधन संख्या 51)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बाकी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7, 8, 36, 37 और 38 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 7, 8, 36, 37 and 38 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय श्री आर० एस० शर्मा द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 49 के यह शब्द इस सीमा तक ये हैं, से कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। जब इमारत केवल खनन कार्य के लिए प्रयोग में लाई जायगी तब इसे हम अपने अधिकार में लेंगे किन्तु जब इसका भिन्न-भिन्न रूप में प्रयोग किया जाएगा हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पहले नियम 338 के निलंबन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि नियमानुसार इसका निरसन दूसरे प्रस्ताव से ही हो सकता है।

संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को, जहां तक यह कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1973 के खण्ड 2 सम्बन्धी संशोधनों को स्वीकृत करने तथा खण्ड 2 को, संशोधित रूप में, स्वीकृत करने की सभा के निर्णय का निरसन करने के प्रस्ताव पर लागू होता है निलंबित किया जाए"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को, जहां तक यह कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1973 के खण्ड 2 सम्बन्धी संशोधनों को स्वीकृत करने तथा खण्ड 2 को, संशोधित रूप में, स्वीकृत करने के सभा के निर्णय का निरसन करने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलंबित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1973 के खण्ड 2 सम्बन्धी संशोधनों को स्वीकृत करने तथा खण्ड 2 को, संशोधित रूप में, स्वीकृत करने के सभा के निर्णय का निरसन किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) विधेयक, 1973 के खण्ड 2 सम्बन्धी संशोधनों को स्वीकृत करने तथा खण्ड 2 को, संशोधित रूप में, स्वीकृत करने के सभा के निर्णय का निरसन किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

संशोधनों की सूचना में, सूची संख्या 4, क्रम संख्या 24, प्रस्तावित खण्ड (घ) (ii), में,— "to the extent they are" (जिस सीमा तक वे हैं) **के स्थान पर** "and solely" (और केवल) **प्रतिस्थापित किया जाए।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

संशोधनों की सूचना में, सूची संख्या 4, क्रम संख्या 24, प्रस्तावित खण्ड (घ) (ii) में,— "to the extent they are" (जिस सीमा तक वे हैं) **के स्थान पर** "and solely" (और केवल) **प्रतिस्थापित किया जाए।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधन संख्या 24, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति की सदन में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और आप इसे परम्परा न बना लें इससे हर किसी को कठिनाई होती है।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Schedule, Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही क्षणों में यह विधेयक हमारी अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए पारित किया जाने वाला है, पर इस सम्बन्ध में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। यदि सीमेंट के परमिटों और उर्वरकों के परमिटों के वितरण की भांति कोयले के वितरण में गोलमाल किया गया तो हम कहीं के न रहेंगे!

कोयले का उपभोग जिला मुख्यालयों से दूर स्थित गांवों और अन्य स्थानों में भी किया जाता है। जिला मुख्यालयों और सब डिवीजनल मुख्यालयों में कोयले के भंडार बने हुए हैं पर कई गांव इनसे 30-40 मील की दूरी पर होते हैं। उन लोगों को जिला मुख्यालय से कोयला ले जाने में दिक्कत होगी। आजकल कोयला प्रत्येक रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है और वहां से उपभोक्ता कोयले को अपने घर या कारखानों को ले जाता है। जहां तक व्यापारियों का संबंध है, वे प्रत्येक रेलवे स्टेशन तक कोयला ले जाने के अभ्यस्त हो चुके हैं और वहां से उपभोक्ता अपनी आवश्यकता

अनुसार कोयला प्राप्त करते हैं । मेरा अनुरोध है कि सरकार को प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कोयले का स्टाक करने की व्यवस्था करनी चाहिए जहां से गांव 5 मील से 12 मील तक दूर हों ।

अब तक कोयला खान मालिक चोरी-चोरी कोयला बेचते रहे हैं क्योंकि लगभग 97 प्रतिशत कोयला कारखानों द्वारा उपभोग में लाया जाता है । अतः हमें सरकारी उपभोग के लिए कोटे को बढ़ाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, कारखानों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ताओं को कोयला, चाहे वे घरेलू उपभोग के लिए ले या ईंटों के भट्ठे के लिए ले या वह छोटे लुहारों द्वारा लिया जाए, उपलब्ध किया जाना चाहिए अतः इस कोटे को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जाना क्योंकि यदि इस कोटे को कम स्तर के उपभोक्ताओं के लिए 5 से 7 प्रतिशत तक रखा जाता है तो उपभोक्ताओं को कष्ट होगा, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और छोटे पैमाने के उद्योगों को भी हानि होगी ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान कोयले के वितरण के लिए नियुक्त किए जाने वाले छोटे विक्रेताओं की ओर दिलाना चाहता हूं । केवल ऐसे व्यापारियों को लाइसेंस दिए जाएं जो ईमानदार हों और जो वास्तव में उचित मूल्य पर कोयला बेच सकें । लोगों को अपने उपभोग की मुख्य रूप से चिन्ता है और उन्हें बिना कठिनाई के कोटा मिलना चाहिए । कोयले के वितरण के समय इन दो बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Bill. There is shortage of coal all over the country. Consequently its price has gone up. I want that its price should be fixed so that it may be easily available to the consumers.

Men of integrity should be appointed as dealers. I have recently been to Patna. A Co-operative Factory against which charges of corruption have already been proved is being sponsored for being appointed as a coal dealer because, certain influential persons are there at his back. I am sure that after the nationalisation of the coal industry, there will be no shortage of coal in both the Private as well as the Public sector.

The hon. Minister said that all their officers were not bad. But there are some corrupt officers in Department.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस पर मुझे आपत्ति है । मैं खान विभाग का दो वर्षों से अधिक समय से मंत्री हूं और मुझे एक भी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत नहीं मिली, जो भ्रष्ट हो । आपको इस प्रकार के सामान्य वक्तव्य नहीं देने चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं सामान्य वक्तव्य नहीं दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय आप केवल विधेयक के विरोध में अथवा पक्ष में विचार व्यक्त कर सकते हैं । अन्य बातें असंगत हैं । उनके बारे में आप मंत्री महोदय को लिख सकते हैं ।

Shri Ramavatar Shastri : This take over by the Government and the future nationalisation should be a success. I want to say this so that there may not be hinderances in this task.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय सब बातें आवश्यक नहीं हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोआपरेटिव सोसायटी, धनबाद और सिकन्दराबाद विधेयक की परिधि में नहीं आते । आपको संगत ही बोलना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri : I want only to say that certain contractors and certain officers will try to make this measure a failure. I can refer the name of an officer......**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मुझे इस समय सदन की गरिमा का ध्यान है। कृपया नामों का उल्लेख न करें।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं कई बार कह चुका हूं कि यदि किसी भी सदस्य को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत है तो उन्हें मामले को मेरे पास भेजना चाहिए। यदि मैं उनको संतुष्ट न कर पाऊं तभी वह मामला सदन में उठा सकते हैं। क्या मैंने कभी उनसे बात करने से इनकार किया है ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वाद-विवाद की सीमा से परे जा रहे हैं।

Shri Ramavatar Shastri : I want to say that certain officers and contractors want to make this take over a failure. I want to give one example **

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री अब जो भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	...	विपक्ष में
61	...	2
Ayes		Noes
61		2

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री पीलू मोदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने, जिनकी संख्या 3 है, पक्ष में मत दिया है परन्तु वे ×× मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देते।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। वाद-विवाद के समय मैं श्री चह्वाण की सीट पर बैठा था और मतदान के समय भी वहीं बैठा रहा और मैंने उसी स्थान से मतदान किया।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

×× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

×× Expunged as ordered by the Chair.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1972-73
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT (GENERAL), 1972-73

उपाध्यक्ष महोदय : अब अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : मैं विशेष रूप से खाद्य विभाग सम्बन्धी मांग संख्या 29 के बारे में कहना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल राज्य में राशनिंग पद्धति पूरी तरह विफल रही है। राशनिंग व्यवस्था द्वारा वितरित किया जाने वाला अनाज एक तो अपर्याप्त मात्रा में होता है और दूसरे मानव उपयोग के अयोग्य होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों में तो प्रायः अनाज होता ही नहीं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसमें राज्य के लोगों को अन्नाभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कार्य की जांच के लिए श्री एन० सी० राय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की थी जिसकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले प्रकाशित की गई है। उसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम को प्रतिवर्ष चोरियों और कदाचारों के कारण 5 करोड़ रुपए का घाटा होता है। कई गोदामों में अनाज में रेत और पत्थर का चूरा मिलाया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा अधिक अन्न की मांग के सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये थे परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य को खाद्य अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, और बिहार की खाद्य स्थिति भी अत्यन्त विषम है। यदि इस बारे में प्रभावकारी कदम शीघ्र नहीं उठाए जाते, तो मुझे सन्देह है कि स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। कृषि मन्त्री को सिंचाई और विद्युत मन्त्री के साथ परामर्श करके छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

दामोदर घाटी परियोजना के अन्तर्गत हमारे राज्य में 8 जलाशयों का निर्माण किया जाना था किन्तु केवल चार जलाशय बनाए गए हैं जिससे 50 प्रतिशत जल व्यर्थ जाता है।

रूप नारायण नदी का पानी सूख रहा है और गंगा नदी का जल-स्तर घट रहा है परन्तु इस स्थिति में कोई समन्वित प्रयत्न नहीं किए जा रहे। गंगा के जल पर जैसा उत्तर प्रदेश और बिहार का अधिकार है वैसा ही बंगाल का भी है।

कावेरी, नर्मदा के जल विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस समस्या पर कोई युक्तिसंगत रुख नहीं अपनाया है। इसलिए मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मांग संख्या 29,110, 114 और 57 पर ही कुछ कहना चाहता हूं।

कहा गया है कि यह मांग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के लिए है। मैं कर्मचारियों में वेतन आयोग की रिपोर्ट न पेश किये जाने के कारण असंतोष और उनकी समस्याओं को यहां रखना चाहता हूं।

श्री के० आर० गणेश और श्री चह्वाण के कथनानुसार वेतन आयोग का प्रतिवेदन 31 मार्च

* बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा। समाचार पत्रों में ऐसे संकेत मिले हैं कि प्रतिवेदन सर्वसम्मत नहीं है। अतः सम्भवतः हमें दो प्रतिवेदनों पर चर्चा करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वेतन आयोग के सदस्य सचिव को वेतन आयोग को लागू करने वाले सेल का अधिकारी बनाया जा रहा है और क्या यह भी सच है कि सर्वसम्मत प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए सम्भवतः प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय और बढ़ा दिया जायेगा ? मैं कोई धमकी देना नहीं चाहता है, पर यदि प्रतिवेदन 31 मार्च तक प्रस्तुत नहीं किया गया तो कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ जायेगा और यह खतरनाक रूप ले सकता है।

मेरे पास लगातार विभिन्न राज्यों के सेवा निवृत्ति लोगों के संघों के तार आ रहे हैं। इस मंहगाई के समय में वे 30, 40, अथवा 50 रुपये से कैसे काम चला सकते हैं। यह आशा करना सर्वथा निराधार है कि उनके बेटे उनका निर्वाह करेंगे। इस मंहगाई में वे भी मजबूर हैं।

अब मैं मांग संख्या 29 पर आता हूं। क्या खाद्य निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

श्री एस० के० मोदी, जिन्होंने 10,000 गेहूं की बोरियों की जमाखोरी की, उनका क्या हुआ ? क्या उन पर लगाए गये आरोपों को वापिस लिया जा रहा है ?

अब मैं मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या "डिफयूजन आप आनरशिप बिल" को सभा में पुरस्थापित किया जायेगा, यदि हां तो कब तक ? मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाना चाहता पर इस प्रकार के एकाधिकार पर अंकुश लगाना चाहता हूं जैसे कि बिड़ला बन्धु। उनका 'हिन्दुस्तान टाइम्स' पर नियंत्रण है, एल्यूमीनियम उद्योग जूट, उद्योग और अन्य उद्योगों पर भी नियंत्रण है। यह तो समाजवाद नहीं है।

अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग का भविष्य क्या है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस से महरूम क्यों रखा जा रहा है ? मैं समझता था कि माननीय मंत्री अपने बजट भाषणों में इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे शेष आश्वासन देंगे। जब कि अन्य सरकारी उपक्रमों में बोनस दिया जा रहा है तब यहां किस प्रकार मना किया जा सकता है।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Government have come before the House for getting sanction for an additional amount of rupees 13 crore 29 thousand and 361 on account of wrong assessment. If they had come with the proposal of giving some rise to in the pay scales of defence forces it would have been a matter of happiness for me and it would have been more profitable.

Government have completely failed in giving living wages to their employees and defence personnel.

Demand has been made in the name of food. But what had happened in the past. Lakhs of rupees have gone waste. I do not want to repeat the charges levelled against F. C. I. I want to say only this much that it has not been successful in discharging its duties and Government is demanding more money instead of removing its shortcomings.

Money for Petroleum and Chemicals Ministry has also been demanded. But Government have not been able to fulfil the demand of fertilizers, falling under the control of that Ministry. On the one hand, Government talk of green revolution but on the other farmers are not supplied sufficient fertilizers in time. Prices of fertilizers have gone up by 20%, but Government is not prepared to raise the procurement price of agricultural produce.

We have no objection to giving money for highways, because in the conditions of drought it gives employment to so many persons. In this connection, I would like to give one suggestion that Ajmer—Khandwa and Udaipur—Ratlam should be included in the scheme of highways.

My constituency is an opium growing area. Government is not paying sufficient attention towards that. The setting up of a factory at Neemuch is being delayed. The opium growers are not getting proper price of their produce. The money is being spent on unnecessary items.

The money spent in the name of small scale industries actually does not reach them. They are not getting raw material. Government should examine whether they get their quota or it goes to large scale industries.

I would like to get the answers to the questions raised by me and I think hon. Minister will oblige me.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ...

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अपना उत्तर होली की छुट्टियों के बाद जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

24 वां प्रतिवेदन

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 24वें प्रतिवेदन से, जो 14 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 24वें प्रतिवेदन से, जो 14 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

विदेशी तेल कम्पनियों और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE: NATIONALIZATION OF FOREIGN OIL COMPANIES AND OTHER VITAL INDUSTRIES

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एच० एन० मुकर्जी अपने संकल्प पर अपना भाषण जारी रखें। 15 मिनट का समय वह ले चुके हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि सरकार एकाधिकार(देशी और विदेशी)के हितों के विरुद्ध कुछ करने में हिचकती है। और विदेशी तेल

कम्पनियों के सम्बन्ध में ऐसा उदार व्यवहार बड़ा ही आपत्तिजनक है क्योंकि ये विदेशी तेल कम्पनियां विकासशील देशों की स्वतंत्रता में लम्बे समय से बाधक रही हैं।

पिछली बार मैंने बताया था कि इनके कारण विदेशी मुद्रा आदि के मामलों में हमें कितनी हानि हुई है और मूल्यों के सम्बन्ध में उन्होंने किस सीमा तक हमें ब्लैकमेल किया है, और यहां के बड़े लोगों को खरीदा और लोग बिके हैं।

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए
Shri S. A. Kadar in the Chair]

यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कम्पनियां सरकार के निदेशों की अवहेलना करती रही हैं। इन्होंने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। अपना काम वे ठेकेदारों को देते हैं जो उनकी ओर से सारी हेरा फेरी करते हैं। वे यह सब सरकार पर दबाव डालने के लिये करते हैं और भारतीय अर्थ व्यवस्था के प्रति बड़ा उपेक्षित सा भाव अपनाते हैं।

अपने इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन कम्पनियों ने सरकार को इक्वीटी सहयोग का सुझाव दिया था और सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए तर्क तेल की कमी का दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों का उत्तर दिया जाये।

यदि हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो हम अपने देश को इन क्रूर लोगों के हाथों में दे देंगे। यह अच्छा समाचार है कि ईराक ने तेल उद्योग को अपने हाथ में ले लिया है। ईराक हमारा अच्छा मित्र है अतः अब दोनों—उत्पादक और उपभोक्ता देश—के बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के सहयोग से सीधे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करे।

सोवियत संघ के प्रोफेसर एन० ए० कालेनिन, जो कि विश्व के प्रसिद्ध तेल विशेषज्ञ हैं, ने 1956 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस देश में तेल के इतने बड़े भण्डार हैं कि इससे देश की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। पीटर आर० ओ'डेल द्वारा लिखित "आयल एण्ड वर्ड पावर" तथा माइकेल टेंजर द्वारा लिखित "दि पोलिटीकल एकानिमी ऑफ इन्टरनेशनल आयल एण्ड दि अंडर डिवलेप्ड कन्ट्रीज" पुस्तक में भी ऐसी ही बात कही गई है। यदि हम गम्भीरता से इस दिशा में कार्य करें तो हम तेल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। श्री माइकेल टेंजर ने 30 जनवरी, 1973 को भारत में 'इकनामिक टाइम्स' को इन्टरव्यू में बताया था भारत को सभी विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और उसके बदले में उन्हें कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए क्योंकि वे कम्पनियां पहले ही काफी लाभ कमा चुकी हैं।

देश में साधनों की कमी नहीं परन्तु कार्य करने की इच्छा की कमी है। सरकार को विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कोई व्यवस्था करके तेल सम्बन्धी कार्य शुरू करना चाहिए।

'गरीबी हटाओ' का नारा सिद्धान्तात्मक है, व्यावहारिक नहीं। सदन में दिए गए वक्तव्य के अनुसार पोषण के अभाव में एक से पांच वर्ष की उम्र के 14,000 बच्चे अन्धे हो गए हैं। देश को वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना चाहिए और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था का कायापलट होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि विदेशी तेल कम्पनियों और 75 एकाधिकारी गृहों के नियन्त्रणाधीन अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए"।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

सरकार द्वारा खानों को अपने नियन्त्रण में लेने के बाद अब यह मांग की जा रही है कि विदेशी तेल कम्पनियों और बड़े उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मुझे विश्वास है मंत्री महोदय यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि सरकार इनके राष्ट्रीयकरण के बारे में स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि इनके राष्ट्रीयकरण का समय अब आ गया है।

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की बागडोर इस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों और एकाधिकारियों के हाथ में है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में विदेशी तेल कम्पनियों को अशोधित तेल आयात करने और आयात साम्यता के आधार पर पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य श्री एच० एन० मुकर्जी के संकल्प का समर्थन करेंगे। सरकार को 31 दिसम्बर, 1973 तक विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और इन कम्पनियों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : तत्कालीन मंत्री श्री पी० सी० सेठी ने राज्य सभा में बताया था कि भारत में विदेशी गैर सरकारी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की कठिनाइयों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है और इसी प्रकार 29 मई, 1972 को श्री एच० आर० गोखले ने संसद की परामर्शदात्री समिति में बताया था कि औपचारिक अध्ययन के बाद अन्तिम निर्णय किया जाएगा। सरकार को यह भी पता है कि बर्मा-शैल, काल्टेक्स और एस्सो जैसी कम्पनियां भारत में काफी लाभ कमा रही हैं और बाहर भेज रही हैं। इन्होंने देश के हित की बात कभी नहीं सोची। जब जब उनसे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया उन्होंने मना कर दिया। इसके अतिरिक्त वे कम्पनियां आयात के मामले में भी मनमानी करती हैं। उन्होंने केवल अपने लाभ की बात ही सोची है। गत तीन वर्षों में इन 14 कम्पनियों ने 10,48 करोड़ रुपये का लाभ और 40 प्रतिशत लाभांश कमाया। अब उन्होंने अपनी आस्तियों में कमी दिखाना प्रारम्भ कर दिया है और वे बाहर पैसा भेज रही हैं। कुछ श्रमिक नेताओं ने मुझे बताया है कि ये कम्पनियां देश को लूट रही हैं। ये कम्पनियां भारतीय कर्मचारियों को मुआवजा देती हैं और उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं ताकि वे कर्मचारी उनके पक्ष में रहें और सरकार को बताएं कि इन कम्पनियों की आस्तियां कम हो रही हैं। वास्तविकता यह है कि इस देश में इन तीन कम्पनियों की जितनी प्रदत्त अंश पूंजी थी, उससे तीन गुना लाभ वे कमा चुकी हैं। बर्मा शैल ने सबसे अधिक धन राशि हमारे देश से बाहर भेजी। सरकार के पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि सरकार अधिकांश शेयर हस्तगत कर ले। करारों का पुनरीक्षण दूसरा विकल्प है। अन्तिम विकल्प राष्ट्रीयकरण है। मन्त्री महोदय को शीघ्र ही इन कम्पनियों का सरकारीकरण कर देना चाहिए नहीं तो देश को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj) : We have seen in the past that the general public has never benefited from the nationalisation. When the question of nationalisation was raised the coal went out of the market. The prices of coal immediately went up. It may be that the public have not opposed the nationalisation of the oil industry but it has shown its dissatisfaction.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

All nationalised industries are running in loss. The nationalisation of banks was done with a view to providing adequate loans to the farmers and the poor people for small businesses. But infact only the big industrialists and big millowners were able to get benefit of the bank nationalisation, the small farmers and labourers could not get any benefit out of it. So the Government should create national feeling in the minds of the people. If it is not done the poverty and unemployment will further grow.

When the Government takes the big industries in its control, it has its effect on small industries. The Government should take such steps that its bad effects may not fall on small industries.

So far as the question of nationalisation of oil industry is concerned, it is one of the most important commodity today. So its production should be on a very large scale and the nation should be benefited by it. There should be an improvement on its distribution system. The Government should nationalise all the big industries in the country.

The capitalists have the monopoly over 75 big business houses in the country. The Government should also look into this matter and should immediately nationalise them.

The Government should fulfil its scheme of development of small scale industry.

The Government should ensure that the prices do not rise further.

We are not against nationalisation. But the benefit for the public must reach the public and its benefit should not be limited to the Government. The Government should take some effective steps in this regard.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से सहमत हूं। हमने इन सब तेल कम्पनियों के साथ 1951-53 में 15 वर्ष तथा 25 वर्ष की अवधि के लिये करार किया था और उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद हमें इनका राष्ट्रीयकरण करना है। ये कम्पनियां लाभांश के रूप में अपने देशों को बहुत बड़ी धनराशि भेज रही हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार इन कम्पनियों को अपने देशों में 40 प्रतिशत लाभांश भेजने की कैसे अनुमति दे दी ?

जहां तक मुझे जानकारी है भारतीय अधिकारियों को निकालने अथवा उन्हें सेवा निवृत्ति के लिये बाध्य करने का समाचार सच नहीं है। यदि माननीय सदस्य उक्त जानकारी सच समझते हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में जांच के लिये एक समिति नियुक्त करें।

माननीय सदस्य ने 75 एकाधिकार गृहों का उल्लेख किया है और कहा है कि टाटा और बिड़ला की आस्तियां बहुत बढ़ गई हैं। मन्त्री महोदय को इस बारे में यह बताना चाहिये कि क्या ये व्यापार गृह उन सब नियमों का पालन कर रहे हैं जो सरकार द्वारा बनाये गये हैं और क्या ये श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि सहित अन्य सभी करों का भुगतान कर रहे हैं ? यदि उक्त कम्पनियां नियमों का पालन करते हुए लाभ कमा रही हैं, तो इनकी प्रशंसा की जानी चाहिये।

एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण करने को कहा गया है। क्या सरकार इनका प्रबन्ध इन व्यक्तियों की तुलना में अच्छी प्रकार चला सकती है ? सरकार ने कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। जिस किसी उद्योग का प्रबन्ध ठीक न हो उसका निश्चित रूप से राष्ट्रीयकरण किया

जाना चाहिये। लेकिन जब उक्त कम्पनियों का प्रबन्ध उचित है, वे लाभ में चल रही हैं, लोगों को रोजगार और लाभांश दे रही हैं, तो इनके राष्ट्रीयकरण का कोई औचित्य नहीं।

सरकार को उत्पादन बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जिससे रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हों और सरकार को भी अधिक राजस्व प्राप्त हो। सरकार का मिश्रित अर्थ व्यवस्था में विश्वास है वह एकाधिकार में विश्वास नहीं रखती। यदि हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को भी एक सीमा तक उन्नति करने देना चाहिये। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र सरकार को सब कर देकर और श्रमिकों को सब सुविधाएं प्रदान कर कुछ कमाते हैं तो सरकार को परेशान होने की आवश्यकता नहीं।

इसके अतिरिक्त इन 75 एकाधिकारियों के पास जो धन हैं वह उसे अन्य कारखानों में लगा रहे हैं। ऐसा सरकार नहीं कर सकती। अतः हमने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाकर उचित ही किया है। अतः जो व्यापारिक कम्पनियां सुदृढ़ हैं उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : इन विदेशी तेल कम्पनियों ने गत 14 वर्षों में 1040 करोड़ रुपये की रकम अपने देशों को भेजी है। उक्त कम्पनियां प्रतिवर्ष हमारे देश का शोषण करके और अर्जित करके अपनी निवेश की गई पूंजी का ढाई गुना अपने देश को भेज रही हैं। 1972 के संकट के दौरान इन कम्पनियों ने हमारे देश को 44 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा से वंचित किया। कुकिंग गैस के मामले में भी बर्मा शैल, एस्सो आदि जैसी कम्पनियां हमारे देश के लोगों को धोखा दे रही हैं। सिलेंडरों में गैस की मात्रा को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। अब ये कम्पनियां अपनी पूंजी कार पालिश और स्पार्क प्लग बनाने में भी लगा रही हैं। इन कम्पनियों ने अभी तक ऊंचे पदों का भारतीयकरण नहीं किया है। इन कम्पनियों ने अभी तक अपने ऊंचे तथा मध्यम श्रेणी के पदों पर अपने ही देश के लोग नियुक्त किये हुए हैं।

तेल विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आवश्यक वस्तु है। हमें गाड़ियां चलाने के लिये डीजल तेल की आवश्यकता होती है। देश की रक्षा के मामले में तेल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम पेट्रोल और तेल की अपनी आवश्यकताओं के बारे में इन तेल कम्पनियों पर निर्भर रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वे अपनी मनमानी शर्तों पर हमसे लाभ उठाना चाहती हैं। अतः अब यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि इन तेल कम्पनियों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

75 एकाधिकार गृहों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये ऐसा किया जाना बहुत आवश्यक है। यह बड़े दुख की बात है कि 55 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश में लगभग $3\frac{1}{2}$ करोड़ लोग बेकार हैं।

विश्व के पूंजीवादी देश हमारे देश की प्रगति को नहीं देख सकते। वे हमारी प्रगति को रोकना चाहते हैं अतः जहां इन एकाधिकारियों और बड़े व्यापार गृहों द्वारा किसी घोटाले की आशंका हो वहां सरकार को अपनी घोषित नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

इन 75 एकाधिकार गृहों की आस्तियां 1963-64 में 2609.9 करोड़ रुपये थीं जो 1967-68 में बढ़कर 4032.4 करोड़ रुपये हो गईं। 1972-73 में इनकी आस्तियां 6200 करोड़ रुपये हो गई हैं। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त कम्पनियां हमारे देश का किस प्रकार शोषण कर रही हैं। फिर भी सरकार ने कम्पनियों को 1969 में 286 नये लाइसेंस

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

जारी किये हैं। यदि सरकार वास्तव में देश की प्रगति चाहती है, तो देश से बेरोजगारी और गरीबी हटाना चाहती है तो सरकार को इन 75 एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण अवश्य करना होगा। इन कम्पनियों द्वारा कमाया गया अत्याधिक धन काले धन में परिवर्तित होता जा रहा है और वे उस धन को विदेशों में बैंकों में जमा कर रही हैं। यदि उस धन को वापिस लाया जाये और उसे देश के विकास में लगाया जाये तो प्रगति का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सकता है। अब सरकार जनता को और अधिक धोखा नहीं दे सकती। समस्त शोषित वर्ग इस सम्बन्ध में क्रान्ति कर देगा और शोषण से अपनी मुक्ति के लिये खून बहा देगा।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण में और विलम्ब करना तथा इस मामले में निर्णय न लेना राष्ट्रीय नीति के लिये हानिकारक है।

इस बात की बहुत आवश्यकता है कि पेट्रोलियम मन्त्रालय मूल्य जांच समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर अपने विचारों में परिवर्तन करे। अब समय आ गया है जब कि इन विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किये बिना पेट्रोलियम संसाधनों के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाना असम्भव हो जायेगा। वर्ष 1971 से पेट्रोलियम मंत्रालय इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है।

इन कम्पनियों के कर्मचारी इनसे परेशान हैं क्योंकि ये कम्पनियां श्रमिक विरोधी नीति का पालन करती हैं।

उन्होंने इस आधार पर श्रमिकों की संख्या कम कर दी है क्योंकि उनके पास पर्याप्त काम नहीं है। अतः अब उनका अधिक समय तक बने रहना हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये हानिकारक है।

तेल शोधन सम्बन्धी करार लगभग 20 वर्ष पूर्व हुए थे। अतः उसके बारे में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अतः अब इन करारों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिये। यह बात समझ में नहीं आती कि मन्त्रालय को ऐसी घोषणा करने में क्या खतरा अनुभव हो रहा है।

उक्त तेल कम्पनियां अपनी मूल अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के हित में यहां बने रहना चाहती हैं। अब तो केवल यही विकल्प है कि बिना विलम्ब इनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। हमारी सरकार बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। इस मामले में निर्णय लेने में जितना अधिक विलम्ब किया जायेगा सरकार को उतनी ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

सरकार को शीघ्र ही इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि तेल शोधन करार अब समाप्त हो गया है। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये तेल कम्पनियों को दी गई सुविधाएं तथा रियायतें तुरन्त वापिस ले लेनी चाहिये। सरकार को वर्ष 1979-80 तक तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक विधान प्रस्तुत करना चाहिये और उस समय तक सरकार उन कम्पनियों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में ले सकती है। भारतीय तेल निगम और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपने को सुदृढ़ बनाने के लिये लगभग इतने ही समय की आवश्यकता होगी।

गत 10 वर्षों में 12 देशों ने विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और उन्हें ऐसा करने पर किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इन विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये शीघ्र कार्यवाही करे।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua): I support the resolution moved by Prof. Mukerjee. These foreign oil companies should be nationalised immediately. These companies have already earned lot of profits in our country and now they should be nationalised. It had been our experience in the past that work in nationalised industry was not being done properly. The reason appears to be that perhaps the Government has not been able to create proper atmosphere for nationalisation in the country. So first of all the Government should create proper atmosphere for it.

Shri M. C. Daga (Pali) : Nationalisation is not the solution of all the troubles. The Government should have some firm policy. It is wrong to think that socialism can only be brought through nationalisation.

Life Insurance has been nationalised and a Bill has been passed to nationalise coal-mines. The Government should take these steps after careful consideration. Now, the Government intends to nationalise 75 monopoly houses. The argument behind it is that they have earned a lot. There are several means to check it. The Government should have a firm policy in this matter. The Government should look into the record of those oil companies. Before nationalisation we should see what would be its impact on people who have invested in South Africa. We also require technical know how. We should frame such regulations that the foreign companies are not able to send more money to their countries. Before nationalising these companies we should see our place in international field.

Recently, the Government has nationalised 46 sick Textile Mills. But they have not yet been able to do their work properly. Nationalisation is not a panacea to all troubles partaining to private sector industries as is claimed by the hon. Members in the House. On one hand it is said that capitalists and industrialist will be allowed to develop industries in the country and on the other hand nationalisations of almost all the industries is demanded. I would like to suggest that Government should go step by step in this direction to check exploitation of the people and to ensure increased employment opportunities to the people.

***डा० रानेन सेन** (बारसाट) : अत्यन्त खेद का विषय है कि श्री डागा ने 75 एकाधिकार गृहों के राष्ट्रीयकरण की मांग का विरोध किया है तथा उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि इन एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो देश का उत्पादन कम हो जाएगा तथा श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा। जो पार्टी समाजवाद लाने का दावा करती है उसके एक सदस्य के मुख से ऐसे तर्क सुनकर मुझे बड़ी निराशा और असंतोष हुआ है। मैं 1962 से इन 75 एकाधिकार गृहों के राष्ट्रीयकरण की मांग करता आ रहा हूं।

यदि सरकार उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास नहीं रखती है तो नान-कोकिंग कोल खानों के राष्ट्रीयकरण से सम्बंधित विधेयक को क्यों पारित किया गया ? साथ ही साथ मेरा कहना है कि यदि सरकार वास्तव में काले धन को रोकना चाहती है तथा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करना चाहती है तो उसके सामने इन 75 एकाधिकार गृहों की सम्पत्ति, व्यापार और कार्यकरण को राष्ट्रीयकृत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इनका देश के बड़े-बड़े समाचार पत्रों पर पूर्ण नियंत्रण है तथा ये उद्योगपति सरकार तथा अन्य राजनीतिक दलों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। अतः माननीय मंत्री को सदन में इस बारे में तुरंत आश्वासन देना चाहिये।

विदेशी तेल कम्पनियां देश की आंतरिक नीतियों तथा विदेशों सम्बन्धी नीतियों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती हैं। इन्हीं कारणों से चिली सरकार ने अमरीका की ताम्बा खानों का

* बंगाली में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

राष्ट्रीयकरण किया है जिसके परिणामस्वरूप अमरीका वहां की सरकार को पदच्युत करने पर तुला है। यह सिद्ध हो चुका है कि विदेशी तेल कम्पनियां आर्थिक और राजनीतिक कारणों से हमारे साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करती हैं। कई माननीय सदस्यों ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के संसाधनों का पूरा उपयोग किये जाने में इन कम्पनियों की सहायता के बिना भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। आवश्यकता होने पर मित्र देशों से इस बारे में सहायता भी ली जा सकती है। अतः इन विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण अवश्य किया जाना चाहिये।

इन विदेशी तेल कम्पनियों ने गत 14 वर्षों से देश का शोषण किया है तथा 1040 करोड़ रुपयों का मुनाफा विदेशों को भेजा है। हमने अपने देश के विकास कार्यों पर पहली पंचवर्षीय योजना में लगभग 2300 करोड़ रुपयों की पूजी लगाई है तथा इन कम्पनियों ने उसकी आधी राशि अपने-अपने देशों को भेज दी है। अतः इन सभी समस्याओं का केवल एक ही हल है कि सरकार इन विदेशी तेल कम्पनियों का तुरंत राष्ट्रीयकरण करे।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : प्रस्तावक महोदय ने इस संकल्प में दो भिन्न बातों को एक साथ जोड़ दिया है। 73 बड़े व्यापार गृहों के राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग एक ही संकल्प में नहीं की जानी चाहिये थी। जहां तक विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग है मैं उनके साथ सहमत हूं।

वर्ष 1952-53 में जब इन विदेशी कम्पनियों के साथ करार किया गया था तब स्थिति भिन्न थी। उसके पश्चात् हमने देश में तेल क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया है तथा अब हम 50 प्रतिशत तेल संसाधनों का स्वयं विदोहन करने की स्थिति में हैं। इन विदेशी तेल कम्पनियों ने अपनी स्थिति मजबूत करने का पूरा-पूरा लाभ उठाया है।

जिस प्रकार कृषि के लिये पानी की आवश्यकता है उसी प्रकार उद्योगों के लिये तेल की आवश्यकता है। अतः सरकार को इस महत्वपूर्ण उत्पाद की सप्लाई के लिये विदेशी तेल कम्पनियों पर आश्रित नहीं रहना चाहिये।

जहां तक बड़े व्यापार गृहों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि देश के उद्योगों पर नियंत्रण रखने की समुचित व्यवस्था है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिये आशयपत्र दिया जाता है जो बाद में लाइसेंस के रूप में बदल जाता है। आयात के लिये भी लाइसेंस लेना पड़ता है तथा औद्योगिक विकास और विनिमय अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी है कि यदि कोई उद्योगपति देश के हितों के प्रतिकूल जाता है तो उसके उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत 146 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

हम समाजवाद में पूरा विश्वास रखते हैं किन्तु समाजवाद का अर्थ शतप्रतिशत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं है। किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है यदि यह सिद्ध हो जाए कि वह देश के हितों के अनुकूल नहीं चल रहा था और वह संकटग्रस्त है और सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा कालाधन जमा किया जा रहा है। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में संविधान में इन सिद्धांतों का उल्लेख है तथा सरकार के पास ऐसी स्थिति में किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है। श्रीमन् दो या तीन वर्ष औद्योगिक उत्पादन में कमी रहने के बाद गत वर्ष

कुछ उत्पादन बढ़ा है और यदि अब राष्ट्रीयकरण की चर्चा की जाएगी तो पुन: उत्पादन में गिरावट आ जाएगी ।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : I congratulate Prof. H. N. Mukherji for bringing such an important resolution in the House.

I remember the controversy arose in 1952-53 regarding the policy of exploiting our oil resources. I feel proud to mention the name of Shri K. D. Malviya who was the incharge of oil Department. He decided at that time that the entire work pertaining to development of oil industry should be undertaken indigenously and that we should not depend upon foreign oil companies regarding the supply of this important commodity.

Every one knows that foreign oil companies in India have earned huge profits and they have invested meagre amount in this industry. Now we should not afford to be exploited by these companies any further. Several countries have taken steps to nationalise foreign oil companies and we should not also hesitate in taking such steps. In this context I suggest that all these foreign oil companies should be nationalised without paying them any compensation. It would be against the will of the people of our country if Government continue to yield to the pressures from big countries enjoying monopoly in oil.

So far as the supply of crude oil is concerned bilateral agreements can be finalised with the Middle East countries. A corporation in the lines of State Trading Corporation should be set up to have trade in such commodities.

I am opposed to the concept of giving incentives to the capitalists. It is not a fact that private industrialists provide employment opportunities to the people and that they try to increase production. The fact is that capitalists and private industrialists produce only those items which yield much profits to them. Private industries are profit oriented industries.

It should also be understood that no country can achieve socialistic pattern of economy in the presence of capitalistic economy there. Then all the industries under these big monopoly houses should be taken over.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : महोदय ! एक समय ऐसा था जब यह समझा जाता था कि यदि तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई कदम उठाए गए तो यह समस्त उद्योग क्षतिग्रस्त हो जाएगा । किन्तु इस उद्योग का पूरा अध्ययन करने के पश्चात् श्री के० डी० मालवीय जैसे विद्वानों ने इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण की अनेक सम्भावनाओं का उल्लेख किया तथा तब इस धारणा का खण्डन हो सका ।

उस समय तेल उद्योग के विकास की अनेक आशाएं बंधाई जा रही हैं । राज्य सभा में एक उपमंत्री महोदय ने बताया है कि तेल के लिये तट दूर छिद्रण के लिये पर्याप्त गुंजाइश है ।

प्रो० मुखर्जी ने रूसी विशेषज्ञ प्रो० कलीनिन की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार हमारे देश में पर्याप्त तेल होने की सम्भावनाएं हैं । विदेशी तेल कम्पनियां वास्तव में तेल के बारे में हमें गलत जानकारी देती रही हैं जिससे हम उस क्षेत्र में प्रवेश ही न कर सकें ।

अरब सागर, विशेषकर केरल तटक्षेत्र का अध्ययन करके विशेषज्ञों ने मुझे बताया है कि वहां काफी मात्रा में तेल मिलने की सम्भावना है । मैंने इन दस्तावेजों को श्री गोखले को सौंप दिया है तथा उन्होंने इस बारे में कार्यवाही किये जाने के आश्वासन दिये हैं । इन परिस्थितियों में हमें विदेशी तेल कम्पनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये जिन्होंने गत 14 वर्षों में 1,048 करोड़ रुपयों का लाभ अर्जित किया है ।

मुझे भलीभांति ज्ञात है कि बर्मा शैल, एस्सो या कालटेक्स विदेशी तेल कम्पनियों ने किस प्रकार श्रमिकों का खून चूसा है । तेल उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं तथा वे अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं । ये कम्पनियां उन्हें पांच पैसे की वेतन वृद्धि देने को भी तैयार नहीं होती थीं जबकि स्वयं इतनी भारी धनराशि अर्जित करती थीं ।

इसका एक दूसरा पहलू भी है । यदि इस उद्योग में स्वदेशी तकनीकी जानकारी का उपयोग किया जाएगा तो कभी न कभी इस उद्योग को पूर्ण विकसित भी किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त इस उद्योग का सम्बन्ध देश की सुरक्षा से भी बहुत अधिक है । हमारे देश पर तीन बार विदेशी आक्रमण हो चुके हैं । चीन और अमरीका में बढ़ती हुई मित्रता से हमारे देश को और भी खतरा उत्पन्न हो रहा है । अतः हमें तेल के मामले में इन विदेशी कम्पनियों का भरोसा नहीं करना चाहिये क्योंकि इनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्तियों से हैं । देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये हमें तेल के सम्बन्ध में आत्म निर्भर होना चाहिये ।

मुझे तेल उद्योग के भारतीय विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के अवसर प्राप्त हुए हैं तथा उनका मत है कि भारत ने इस क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर लिया है । इसके साथ ही लगभग 10 वर्षों में हमने तेल शोधक कारखानों पर ही लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं जबकि विदेशी तेल कम्पनियों ने केवल 62 करोड़ रुपये ही अब तक खर्च किये हैं । जिसके बदले में उन्होंने असंख्य धन राशि कमाई है ।

आपको याद होगा कि बंगलादेश में संकट के समय सरकार ने इन कम्पनियों को उत्पादन में वृद्धि करने का अनुरोध किया था किन्तु उन्होंने इस बारे में हर सम्भव बाधाएं डालीं ।

मेरा विचार है कि इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना अनिवार्य है । जहां तक उत्पन्न होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सम्बन्ध है सरकार को इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिये क्योंकि क्यूबा और चिली जैसे छोटे देशों ने भी अपने राष्ट्रीय संसाधनों या मूलभूत कच्चे माल का राष्ट्रीयकरण करने की ओर कदम उठाए हैं ।

श्री सतीश चन्द्र (बरेली) : मैं श्री मुखर्जी का जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, पूर्णता आदर करता हूं तथा अनुभव करता है कि उनके प्रत्येक प्रस्ताव पूरी तरह विचारणीय होते हैं । किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि उन्होंने विदेशी तेल कम्पनियों के साथ 75 एकाधिकार गृहों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव क्यों किया है । वास्तव में एकाधिकार नाम का कोई उद्योग ही नहीं है । प्रत्येक उद्योग का पृथक नाम है तथा उनके अन्तर्गत पृथक पृथक कम्पनियां हैं जो साबुन, कपड़े आदि आदि वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। (**व्यवधान**) जहां तक तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है मैं इससे सहमत हूं ।

हमने गत 25 वर्षों में एक औद्योगिक नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार विभिन्न कदम उठाए जाते हैं । यह भी सच है कि तेल उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा उसका देश की सुरक्षा, औद्योगिक विकास और परिवहन से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

मुझे ज्ञात है कि 1952 से 1957 तक पेट्रोलियम उद्योग उत्पादन मंत्रालय के अधीन था तथा तब इसके लिये कोई पृथक मंत्रालय नहीं था । 1955 में मैं रक्षा मंत्रालय से उत्पादन मंत्रालय में आया ।

इन विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तत्कालीन मंत्रिमण्डलीय सचिव द्वारा बातचीत की गई थी तथा किसी भी मंत्री को तेल उद्योग के बारे में कोई अनुभव नहीं था। इस बारे में अमरीका आदि देशों के हितों का बहुत ध्यान रखा गया तथा सबसे बड़ी त्रुटि यह रही कि इन कम्पनियों को अपने लिये स्वयं किसी भी देश से अशोधित तेल मंगाने की अनुमति दी गई। उस समय यह समझा गया था कि खाड़ी का आशय फारस की खाड़ी से है किन्तु बाद में उसका आशय मैक्सी को खाड़ी से लिया गया।

इन विदेशी तेल कम्पनियों के साथ 25 वर्ष की अवधि के लिये करार किया गया था जिसमें से लगभग 19 या 20 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

प्रत्येक करार का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि तेल कम्पनियों को उत्पादन के 25 वर्ष के दौरान अधिकार में ही लिया जायेगा अथवा उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा।

करार की अवधि समाप्त होने में केवल 6-7 वर्ष बाकी हैं। यदि करार की अवधि पूरा होने पर इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी तथा यह कार्य करार की शर्तों के अनुरूप ही पूरा हो जाएगा। किन्तु यदि उससे पूर्व ही इनके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है तो मुझे इस बारे में भी कोई आपत्ति नहीं है। वैसे इन कम्पनियों के कार्यकरण को देश के हितों के अनुसार नियंत्रित किया जाए तो इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम इन कम्पनियों को अन्य कुछ वर्षों तक बनाए रख सकते हैं तथा सरकार पर कोई दोषारोपण भी नहीं हो सकेगा। अब यह सदन का कार्य है कि वह जैसा उचित समझे निर्णय करे।

जब इन कम्पनियों के साथ करार किया गया तब भारत का अपना एक ही तेल शोधक कारखाना था। पैट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का विदेशों से आयात किया जाता था। उस स्थिति में विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार किया जाना अनिवार्य हो गया था। 1957 के पश्चात् देश में तेल का पता लगाने के लिये गम्भीर प्रयत्न किये गये। अब 80 प्रतिशत तेल शोधक कार्य का सरकार द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है तथा देश में यथासम्भव तेल का पता लगाए जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमें इस क्षेत्र में आत्म निर्भर होना चाहिये तथा हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि तेल शोधक कारखानों के लिये हमें अधिक से अधिक तेल प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। सैद्धान्तिक रूप से मैं संकल्प का विरोध नहीं करता किन्तु मेरा सुझाव है कि हमें यह कदम उठाने के लिये कुछ वर्षों तक और प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं राष्ट्रीयकरण को रामबाण नहीं मानता किन्तु यह अवश्य विचार करना चाहिये कि क्या राष्ट्रीयकरण देश के हित में है अथवा नहीं।

मैं श्री सतीश चन्द्र को याद दिलाना चाहता हूं कि एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के लागू होने के बाद इन 75 एकाधिकार ग्रहों को कानूनी परिभाषा दी गई थी। अतः इनके राष्ट्रीयकरण की मांग इसी कारण की जाती है क्योंकि इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभुत्व है। **(व्यवधान)**।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि बहुमत प्राप्त करने के बाद दो संविधान संशोधन किये गये हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक समानता लाना है तथा जिनके अन्तर्गत बिना मुआवजा दिये सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम उठाया है जिसमें बिना मुआवजा दिये सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया हो ? जब तक इन उपायों को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक समानता लाना कैसे सम्भव है ?

श्री महाजन ने अपने भाषण में कुछ कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार ने केवल संकटग्रस्त मिलों को ही अपने अधिकार में लिया है। उन उद्योगों को नहीं जो लाभप्रद हैं जबकि संविधान संशोधन का उद्देश्य लाभप्रद उद्योगों को अपने हाथ में लेना था। इस स्थिति में सरकार को इस दिशा में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

जहां तक विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है इसमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल किसी देश की आंतरिक शक्ति का है। गत वर्ष पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने यह कहा था कि विदेशी तेल कम्पनियों के साथ किया गया करार देश के हितों के प्रतिकूल हैं। करार किये जाने के समय भी इन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया था किन्तु कुछ निहित स्वार्थों ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विदेशी तेल कम्पनियों ने बहुत से अधिकारियों को खरीद रखा है तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हें अन्य देशों में रोजगार प्रदान कर दिया जाता है।

इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा करने से वे कम्पनियां अधिक से अधिक धनराशि अपने देश में भेजने का प्रयास करेंगी। अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

मुझे नए मंत्री महोदय से अनेक आशाएं हैं। वह मेरे राजनीतिक गुरू भी रहे हैं। अमरीकी पत्रकारों ने उन्हें एशिया का "क्विकैस्ट मैन" कहा है तथा मुझे आशा है कि वह राष्ट्रीय हितों के लिये शीघ्र से शीघ्र निर्णय करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I did not have any intention to participate in this debate. But the contradictory statements made by the members of Congress party itself have inspired me to take part in this debate.

Mr. Chairman: He may continue his speech next day.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

26वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 20 मार्च, 1973/29 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till 11 a.m. on Tuesday, the 20th March, 1973/29th Phalguna, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd.. Lucknow—24-5-73—490